नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/98 से 3/07 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/98 से 3/07

प्रथम–भाग

वर्तमान अंकेक्षण :–

नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 4/98 से 3/07 के लेखों का अंकेक्षण एव निरीक्षण प्रतिवेदन जिनके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदो में वर्णित हैं, श्री जय गोपाल शर्मा, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 26.7.06 से 17.7.06 तथा 7.4.08 से 8.5.08 के मध्य नालागढ़ में नगर परिषद कार्यालय में किया गया। अंकेक्षण दल में श्री रवि प्रकाश व श्री सुख राम शर्मा, लेखा परीक्षक साथ थे। मास 8/98, 10/98, 5/99, 1/2000, 8/2000, 3/01, 7/01, 1/02, 7/02, 12/02, 9/03, 11/03, 8/04, 12/04, 5/05, 10/05, 9/06, 3/07 के लेखों को विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया। समस्त अभिलेख जिसका वर्णन नीचे दिया गया है विधिवत प्रस्तुत किया गया।

अंकेक्षण शुल्क :–

नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 4/98 से 3/07 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹11,210.00 आंका गया। अंकेक्षण अधियाचना कार्याकारी अधिकारी को जारी कर दी गई थी जिसमें अंकेक्षण शुल्क को निम्न शीर्ष में जमा करने हेतु कहा गया :–

" 0070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं।
60– अन्य सेवाएं
110– सरकारी लेखा परीक्षा के लिए शुल्क यू0बी"

उक्त शुल्क जमा करने उपरान्त मूल चालान प्रति निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला को भेजने की कृपा करें जो सत्यापन उपरान्त लौटा दी जाएगी। अंकेक्षण शुल्क इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है।

वित्तीय स्थिति :–

नगर परिषद नालागढ़ की वर्ष 4/98 से 3/07 की वित्तीय स्थिति संलग्न है।

विशेष नोट :– नगर परिषद नालागढ़ के खातों में ₹24,219.00 अधिक जमा थे। इस राशि का पूरा ब्यौरा देकर स्थिति स्पष्ट की जाए।

रोकड़ बही सम्बन्धी

₹1,593.00 रोकड़ बही में कम दर्शाए गए :–

नगर परिषद नालागढ़ के अंकेक्षण अवधि के दौरान आर–4 (तहबाजारी) से प्राप्त आय तथा जी–8 रसीदों से प्राप्त आय को चैक किया गया। कुछ मामलों मे आय के योगों की गलत गणना करके कम राशि को रोकड़ बही में दर्शाया गया था, जिसका विवरण साथ संलग्न है। अतः ₹1,593.00 जो कि रोकड़ बही में कम दर्शाये गए थे, की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए जाएं तथा इस बारे आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही में दर्शाई गई कम राशि की विवरणी :–

दिनांक	रसीद सं०	आय की किस्म	वास्तव में प्राप्त आय	रोकड़ बही में जो आय दर्शाई गई	रोकड़ बही में जो कम आय दर्शाई गई	टिप्पणी
3.5.99	आर–4 रसीद 177 / 48	तहबाजारी	₹70 /–	न दर्शाई गई	₹70 /–	
16.5.99	60–200 / 443 1–64 / 444	बस पार्किंग की तहबाजारी	₹2050 /–	₹2030 /–	₹20 /–	
15.1.2000	जी–8 रसीद 9–14 / 1196	दुकानों / स्टालों का किराया	₹5201 /–	₹4901 /–	₹300 /–	
14.8.2000	जी–8 रसीद 9–14 / 1233	दुकानों / स्टालों का किराया	₹3558 /–	₹2733 /–	₹825 /–	
16.8.2000	जी–8 रसीद 15,17–20 / 1233	दुकानों / स्टालों का किराया	₹3248 /–	₹3048 /–	₹200 /–	
11.8.2000	–	विविध आय	₹14,006 /	₹14,006 /–	–	

12.8.2000	–	तहबाजारी+स्लाटर हाऊस फीस	₹2101/–	₹2001/–		दैनिक योग की गलत गणना के कारण।
13.8.2000	–	तहबाजारी+स्लाटर हाऊस फीस	₹1881/– ₹17987/	₹1881/– ₹17887/–	₹100/–	एस बी सी मे 14.8.2000 को ₹17887
9.7.2002	जी–8 रसीद 3–22/1367	दुकानों/स्टालों का किराया	₹10866/	₹10847/–	₹8/–	–
19.7.2002	17–19/1369	दुकानों/स्टालों का किराया	₹1147/–	₹1077/–	₹70/–	–
				योग	₹1088.00	

<u>**चैक** संख्या 7,88,840.00, दिनांक 07.06.2005 द्वारा ₹220.00 की राशि अधिक निकाली गई :–</u>

कैश बुक की जाच पड़ताल से पाया गया कि दिनांक 07.06.2005 को चैक संख्या 788840 क द्वारा राशि ₹79,395.00 निकाली गई थी, उसमे ₹220.00 अधिक निकाले गए प्रतीत होते है। चैक से निकाली गई राशि का कैश बुक अनुसार निम्न विवरण है –

वाऊचर संख्या	मस्ट्रोल संख्या	राशि
24	3624	₹18,686.00
25	3625	₹2,728.00
26	3626	₹10,076.00
27	3627	₹8,687.00
28	3628	₹2,667.00
29	3629	₹12,090.00
30	3630	₹4,426.00
31	3631	₹6,070.00

32	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय बिल	
	श्री कांशी राम	₹1,049.00
	श्री हेम राज	₹584.00
	श्री नन्द लाल	₹889.00
	श्री दीपक चन्द बस्सी	₹3,827.00
	श्री राजिन्द्र कुमार	₹2,670.00
	श्री हीरा लाल	₹2,014.00
	श्री राजिन्द्र कुमार–II	₹1,047.00
	श्री देस राज	₹4,915.00
		₹79,175.00

अतः चैक, राशि ₹79,175.00 का बनाना अपेक्षित था जबकि चैक, राशि ₹79,395.00 का बनाया गया। इस प्रकार से ₹220.00 की जो राशि चैक द्वारा अधिक निकाली गई अतिशीघ्र नगर परिषद कोष मे जमा करवाई जाए।

<u>चैक संख्या 781746 (पी0एन0बी), दिनांक 17.06.99 द्वारा ₹1,000.00 की अधिक राशि निकाली गई</u> :–

कैश बुक के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 17.06.99 को चैक संख्या 781746 के द्वारा राशि ₹13,556.00 निकाली गई थी उसमें ₹1,000.00 अधिक निकाले गए। चैक से निकाली गई राशि का कैश बुक अनुसार निम्न विवरण है :–

सामान्य रोकड़ बही

पृष्ठ संख्या	जिस सन्दर्भ में चैक बनाया गया		वाऊचर संख्या	चैक संख्या	चैक की राशि	दिनांक
91	सहायक कार्यकारी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश स्टेट एस0ई0बी (HPSEB) स्ट्रीट लाईट बिजली बिलों का भुगतान राशि		31	781746 (पी.एन.बी)	₹13,556.00	17.06.99
	एस0एल I	₹3,079.00				
	एस0एल II	₹1,249.00				

एस0एल III	₹1,818.00
एस0एल IV	₹2,361.00
एस0एल V	₹2,123.00
ए0सी 8	₹160.00
एस0पी0 36	₹1,185.00
सी0 388	₹233.00
आर0सी0 595	₹361.00
एस0पी0 97	₹210.00
	₹12,556.00 (वास्तव में राशि)

अत: चैक राशि ₹12,556.00 का बनाना अपेक्षित था, जबकि चैक राशि ₹13,556.00 का बनाया गया था। इस प्रकार से ₹1,000.00 की जो राशि चैक द्वारा अधिक निकाली गई को अतिशीघ्र नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाए।

3 <u>अनुदान</u> :–

<u>नगर परिषद नालागढ़ को वर्ष 4/98 से 3/07 के मध्य प्राप्त हुई अनुदान राशि का विवरण</u> :–

(क) वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(ख) नौराड से प्राप्त अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(ग) निदेशक शहरी विकास से प्राप्त वाटर सप्लाई व सैनिटेशन शीर्ष से अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ग' में संलग्न है।

(घ) निदेशक शहरी विकास से प्राप्त एस0जे0एस0आर0वाई0 अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'घ' पर संलग्न है।

(ङ) निदेश शहरी विकास से प्राप्त EIUS/NSDP अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ङ' पर संलग्न है।

(च) निदेशक शहरी विकास के माध्यम से प्राप्त IDSMT अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'च' पर संलग्न है।

(छ) निदेशक शहरी विकास से प्राप्त ULB Roads के अर्न्तगत अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'छ' पर संलग्न है।

(ज) निदेशक शहरी विकास से प्राप्त सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट शीर्ष से प्राप्त अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ज' पर संलग्न है।

(झ) निदेशक शहरी विकास से प्राप्त वेतन निर्धारण से प्राप्त अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'झ' पर संलग्न है।

(ञ) निदेशक शहरी विकास के माध्यम से प्राप्त 11वें फाईनैंस आयोग से प्राप्त अनुदान राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ञ' पर संलग्न है।

गृहकर

(i) गृहकर के कर निर्धारण रजिस्टरों (Assessment Register) तथा गृहकर से सम्बन्धित अन्य रजिस्टरों के रख–रखाव से सम्बन्धित अनियमितताएं :–

नगर परिषद नालागढ़ के अंकेक्षण अवधि 4/98 से 3/07 तक के अंकेक्षण के दौरान गृहकर निर्धारण रजिस्टरों के अवलोकन से पाया गया कि नगर परिषद सीमा में 9 वार्ड बनाए गए हैं। लेकिन कर निर्धारण रजिस्टरों में केवल सात वार्डों का कर निर्धारण नगर परिषद द्वारा किया गया था। वार्ड नम्बर 8 में ग्यारह कर दाताओं के मकानों का कर निर्धारण किया गया था तथा अन्य बकाया मकानों/दुकानों का गृहकर निर्धारण तथा वार्ड नम्बर 9 में मकानों/दुकानों का गृहकर का कर निर्धारण न किया गया था, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। कर–निर्धारण रजिस्टरों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा गृहकर का कर–निर्धारण के समय केवल मकान–मालिकों (Self Occupied) तथा जिन मकानों में मकान मालिक रहते हैं उन मकानों की अवस्था (Condition) नया/पुराना मकान या कच्चा/पक्का मकान या दस, बीस या तीस वर्ष पुराना मकान तथा मकान के क्षेत्रफल को ही मध्य नजर रखा गया। मकान मालिकों जिन्होंने अपना मकान अथवा दुकानें किराए पर दिए हैं, कितने किराए पर दिए हैं को मध्यनजर नहीं रखा, जिससे कर–निर्धारण के लिए (Rental Value) गृहकर के निर्धारण का पता चल सकता था जो कि अपेक्षित था।

गृहकर–निर्धारण रजिस्टरों का भी नियमानुसार (Pescribed Performa) पर रख–रखाव न किया गया था तथा गृहकर की मांग के लिए गृहकर मांग तथा संग्रह रजिस्टरों का रख–रखाव भी अभी तक नगर परिषद के द्वारा किया जाना अपेक्षित है। गृहकर मांग तथा संग्रह रजिस्टरों के

न रख–रखाव के कारण तथा गृहकर निर्धारण के रजिस्टरों को पूर्ण न किए जाने की स्थिति में गृहकर का नियमानुसार सही ढंग से पता न लगाया जा सका जो कि एक गम्भीर मामला है।

नगर परिषद नालागढ़ के कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध है कि वे इस बारे सक्षम कार्यवाही करें तथा नियमानुसार गृहकर रजिस्टरों का रख–रखाव सम्बन्धित कर्मचारी से करवाएं तथा गृहकर निर्धारण रजिस्टर जो कि अपूर्ण हैं को भी अतिशीघ्र पूर्ण करवाएं ताकि नगर परिषद द्वारा जो गृहकर लगाया जाना है कि नियमानुसार पड़ताल की जा सके।

(ii) श्री राम लाल, कबाड़ी से प्लाट नम्बर 79 के किराए की वसूली न करने के कारण पालिका को लाखों रुपये की हानि :–

प्लाट नम्बर 79, श्री राम लाल, कबाड़ी को नस्ति में उपलब्ध अभिलेखानुसार वर्ष 1972 में ₹18 मासिक किराए पर दिया गया था, किन्तु इससे किराए की मांग, मांग व प्राप्ति पंजिका में 1.4.1998 से 31.3.2005 तक में नहीं की गई थी जिसकी प्रविष्टि वर्ष 2005–2006 में मांग व प्राप्ति पंजिका के क्रमांक 79 में की गई थी, जिसकी नस्ति के अवलोकन से अंकेक्षण के समय निम्न तथ्य सामने आए :–

(1) श्री राम लाल, कबाड़ी द्वारा दिनांक 16.7.1990 को माननीय जिला सत्र–न्यायाधीश सोलन के दिनांक 17.5.1990 के फैसले के विरूद्ध मानीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश में अपील दायर की गई (कृप्या संलग्न पृ0 1 से 8 देखें) जिसका फैसला नगर परिषद नालागढ़ के हक में दिनांक 1 मई, 1997 को मानीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया, तत्पश्चात श्री राम लाल, कबाड़ी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए दिनांक 24.5.1997 को अपील दायर की गई (कृप्या पृ0 21 देखें), इसके पश्चात (संलग्न पृ0 17 देखें) दिनांक 14.6.2000 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सोलन द्वारा श्री राम लाल, कबाड़ी ने जो अपील की थी, को खारिज/रद्द करते हुए श्री राम लाल, कबाड़ी से अपना केस न्यायालय से वापिस ले लिया तथा दिनांक 9.6.2000 को अपने हल्फी ब्यान द्वारा कथित प्लाट जिसमें उसने 6.80 x 7 वर्ग मीटर भूमि पर पक्की दुकान बना ली थी, का ₹500 मासिक किराया देना व नियमानुसार समय–समय पर किराया में वृद्धि करने का वचन दिया तथा गत शेष राशि का ₹200 प्रतिमाह किराए के साथ पालिका को देने का भी वचन दिया (कृप्या पृ0 9 देखें)। किन्तु उपरोक्त ब्यान के दृष्टिगत न तो श्री राम लाल, कबाड़ी ने अपने हल्फी ब्यान का पालन किया तथा न ही कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसकी वसूली बारे कोई कार्यवाही अमल में लाई गई।

(2) इससे पूर्व दिनांक 31.5.2000 को परिषद के जनरल हाऊस की बैठक में प्रस्ताव पारित किया था कि 47.60 वर्ग मीटर भूमि, जिस पर श्री राम लाल, कबाड़ी द्वारा पक्की दुकान बनाई

गई थी का मासिक किराया ₹600 निर्धारित करके शेष अवैध कब्जे वाली भूमि जो कि 232 वर्ग मीटर थी, (पृ0 98 देखें) को 15 दिनों के भीतर खाली करके पालिका को सौंपे, जिसपर 12 दुकानें बनाई जा सकती हैं व प्रत्येक दुकान से ₹600 मासिक किराया प्राप्त होगा (कृपया पृ0 11 से 13 देखें) किन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा श्री राम लाल, कबाड़ी अवैध कब्जा धारक के विरूद्ध 31.8.2000 से लेकर वर्ष 2008 तक 7 वर्षों में कोई भी कार्रवाई नही की गई व अभी तक उक्त 232 वर्गमीटर भूमि पर उसी का कब्जा है, का पालिका को 7 वर्षों में (79 माहx6000=4,74,000.00) का नुकसान पहुंचाया गया, जिसका दायित्व निर्धारित करके दोषी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए व तदानुसार अंकेक्षण को तुरन्त सूचित किया जाए।

(3) कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या 1083, दिनांक 13.7.2000 द्वारा श्री राम लाल, कबाड़ी को तुरन्त ₹600 प्रतिमाह मासिक किराया व लम्बित शेष राशि जिसका आंकलन ₹43,413.75 की 50% राशि व ₹6000 बतौर हर्जाना पालिका में जमा करवाने व शेष 50% राशि बकाया को ₹300 प्रति मासिक किश्त जमा करवाने हेतु लिखा गया (कृपया पृ0 14–15 देखें) जिसमें से केवल ₹25,000.00, जी–8 संख्या 34/80, दिनाक 10.8.2005 को 5 वर्षों बाद श्री राम लाल द्वारा जमा करवाए गए व शेष वसूली तथा माह 11/98 तक की गई गणना के पश्चात मासिक किराए की न तो गणना की गई और न ही 13.7.2000 के पश्चात अपेक्षित राशि जमा न करवाने बारे कोई भी कार्रवाई अमल में नही लाई गई और न ही अवैध कब्जा हटाया गया। जिसका दायित्व निर्धारित करके उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

(4) श्री राम लाल, कबाड़ी ने अपने पत्र संख्या शून्य, दिनाक 21.7.2000 को पालिका से बरसात की समाप्ति तक अवैध कब्जे वाली भूमि को खाली न कर सकने का अनुरोध किया (कृपया पृ0 16 देखें)। तत्पश्चात कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ़ ने अपने पत्र क्रमाक 12709/एम0सी, दिनाक 30.8.2000 द्वारा श्री राम लाल, कबाड़ी का 10.9.2000 तक अवैध कब्जा वाली भूमि 232 वर्ग मीटर खाली करके पालिका के हवाले करने हेतु कहा गया। इसके पश्चात कार्यकारी अधिकारी ने अपने अन्तिम पत्र क्रमांक 686/एम0सी, दिनाक 9.7.2001 को 24 घण्टे के भीतर अवैध कब्जा वाली भूमि खाली करने का नोटिस जारी किया, जो उसने खाली नही की। तत्पश्चात पालिका द्वारा वर्ष 2008 तक कोई कार्रवाई नही की, का कारण स्पष्ट किया जाए। (कृपया पृ0 18–19 देखें)

(5) सलग्न पृ0 20 द्वारा तहसीलदार नालागढ़ के नीलामी सूचना के इश्तहार के माध्यम से 82.01 वर्गमीटर भूमि की नीलामी दिनाक 22.12.2000 को दोपहर 1 बजे करने का नोटिस जारी

किया, किन्तु इसके पश्चात क्या हुआ अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया। एक ओर 62.01 वर्ग मीटर भूमि नीलामी सूचना में दर्शाई गई, दूसरी ओर मौके पर वर्क सुपरवाईजर द्वारा 26.12.97 को अवैध कब्जा भूमि की पैमाईश 232 वर्ग मीटर दर्शाई गई जो आपस में विरोधाभास प्रकट करती है, जबकि मौके पर की गई पैमाईश सही होगी, जिसे स्पष्ट किया जाए व नीलामी न करने के कारण स्पष्ट किए जाए। (कृप्या पृ0 20 व 26 देखें)

(6) नगर परिषद नालागढ़ के वर्क–सुपरवाईजर द्वारा मौके पर समस्त भूमि को मापा गया व 29 वर्गमीटर भूमि पर दुकान निर्मित दर्शाऐं तथा 232 वर्ग मीटर अवैध कब्जा वाली भूमि दर्शाई गई (कृप्या पृ0 26 देखें)। कार्यकारी अधिकारी द्वारा न तो निर्मित दुकान के किराए की माग/वसूली की गई और न ही अवैध कब्जा हटाने हेतु नियमानुसार कोई कार्रवाई की गई, जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

(7) नगर परिषद नालागढ़ की दिनांक 12.1.1998 की बैठक में आईटम संख्या 10 (कृप्या पृ0 28 देखें) जिसमें सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री राम लाल, कबाड़ी को केवल उतनी ही भूमि तहबाजारी पर दी जाए, जितनी उसे पालिका द्वारा तहबाजारी पर दी गई है, शेष अवैध कब्जा तुरन्त हटा दिया जाए। जिस पर तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई व पालिका को लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ी, जिसे स्पष्ट किया जाए।

(8) नस्ति में उपलब्ध विवरणानुसार 29 वर्ग मीटर दुकान की तहबाजारी की गणना 4/86 से 11/98 तक समय–समय पर निर्धारित दरों की गणना की गई थी (कृपया संलग्न पृ0 31–32 देखें), जिसे स्पष्ट नहीं किया गया, जिसे प्रमाण सहित स्पष्ट किया जाए व 11/98 के पश्चात तहबाजारी की मांग, मांग व प्राप्ति पंजिका मे दर्ज न करना व उसकी वसूली हेतु कोई कार्रवाई न करना कार्याकारी अधिकारी की कर्त्तव्य–निष्ठा पर सन्देह उत्पन्न करता है, जिससे पालिका को लाखों रुपये की आय से वंचित किया गया। अतः स्थिति को स्पष्ट किया जाए।

(9) अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेख/नस्ति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि नगर परिषद कार्यकारिणी व कार्यकारी अधिकारियों द्वारा श्री राम लाल, कबाड़ी को अन्यत्र लाभ पहुचाया और पालिका को लाखों रुपये की हानि पहुंचाई गई व वर्ष 1972 से 2006 तक लगभग 38 वर्षों से कोई भी तहबाजारी की मांग नहीं की गई। केवल दिनांक 10.8.2005 को जी–8 रसीद संख्या 34/60 द्वारा ₹26,000.00 की प्राप्ति वर्ष 2005–06 की प्लाट पंजिका क्रमांक 79 में दर्ज करके प्राप्ति दर्शाई गई थी। वर्ष 1972 से 2004–05 तक की मांग व प्राप्ति पंजिका में इससे प्राप्त की जाने वाली तहबाजारी की प्रविष्टियां अंकेक्षण में नहीं दर्शाई गई। अतः समस्त अभिलेख/मांग पंजिका अंकेक्षण से तुरन्त सत्यापित करवाई जाए व वसूली सुनिश्चित की जाए।

(10) श्री राम लाल, कबाड़ी ने पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा किया। दूसरी ओर पालिका को अदालतों में इसे खाली करवाने हेतु पैसा खर्च करना पड़ा। जब श्री राम लाल हर अदालत से हारता रहा तो अपनी सूझ बूझ का इस्तेमान करके अदालत में झूठा हल्फीया ब्यान देकर कि वह अवैध कब्जे वाली भूमि को तुरन्त खाली कर देगा (कृपया पृ0 9 देखें), भूमि से अवैध कब्जा न छोड़ने, व निर्मित दुकान का मासिक किराया अदा न करने की स्थिति में न ही नियमानुसार कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की गई, उल्टा मांग व प्राप्ति पंजिका में वार्षिक मांग तक दर्ज नही करवाई गई। जिससे पालिका को 500x13=6500x12 month= ₹78,000.00 वार्षिक हानि उठानी पड़ी। अतः कार्यकारी अधिकारी 1.4.98 का आरम्भिक शेष व तत्पश्चात वर्षानुवर्ष, मांग व प्राप्ति पंजिका में मांग दर्ज करवा कर/वार्षिक विवरण तैयार करके अंकेक्षण में सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें, व शेष राशि की वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 89 के अर्न्तगत तुरन्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।

(11) नगर परिषद नालागढ़ द्वारा श्री राम लाल को प्लाट वर्ष 1972 में दिया गया था। उस पर उन द्वारा दुकान निर्मित की गई उसी समय पालिका द्वारा उसे गिराया/खाली क्यों नहीं करवाया गया। दूसरी ओर उसका किराया निर्धारित किए जाने की स्थिति मे उसकी प्रविष्टी दुकान/स्टॉलों के खाते में की जानी अपेक्षित थी, उन्हें अब अंकेक्षण में सत्यापित करवाया जाए।

(12) <u>**Important**</u> उक्त वर्णित कथित भूमि घोटाले की जांच किसी निष्पक्ष ऐजन्सी से करवाई जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 7 से श्री राम लाल, कबाड़ी की बहु श्रीमति नीरू मैहता नगर परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई है जो कि हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 16 के अन्तर्गत पालिका सदस्य के लिए निर्वाचन लड़ने के अयोग्य थी। यदि कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16(i)(d) के दृष्टिगत अनादेय प्रमाण/बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व अपने अभिलेख की छानबीन करके उचित कार्यवाही की गई होती। इसी प्रकार यदि अन्य उम्मीदवारों को अनादेय प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व गृहकर व अन्य (Municipal Tax) खातों को चैक करके दिए गए होते तो लाखों रुपयों के कर वसूले जा सकते थे, किन्तु उन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई न करके नगर पालिका को लाखों रुपये की राशि की प्राप्ति से वंछित किया गया व नियमों के प्रावधानों को ताक पर रखा गया।

अतः समस्त प्रकरण निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के ध्यान में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है। इसका विवरण परिशिष्ट सलग्न में दिया गया है।

11
126381

(iii) दुकानों, स्टालों व प्लाटों से किराया ₹25,74,976.00 की वसूली नही की गई :–

(क) अवधि 4/98 से 3/2006 का अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद नालागढ द्वारा अपनी दुकानों/स्टालों व प्लाटों जो विभिन्न दुकानदारों/फर्मों को आबटित की गई थी से दिनांक 31.3.2006 को ₹25,74,976.00 की राशि किराए के रूप में वसूली जानी शेष थी, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "म" में दिया गया है। किराए की वसूली करने की प्रक्रिया सन्तोषजनक नहीं थी। न ही निर्धारित तिथियों से किराया बढ़ाया गया था जो कि नगर परिषद की आय/प्राप्ति का मुख्य शीर्ष है, जिसमें कार्यकारी अधिकारी की भूमिका नगन्य थी। अतः लम्बित पडे किराया की वसूली करने हेतु विशेष पग उठाए जाएं तथा निर्धारित अवधि में किराया बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से निदेशालय को तुरन्त सूचित किया जाए तथा भविष्य में प्रतिमाह किराए की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। अन्यथा नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 89(1) के अर्न्तगत कार्यवाई अमल में लाई जाए।

(iv) स्थावर सम्पति के शुल्क की वसूली बारे (Duty on Transfer of Immovable Property) :–

नगर परिषद नालागढ़ के अवधि 4/98 से 3/07 तक के अंकेक्षण दौरान अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा वित्तायुक्त एवं सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या LSG-D(1)-9/94, दिनांक 24.8.2000 की क्रम संख्या 6 के अनुसार उक्त सम्पति के स्थानान्तरण शुल्क के रूप में 2% of the amount अर्थात भूमि के क्रय–विक्रय मुल्य का 2% शुल्क के स्थान पर क्रय विक्रय पर स्टाम्प शुल्क का 2% की दर से शुल्क वसूला गया, जिसका विवरण संलग्न है। जिससे परिषद को वार्षिक लाखों रुपये की आय से वंचित होना पड़ा। इस सन्दर्भ में परिषद का कहना है कि निदेशक शहरी विकास के ज्ञापनानुसार स्टाम्प ड्यूटी पर 2% की दर से शुल्क वसूला गया, किन्तु यदि निदेशालय स्तर पर ऐसे आदेश भी थे तो इसमें संशोधन करने के लिए प्रदेश सरकार सक्षम थी न कि शहरी विकास विभाग अपने स्तर पर संशोधन करने के लिए सक्षम थे। अतः परिषद को उक्त शुल्क की प्राप्ति में वार्षिक लाखों रुपये की आय से उपरोक्त कारणों से वंचित होना पड़ा जिसका दायित्व सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी का था व अंकेक्षण अवधि में जितना भी भूमि का क्रय–विक्रय हुआ उसकी रजिस्ट्रीयों की प्रतियां तहसील कार्यालय से प्राप्त करके लिए जाने वाले शुल्क की गणना करके (–) लिए गए शुल्क को घटाकर शेष वसूली योग्य राशि की गणना करके वसूली की जाए।

दिनांक	जी–8 रसीद	राशि	स्थावर सम्पति के अन्तरण पर शुल्क	दिनांक	जी–8 रसीद	राशि	स्थावर सम्पति के अन्तरण पर शुल्क
29.6.02	17 / 1355	600.00	–यथोपरि–	21.7.03	53 / 10	400.00	–यथोपरि–
4.7.02	29 / 1355	240.00	–यथोपरि–	11.8.03	84,85 / 10	7,920.00	–यथोपरि–
6.7.02	33 / 1355	330.00	–यथोपरि–	18.9.03	49 / 15	900.00	–यथोपरि–
10.7.02	42 / 1355	2,400.00	–यथोपरि–	20.9.03	52,53 / 15	1,800.00	–यथोपरि–
16.7.02	47 / 1355	2,040.00	–यथोपरि–	1.10.03	61–64,66 / 15	2,600.00	–यथोपरि–
26.7.02	18 / 1360	900.00	–यथोपरि–	29.10.03	26 / 19	1,970.00	–यथोपरि–
28.8.02	11 / 1364	260.00	–यथोपरि–	1.11.03	30 / 19	3,280.00	–यथोपरि–
19.9.02	1 / 1370	570.00	–यथोपरि–	27.12.03	1 / 25	18,000.00	–यथोपरि–
23.9.02	18,21 / 1370	2,200.00	–यथोपरि–	30.12.03	23 / 25	356.00	–यथोपरि–
24.9.02	23 / 1370	200.00	–यथोपरि–	24.03.04	99 / 28	6,800.00	–यथोपरि–
16.10.02	9 / 1372	2,599.00	–यथोपरि–	8.4.04	83 / 34	1,200.00	–यथोपरि–
27.12.02	46 / 1383	2,000.00	–यथोपरि–	13.4.04	90 / 34	1,200.00	–यथोपरि–
14.1.03	21 / 1386	700.00	–यथोपरि–	28.4.04	11 / 37	312.00	–यथोपरि–
28.1.03	6 / 1390	860.00	–यथोपरि–	27.5.04	94 / 37	426.00	–यथोपरि–
14.2.03	38,39 / 1390	1,800.00	–यथोपरि–	31.5.04	98 / 37, 1 / 40	936.00	–यथोपरि–

17.5.03	85 / 3	1,500.00	–यथोपरि–	7.6.04	15 / 40	62 .00	–यथोपरि–
20.5.03	92 / 3	1,600.00	–यथोपरि–	9.6.04	20 / 40	228.00	–यथोपरि–
7.6.03	45 / 6	270.00	–यथोपरि–	18.6.04	25,31 / 40	1,308.00	–यथोपरि–
17.6.03	73 / 6	1,800.00	–यथोपरि–	30.6.04	68 / 40	72 .00	–यथोपरि–
27.7.04	रोकड़ बही में दर्शाया न गया 61 / 44	605.00	–यथोपरि–	19.8.05	58,59 / 78	2,080.00	–यथोपरि–
17.9.04	88 / 46	85.00	–यथोपरि–	20.9.05	88,89,92,93 / 78	2,71,350.00	–यथोपरि–
24.9.04	4,6,7 / 51	1,421.00	–यथोपरि–	2.1.06	14 / 92	1,400.00	–यथोपरि–
9.11.04	5,6 / 55	394.00	–यथोपरि–	27.3.06	21 / 100	800.00	–यथोपरि–
		348.00	–यथोपरि–	31.3.06	41 / 100	2,000.00	–यथोपरि–
3.12.04	34 / 54	462.00	–यथोपरि–				
4.12.04	39,40 / 54	600.00	–यथोपरि–				
15.12.04	57 / 54	300.00	–यथोपरि–				
1.1.05	89 / 54	420.00	–यथोपरि–				
22.1.05	18 / 61	336.00	–यथोपरि–				
11.2.05	69 / 61	216.00	–यथोपरि–				
17.2.05	78 / 61	348.00	–यथोपरि–				

28.2.05	100/61	42.00	–यथोपरि–
16.3.05	29,30/64	372.00	–यथोपरि–
29.4.05	32/69	4,200.00	–यथोपरि–
30.4.05	34/69	4,120.00	–यथोपरि–
27.6.05	57/73	1,820.00	–यथोपरि–
1.7.05	62,64/73	6,400.00	–यथोपरि–
16.8.05	55/78	720.00	–यथोपरि–
17.8.05	56/78	600.00	–यथोपरि–

(V) भवन निर्माण कार्य को पूर्ण न करने बारे :–

नगर परिषद नालागढ़ के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि भवन–योजनाओं को मन्जूरी के लिए भवन प्रार्थना पत्र शुल्क रजिस्टर में भवन निर्माण के बारे प्रारम्भ की तिथि रजिस्टर में दर्शाई गई थी, परन्तु भवन निर्माण का कार्य कब समाप्त हुआ के बारे कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि भवन अभी तक निर्माणाधीन है। नियमानुसार एक वर्ष के उपरान्त यदि भवन निर्माण कार्य की बढ़ौतरी हेतु आवेदन नहीं होता है तो फिर फाईन/जुर्माना लगता है। निम्नलिखित मामलों में न जुर्माना लिया गया तथा न ही भवन निर्माण कार्य की बढ़ौतरी बारे आवेदन हुआ। अतः जुर्माने की वसूली क्यों नहीं की गई। अतः दोषी कर्मचारी से राशि की वसूली की जाए। जिन मकान–मालिकों से जुर्माना लिया जाना अपेक्षित है उनकि सूचि/विवरणी इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "थ" पर संलग्न है।

(1) कैश बुक :– माह दिसम्बर, 2004 के कैश बुक के योग कच्ची पैन्सिल से करके कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित किए गए थे तथा माह अक्तूबर, 2005 के योग कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त किसी भी माह की अन्तिम तिथि को कैश बुक में शेष राशि के विवरण/रिकॉंसिलेशन दर्ज नहीं किए गए थे जो कि अनुचित था। अतः उपरोक्त

आपत्तियों का निराकरण करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) **बैंक में कम जमा करवाई गई राशियां :-**

(1) जी-8 पुस्तिका संख्या 46, रसीद नम्बर 16, दिनांक 13.8.04= ₹10.00 बैंक में जमा नहीं करवाए गए।

(2) दिनांक 3.12.04 को ₹1,67,921.00 की राशि प्राप्त हुई थी, जबकि बैंक में ₹1,67,911. 00 जमा करवाए गए =₹10.00 जमा नहीं करवाए गए।

(3) दिनांक 1.12.04 को वास्तविक प्राप्त राशि ₹1,928.00 थी जबकि कैश बुक/बैंक में ₹1,898.00 जमा करवाए गए थे (जी-8 संख्या 27,28,29, बुक नम्बर 54, ₹10.00 प्रति)=₹30.00 जमा नहीं करवाए गए।

कुल कम जमा=₹50.00

(VI)(3) प्लाटों व दुकानों/स्टालों की मांग एवं प्राप्ति (D&C Register) पंजिका का त्रुटि पूर्ण रख-रखाव :-

नगर परिषद नालागढ़ के प्लाटों व दुकानों/स्टालो के किराए की मांग व प्राप्ति पंजिका का रख-रखाव अत्यन्त त्रुटि पूर्ण किया गया था। अंकेक्षण अवधि 4/98 से 3/06 तक की मांग व प्राप्ति पंजिका में जो त्रुटियां पाई गई उनका संक्षिप्त विवरण निम्न सब-पैरों में दिया गया है जिनका समाधान/निराकरण करके निदेशालय को तुरन्त सूचित किया जाए।

(3)(1) नगर परिषद नालागढ़ द्वारा अपने क्षेत्र मे बनाई गई दुकानों व प्लाटों के किराए की वसूली/बढौतरी के लिए नियम बनाए गए थे, जिसमें प्रत्येक 3 वर्ष बाद दुकानों का किराया विभिन्न दरों/अनुपातों में व प्लाटो के ऐग्रीमैण्ट नवीनीकरण के लिए 25% की दर से प्रत्येक 5 वर्षों के लिए किराया बढ़ाने का प्रावधान था। जिसके लिए परिशिष्ट "म" का अवलोकन करें। किन्तु नगर परिषद नालागढ़ के कार्यकारी अधिकारी द्वारा उक्त परिशिष्ट के प्रावधानानुसार किराए की मांग में तीन वर्ष बाद/निर्धारित अवधि के भीतर बढ़ौतरी न करने के कारण प्रतिवर्ष लाखों रुपये की हानि हुई। अवधि 4/98 से 31.3.03 के मध्य 173 व तत्पश्चात 229 दुकानों व 78 प्लाट 31.3.06 तक किराए पर दिए गए थे जिनमें से अधिकांश दुकानों/प्लाटों के किराए में बढ़ौतरी प्रावधानानुसार न करने के कारण ₹20,00,000.00 की अनुमानतः हानि हुई।

(i) उदाहरण के लिए 50% दुकानों/प्लाटों में किराए की बढ़ौतरी न करने के कारण (i) 173+78=251/2=125 (वर्ष 4/98 से 3/99 की कुल मांग ₹18,70,102 x 10%

91

बढ़ौतरी=1,87,010 (Say ₹1,87,000.00) x 8 वर्ष (4/98 से 3/06)=14,96,000) जिसमें प्रत्येक 3 वर्ष ✓5 वर्ष बाद वृद्धि की जानी थी अर्थात इस प्रकार लगभग बीस लाख रुपये की हानि परिषद को हुई) जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित करके नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाए।

(ii) उदाहरण के लिए दुकाने क्रम संख्या 130 श्री बाबू राम पुत्र श्री रितु राम किराया पजिकानुसार 1.5.94 से 30.4.97 तक ₹1,400 मासिक किराया पर दी गई थी, जिसमें प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5% की दर से बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित थी। जिसके न करने के कारण केवल एक ही दुकान से ₹15,439.00 की हानि 1.4.98 से 31.3.06 तक किराया न बढ़ाने के कारण हुई।

@ ₹1400 x 5% = 1470 = ₹70 x 36 months (1-5-97 to 30-4-2000) = 2520

@ ₹1470 x 5% = 1544 =₹ 144 x 36 months (1-5-2000 to 30-4-2003) = 5184

@ ₹1544 x 5% = 1621 = ₹221 x 35 month (1-5-03 to 31-3-06) = <u>7735</u>

<u>Total Rupees = 15,439.00</u>

उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 126 से 131 तक के किराए में केवल 6 दुकानों का किराया न बढ़ाने के कारण ₹15439.00 x 6 = ₹92,634.00 की हानि हुई। जबकि लगभग 70% दुकानों/प्लाटों के किराए अंकेक्षण अवधि मे बढ़ाए नही गए थे। इसके अतिरिक्त परिषद को उक्त अनुमानतः 20 लाख की मांग न करने पर नगर परिषद द्वारा पारित आदेशानुसार दण्ड की राशि भी किराया नियत तिथि तक अदा न करने पर ₹1/– प्रतिदिन, प्रति प्लाट ₹1/– प्रतिदिन, प्रति पुरानी/छोटी दुकान व ₹5/– प्रतिदिन प्रति बड़ी दुकान से प्रत्येक मास की 10 तारीख के बाद प्राप्त होना था।

उक्त समस्त प्रकरण निदेशक, शहरी विकास विभाग के समस्त नियमानुसार उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(4) नगर परिषद नालागढ़ के वर्ष 4/98 से 3/06 की प्लाटों/दुकानों की किराया की मांग व प्राप्ति पंजिका का अंकेक्षण करते समय पाया गया व्यक्तिगत खातों का रख–रखाव अत्यन्त त्रुटिपूर्ण था। यहां तक कि 1.4.98 का आरम्भिक शेष भी ठीक नहीं उठाया गया था जो कि अंकेक्षण राशियां थी। इसके अतिरिक्त आरम्भिक शेष, मांग, प्राप्ति व अन्तिम शेष भी समस्त वर्षों के मेल नहीं खाते थे जिसके लिए अंकेक्षण करते समय किसी भी कर्मचारी द्वारा न तो अंकेक्षण को किसी प्रकार का सहयोग दिया गया और न ही समय पर वांछित नस्तियों/अन्य सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप 8 वर्षों के समस्त खातों की विस्तृत जांच की गई व राशियों (जमा, घटाव) में पाई गई भिन्नताओं को अन्तिम शेष अंकेक्षण द्वारा निकाले गए व अगले वर्ष आरम्भिक शेष लिए गए। जबकि नगर परिषद में केवल किराए की मांग व प्राप्ति पंजिका का रख–रखाव एक अनुभवी कर्मचारी द्वारा जिन्हें केवल यही कार्य स्वतंत्र रूप से सौंपा गया था, के

326391

द्वारा निष्पादित किया जा रहा था व परिषद में कार्य की मात्रा देखते हुए पर्याप्त मात्रा के स्टाफ उपलब्ध था। फलस्वरूप किसी भी कर्मचारी द्वारा कार्य निष्पादन में रूचि होती थी। दूसरी ओर किसी भी पंजिका को कभी भी कार्यरत कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, यहां तक की देखा भी नहीं होगा। कार्यकारी अधिकारी का दायित्व था कि वे समय–समय पर परिषद से महत्वपूर्ण प्राप्ति शीर्ष अभिलेख की जांच करते जिससे प्रतिवर्ष मांग में वृद्धि होती व नियत तिथि से निर्धारित प्रतिशत के आधार पर किराए में वृद्धि की जानी थी। जिससे परिषद की आय में वृद्धि होती, किन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने दायित्व का बिलकुल भी निर्वाह नहीं किया गया व सरकार से मिलने वाली अनुदान राशियों पर परिषद को निर्भर करवा दिया गया। उक्त प्रकरण विशेष रूप से निदेशक, शहरी विकास विभाग के ध्यान में लाया जाता है तथा विभागीय स्तर पर समय–समय पर परिषद लेखों के रख–रखाव का निरीक्षण किया/करवाया जाने से परिषद के कार्यकलाप में किसी स्तर पर इम्पररूवमैण्ट लाई जा सकती है व 20–30 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के अन्यन्त्र स्थानान्तरण करने से कार्य में शुद्धता लाई जा सकती है ऐसा अंकेक्षण का मत है।

(5) वर्ष 1998–99 की किराया पंजिका का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि श्री हरबिन्द सिंह, क्रमांक/दुकान नम्बर 58 का वर्ष 1997–98 का अन्तिम शेष ₹1,838 की राशि अगले वर्ष के आरम्भिक शेष में उठाई गई थी, किन्तु गणना में न लेकर वर्ष 1998–99 की मांग की राशि प्राप्त करके अन्तिम शेष "शून्य" दर्शाया गया था। इस प्रकार व्यक्ति विशेष को लेखापाल द्वारा अनुचित लाभ पहुंचाने व परिषद निधि हानि पहुंचाई गई थी, जिसका दायित्व निर्धारित करके नियमानुसार किए गए प्रावधानानुसार दण्ड शुल्क की वसूली की गणना करके 1.4.1998 से 31.3.2008 तक करके परिषद निधि में जमा करवाई जाए। इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में भी गलत गणना की गई। राशियों को आगामी वर्षों के आरम्भिक शेषों में वर्षानुगत–वर्ष अंकेक्षण द्वारा उठाकर 31.3.2008 के अन्तिम शेषों में दर्शाया गया है जिसे 1.4.08 को आरम्भिक शेष दर्शाया जाना कार्यकारी अधिकारी सुनिश्चित करें तथा निदेशालय को यथा समय प्रमाणित करके सूचित किया जाए कि "अंकेक्षण द्वारा निकाले गए अन्तिम शेषों को सम्बन्धित खातों में 1.4.08 को आरम्भिक शेष कालम 4 में दर्शाया गया है तथा वार्षिक माँग कॉलम 5 में दर्शाकर कॉलम 6 में दोनों राशियों का योग दर्शाकर योग कॉलम 45 की कुल प्राप्त राशि को घटाकर कॉलम 47 में शेष राशियां दर्शाकर वार्षिक योग करके, उनका मिलान करके जैसा कि अंकेक्षण के दौरान समझाया गया था, उन्हें कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है।"

(6) जमा/घटाव की गलतीयों के कारण व गत शेषों को आरम्भिक शेष को गणना में न लेने के कारण दिनांक 4/99 से 31.3.2006 तक कुल राशि ₹10,24,701.00 की क्षति :—

अंकेक्षण अवधि 1.4.98 से 31.3.2006 तक अंकेक्षण द्वारा जिन–जिन खातों की आरम्भिक शेषों, माग, प्राप्ति न अन्तिम शेषो में कम दर्शाई गई राशिया पाई गई का विवरण निम्न है, जो कि परिषद कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी की कर्तव्य निष्ठा स्पष्ट करती है। दायित्व निर्धारित करके इन राशियों पर परिषद के प्रावधानानुसार दण्ड की राशि विभागीय स्तर पर गणना करके वसूली की जाए व परिषद निधि में जमा करवाई जाए तथा आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाए:–

Year 1998-99 to 31-3-2006

ShopNo	Name	Amount	Year
17	सर्व श्री हेम राम	60.00	1998–99
55	श्री हरविन्द्र सिंह	1,838.00	1998–99
159	श्री आतिश राजदेव	2,135.00	2000–01
37	श्री रणवीर सिंह	146.00	2001–02
48	श्री बलबिन्द्र सिंह	200.00	2001–02
33	श्री महावीर सिंह	300.00	2001–02
34	श्री अब्दुल जवाहर	563.00	2001–02
36	एच0आर0टी0सी	1,800.00	2001–02
37	एच0आर0टी0सी	1,800.00	2001–02
48	श्री नत्थु राम	50.00	2001–02
80	श्री प्रीतम सिंह	66.00	2001–02
93	श्री ओम प्रकाश	194.00	2001–02
95	श्री विनीत कौशल	360.00	2001–02
120	श्री दिलबाग सिंह	1,680.00	2001–02
123	श्री भाग सिंह	584.00	2001–02
124	श्री सुरजन सिंह	500.00	2001–02
138	श्री अमर चन्द	35.00	2001–02
152	श्री नन्द लाल	26,400.00	2001–02
159	श्री आतिश राज देव	3,085.00	2001–02
8	सुश्री सुरैया बेगम	56.00	2002–03
33	श्री महावीर सिंह	330.00	2002–03
34	श्री अब्दुल जवाहर	1,538.00	2002–03
45	श्री छोटे लाल	714.00	2002–03
47	श्री सुरत राम	736.00	2002–03
48	श्री नत्थु खान	6,557.00	2002–03
51	अरूणी पाठक	770.00	2002–03
52	श्री जोगिन्द सिंह	700.00	2002–03
80	श्री प्रीतम सिंह	132 .00	2002–03
88	श्री बाबू राम	37.00	2002–03
91	श्री सर्वजीत सिंह	497.00	2002–03
92	श्री ओंकार चन्द	132 .00	2002–03

125	श्री सुरेन्द्र सिंह	1,952.00	2002–03
141	श्री प्रेम सिंह	36.00	2002–03
162	श्री खमीन्द्र सिंह	9,980.00	2002–03
	2003–04		
6	श्री पवन कुमार	1,032.00	2003–04
12	श्री अवतार सिंह	400.00	2003–04
35	हिमाचल खादी आश्रम	26.00	2003–04
33	श्री दलबीर सिंह	300.00	2003–04
45	श्री छोटे लाल	714.00	2003–04
47	श्री सुरत राम	735.00	2003–04
51	श्री अरूणा पाठक	828.00	2003–04
54	श्री सुरिन्द्र सिंह	772.00	
59	श्री रमजान मुहम्मद	80.00	
100	श्री रंगी राम	601.00	
62	श्री राकेश कुमार	100.00	
74	श्री राम पाल	408.00	
75	श्री राजेश कुमार	756.00	
80	श्री प्रीतम सिंह	132.00	
81	श्री लक्ष्मण दास	3,254.00	
84	श्री धर्मेन्द्र पाल	744.00	
88	श्री इन्द्रजीत सिंह	1,242.00	
89	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री शारदा	1,364.00	
90	मै0 रमेश चन्द पुत्र श्री अनिल	1,364.00	
91	श्री सर्वजीत सिंह	1,349.00	
92	श्री ओमकार चन्द	132.00	
95	श्री विनीत कौशल	360.00	
96	श्री भुवनेशवर दत्त	240.00	
97	श्री प्रवीण कुमार	240.00	
98	श्री धीरज कुमार	240.00	
99	श्री अरवीलाल	240.00	
100	श्री महेश चन्द	315.00	
103	श्री मनजीत सिंह	1,701.00	
104	श्री गुरदयाल सिंह	1,701.00	
105	श्री गुरदेव सिंह	1,701.00	
106	श्री मसीता	1,617.00	
107	श्री नौदरिया राम	1,701.00	
108	महिन्द्र सिंह	1,701.00	
109	श्री भगत राम	1,701.00	
110	श्री गुरदेव सिंह	1,701.00	
111	श्री हरभजन सिंह	1,701.00	
112	श्री प्यारा सिंह	1,701.00	
113	श्रीमति प्रकाश कौर	567.00	
114	श्री मेहर चन्द	781.00	
115	श्री धनीराम	567.00	
116	श्री दीप कुमार	567.00	

117	श्री राम शरण	567.00
118	श्री अशोक कुमार	567.00
119	श्री राकेश कुमार	639.00
120	श्री दिलबाग सिंह	967.00
121	श्री सतीश कुमार	567.00
122	श्री राम सिंह	450.00
123	श्री भाग सिंह	1,034.00
125	श्री सुरिन्द सिंह	1,752.00
136	श्री अमर चन्द	35.00
149	श्री नरिन्द कुमार	75,600.00
152	श्री सतीश कुमार	1,502.00
	श्री राकेश कुमार	6,950.00
159	श्री आतिश राज देव	3,035.00
162	श्री खमीन्द सिंह	9,980

2004-05

7	सर्व श्री शिव गोपाल	216.00
8	श्रीमति सरैया बेगम	56.00
10	श्री हरपाल सिंह	300.00
15	श्री श्रीपाल जैन	180.00
28	श्री अरविन्द सिंह	1,120.00
33	श्री दलबीर सिंह	568.00
38	श्री खुशी राम	512.00
45	श्री छोटे लाल	714.00
47	श्री सुरत राम	735.00
54	श्री सुरिन्द्र सिंह	2,135.00
56	श्री परमजीत सिंह	30,885.00
59	श्री रमजान मुहम्मद	80.00
60	श्री राजीव कुमार	1,601.00
62	श्री राकेश कुमार	1,975.00
70	श्री राम पाल पुत्र **श्री हजर सिंह**	215.00
74	श्री राम पाल पुत्र **श्री नगछिया**	816.00
75	श्री राजेश कुमार	1,176.00
76/77	डी0एम0ई0 कम्पनी ठेका शराब	36,000.00
79	श्री कृष्ण चन्द	2,778.00
80	श्री प्रीतम सिंह	132.00
81	श्री लक्ष्मण सिंह	3,854.00
83	श्री मोहन लाल	933.00
84	श्री धर्मेन्द्र पाल	744.00
85	श्री लाल चन्द	3,300.00
86	श्री बाबू राम	148.00
87	श्री हरविन्द्र सिंह	17,199.00
88	श्री इन्द्रजीत सिंह	19,299.00
89	श्री रमेश चन्द पुत्र **श्री सरदा राम**	2,108.00
90	श्री रमेश चन्द पुत्र **श्री अनिल कुमार**	2,108.00
91	सर्वजीत सिंह	1,349.00
92	श्री ओंकार चन्द	132.00

94	श्री महिन्द्र सिंह	375.00
95	श्री विनीत कौशल	360.00
96	श्री भुवनेशवर दत्त	240.00
97	श्री प्रवीण कुमार	240.00
99	श्री हरबिलास	240.00
100	महेश चन्द	488.00
101	श्री प्रीतम चन्द	4,941.00
102	श्री बीर सिंह	3,645.00
103	श्री मनजीत सिंह	1,701.00
104	श्री गुरदयाल सिंह	7,741.00
105	श्री गुरदेव सिंह	2,641.00
106	श्री मसीता	1,617.00
107	श्री नौदरिया राम	34,686.00
108	श्री महिन्द्र सिंह	1,701.00
109	श्री भगत राम	1,701.00
110	श्री गुरदेव सिंह	1,701.00
111	श्री हरभजन सिंह	2,121.00
112	श्री प्यारा सिंह	1,701.00
113	श्रीमति प्रकाश कौर	667.00
114	श्री मेहर चन्द	1,310.00
115	श्री धनीराम	567.00
116	श्री दीप कुमार	1,050.00
117	श्री राम शरण	567.00
118	श्री अशोक कुमार	567.00
119	श्री राकेश कुमार	1,059.00
120	श्री दिलबाग सिंह	1,953.00
121	श्री सतीश कुमार	567.00
122	श्री राम सिंह	460.00
123	श्री भाग सिंह	2,720.00
125	श्री सुरिन्द सिंह	3,271.00
126	श्री अर्जुन सिंह	4,200.00
128	श्री अजय अवस्थी	1,600.00
130	श्री बाबू राम	1,400.00
133	श्री सतीश कुमार	1,866.00
134	रंजना गुप्ता	1,066.00
135	डा0 शारदा गर्गिया	3,732.00
136	डा0 शारदा गर्गिया	3,732.00
137	डा0 संजय गुप्ता	756.00
138	श्री दीपक पुरी	464.00
[illegible]	श्री विनोद कुमार	1,716.00
[illegible]	श्री आदित्य राजदेव	3,0[illegible]
[illegible]	श्री अशोक कुमार	94,224.00
[illegible]	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रतन लाल	26,3[illegible]
[illegible]	श्री सुरेन्द्र सिंह	2,050
191	श्री [illegible] अवस्थी	1,200.00

प्लोट 19	श्री राम सिंह	30.00
18	जिला पटियाला खादी ग्रामोद्योग	1,156.00
17	श्री पवन जीत	1,728.00
20	श्री संजीव कुमार	3,744.00
24	श्री शिव कुमार	4,224.00
36	श्री प्रेम प्रकाश	156.00
38	श्री दीपक चन्द	6,627.00
39	श्री अजीत पाल जैन	7,087.00
41	श्री नरेन्द्र सिंह	92,361.00
54	श्री कपिल शर्मा	220.00
57	श्री रूप लाल	775.00
58	एम0एस जीत सिंह जसवन्त सिंह	442.00
59	श्री विक्रम जैन	334.00
60	श्री सुभाष स्टोर नालागढ़	434.00
62	श्री टेक चन्द	490.00
68	श्री पदम चन्द	895.00
69	श्री राज कृष्ण	140.00
70	श्री हरविन्द्र सिंह	190.00
5	सर्व श्री अमृत लाल जैन	734.00
7	श्री शिव गोपाल	2,330.00
10	श्री हरपाल	300.00
15	श्री श्रीपाल जैन	180.00
26	श्री सोम नाथ	660.00
28	श्री अरविन्द	1,120.00
33	श्री दलवीर सिंह	288.00
45	श्री छोटे लाल	714.00
59	श्री रमजान मुहम्मद	80.00
66	श्री रामकृष्ण	2,160.00
70	श्री राम पाल	218.00
76/77	मैं0 राणा एण्ड को0	36,000.00
79	श्री कृष्ण चन्द	2,778.00
94	श्री महिन्द्र सिंह	2,296.00
109	श्री भगत राम	3,348.00
118	श्री अशोक कुमार	1,245.00
135	शारदा गर्गिया	3,732.00
136		3,732.00
148	श्री दीपक पुरी	484.00
150	श्री विनोद कुमार	7,269.00
152	श्री राकेश कुमार	30,600.00
152	श्री नन्द लाल	6,960.00
155	श्री तरसेम लाल	9,960.00
159	श्री आतीश राजदेव	18,515.00
160	श्री कैहर सिंह	3,838.00
162	श्री रविन्द्र सिंह	15,148.00
166(ए)	श्री अशोक कुमार	94,224.00

166	श्री राजेश कुमार	5,514.00
170	श्री राकेश कुमार	3,956.00
173	श्री अशोक कुमार	28,382.00
174	श्री हरी कृष्ण	32,226.00
182(ए)	श्री भूपेन्द सिंह	2,060.00
191	श्री अजय अवस्थी	13,760.00
217(ए)	श्री भूपेन्द सिंह	1,900.00
	G.Total	10,24,701.00

(VI) Rent 1999-2000 :-

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री ईन्द जीत सिंह स्टॉल/दुकान नम्बर 162, दिनांक 1.4.97 से 29.2.98 तक 11 माह के लिए ₹1,400.00 मासिक किराए पर दी गई, जिसे उसने 30.9.99 को खाली करके नगर पालिका को सौंप दिया तथा दिनांक 1.10.99 को किए गए इकरारनामे की शर्त 4–5 में किराए की बकाया राशि ₹40,600.00 शेष राशि की अदायगी ₹4,000.00, प्रतिमाह की 10 तारीख तक जमा करने का बचन दिया था तथा किराया अदा न करने की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम 89(1) के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अधिकार दिया। किन्तु उपरोक्तानुसार श्री राकेश कुमार ने कोई किराया अदा नहीं किया न ही पालिका द्वारा कोई कार्रवाई की गई जिसे स्पष्ट किया जाए।

दिनांक 3.11.03 को जी'–8 संख्या 51/20 द्वारा ₹10,000.00 जमा करवाए गए व सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उक्त वर्ष 1999–2000 की पंजिका में राशि शून्य शेष दर्शाकर अगले वर्षों में बकाया राशि नहीं दर्शाई गई। इस प्रकार के अन्य अनेकों मामले अंकेक्षण में सामने आए जिनकी प्रविष्टियां अंकेक्षण अवधि 4/98 से 3/08 तक के वार्षिक खातों में अंकेक्षण द्वारा करके शेष राशि के रूप में वर्षानुगत–वर्ष दर्शाकर की गई। अतः कार्यकारी अधिकारी स्पष्ट करे कि इसका रख–रखाव नियमानुसार/प्रावधानानुसार क्यों नहीं किया गया।

(VII) मांग व प्राप्ति पंजिका वर्ष 2001–2002, क्रमांक 47(प्लाट) को ट्रांसफर करने के कारण ₹10,000.00 की हानि :–

नगर पालिका द्वारा प्लाट/दुकान को एक व्यक्ति के नाम से दूसरे व्यक्ति के नाम करने पर ₹10,000.00 ट्रांसफर शुल्क लिया जाना निर्धारित किया गया था, किन्तु प्लाट नम्बर 47 श्री बाल कृष्ण बस्सी पुत्र श्री प्यारे लाल के नाम से उनके बेटे श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बाल कृष्ण के नाम किया गया किन्तु ट्रांसफर शुल्क नहीं वसूला। क्या प्लाट को पुश्तैनी अर्थात सदा के लिए किराए पर दिया जाता है, अन्यथा ट्रांसफर शुल्क प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Rent 2004-2005 P-64 D&C :-

(1) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रत्न लाल दुकान नम्बर 166 से 30.6.04 तक का @1812/- प्रतिमाह किराया गत शेष सहित ₹94,224.00 प्राप्त किया जाना शेष था तथा दिनांक 1.6.04 को

यही दुकान श्री महेश कुमार पुत्र श्री दीपक चन्द को ₹1,000.00 पर दी गई जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

(1) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रत्न लाल से 30.5.04 तक के ₹94,224.00 की मांग करके खाता बन्द कर दिया गया व अन्तिम शेष नही वसूला गया। जिसका दायित्व निर्धारित किया जाए व वसूली हेतु नियमानुसार पग उठाए जाएं।

(2) श्री अशोक कुमार को 30.5.04 तक यह दुकान ₹1,812.00 प्रतिमाह किराए पर दी गई थी व दिनांक 1.6.04 को यही दुकान श्री महेश कुमार को ₹1,000.00 मासिक किराए पर देने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Rent 2004-2005 P-65 D&C :-

(2) दुकान नम्बर 173, दिनांक 31.5.04 तक श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रत्न लाल के पास दिनांक 15.11.99 से ₹1,813.00 मासिक किराया पर थी, जिससे 31.5.04 तक गत शेष ₹21,756.00 सहित 2 माह का किराया ₹3,626.00 कुल ₹25,382.00 न तो उन द्वारा जमा करवाए गए न ही D&C में मांग करके शेष दर्शाए गए। अतः HPM Act 1994 की धारा 89 के अनुसार वसूली सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्तानुसार दुकान नम्बर 173 ₹1,813.00 मासिक किराए पर थी, जिससे दिनांक 1.6.04 से श्री अजैब सिंह राणा को मात्र ₹1,175.00 मासिक किराए पर दिया गया, जिसे स्पष्ट करें कि जिस दुकान को 15.11.99 से ₹1,813.00 मासिक किराए पर दिया गया था उसे किस आधार पर 1.6.04 को ₹1,175.00 मासिक किराए पर दिया गया जबकि बाजार दरें बडी हैं घटी नही, अतः पालिका निधि को पहुंचाए गए नुकसान का दायित्व निर्धारित करके भरपाई की जाए।

(3) दुकान नम्बर 182 श्री भूपेन्द्र सिंह से वर्ष 2003—04 के ₹2,060.00 की मांग 1.4.05 को नहीं की गई थी व जबकि इससे 20.5.04 तक खाली करने की तिथि तक की मांग भी वर्ष 2004—05 की नहीं की गई थी। अतः ₹2,060.00 प्रतिमाह की दर से 20.5.04 तक के किराए की वसूली करके पालिका निधि में जमा करवाया जाए।

<u>₹2060 + ₹2060 + ₹1323 = ₹5423 वसूली</u>

(4) दुकान नम्बर 217 श्री महिन्द्र सिंह शान्त, पुत्र श्री राम सिंह को ₹1,900.00 मासिक किराया पर दी गई थी जिसको दौबारा 1.6.04 से श्री महेश चन्द को किराए पर ₹1,075.00 प्रतिमाह पर दिया। श्री महिन्द सिंह से माह मई, 2004 के किराए की न तो वसूली की गई और न ही अन्तिम शेष दर्शाया गया था।

यही दुकान श्री महेश चन्द को 1.6.04 से ₹1,075 प्रतिमाह किराए पर दी गई जिसकी पहली किश्त जून से जनवरी तक के ₹8,600.00, 8 माह का किराया जी–8, 73/60, दिनांक 24 1.05 को अदा किया गया। किन्तु निर्धारित दण्ड शुल्क 1.6.04 से 23.1.05 तक उक्त दुकानदार से वसूला नही गया था स्पष्ट करें।

Rent 2005-2006 :-

वर्ष 2003–04 का दुकान नम्बर 76,77 मै0 राणा कम्पनी, ठेकेदार शराब देसी/अंग्रेजी के ₹12,000.00 प्रतिमाह की दर से ₹36,000.00 वसूले जाने शेष थे, उक्त राशि की मांग वर्ष 2004–05 व 2005–06 में नहीं की गई थी, न ही वसूली की गई थी। कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष ऐसा ही किया जाता रहा जबकि इसकी वसूली प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व कर लेनी अपेक्षित थी। परन्तु उक्त दुकान प्रतिवर्ष दूसरे शराब ठेकेदार को किराए पर दे दी जाती रही व लम्बित राशि की वसूली न करके आगामी वर्ष में गत शेष की मांग D&C पंजिका में दर्ज ही नही की जाती रही। परिणामस्वरूप दुकान नम्बर 76/77 का वर्ष 2003–04 का 31.3.04 के बकाया ₹36,000.00 की मांग मांग D&C पंजिका वर्ष 2004–05 व 2005–06 में दर्ज ही नहीं की गई, जिसका दायित्व निर्धारित करके वसूली की जाए। अन्यथा नगर पालिका अधिनियम की धारा 89 के अन्तर्गत तुरन्त आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाए व तदानुसार निदेशालय को सूचित किया जाए।

(VIII) ₹19,615.00 मूल्य के भण्डार का व्यक्तिगत हित में संभावित दुर्विनियोजन :–

स्टॉक पंजिकाए :–

स्टॉक पंजिका संख्या 104 (Register Of Movable Property)

स्टॉक पंजिका संख्या 104 को चैक करते समय पाया गया कि निम्न वस्तुएं/सामान पालिका निधि से खरीद कर नगर पालिका रैस्ट हाऊस के नाम पंजिका के पृष्ठ 20 में दर्ज किया गया था। किन्तु किसी भी कर्मचारी/चौकीदार के नाम जारी न करके **Issued to Rest Houst** लिखा गया था जिसमें किसी भी कर्मचारी के हस्ताक्षर नहीं थे। यह सामान रैस्ट हाऊस के नाम खरीद/जारी करके नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के आवास जो कि नगर परिषद के रैस्ट हाऊस में V.I.P सैट में रहते है को दैनिक उपयोग के लिए पालिका निधि से खरीदकर उपलब्ध करवाया गया था, जिसे नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा पालिका निधि के दुर्विनियोजन का दायित्व निर्धारित करके अनुचित व्यय की वसूली करके निधि में जमा करवाई जाए व नियमानुसार दोषी व्यक्ति के विरूद्ध उचित कार्रवाई करके निदेशालय को सूचित किया जाए :–

स्टाक पंजिका क्रमांक	वस्तु का नाम	अपूर्तिकर्ता का नाम	बिल संख्या व तिथि	राशि
153	रैफ्रीजरेटर एक (कैलविनेटर 210 लीटर)	मै० पम्मी ऐन्टरप्राईजिज समीप बस स्टैंड नालागढ़	180 दिनांक 17.4.00	₹11,800.00
154	एक कूलर खैतान (Desert Cooler)	मै० पम्मी ऐन्टरप्राईजिज समीपन बस स्टैंड नालागढ़	115 दिनांक 2.5.00	₹3,150.00
162	एक लोहे की अल्मारी (78" x 38" x 24")	खादी आश्रम नालागढ़	2863 दिनांक 8.6.01	₹3,566.00
163	छत का पंखा 48" ओरटैम	मै० बन्देल इलैक्ट्रीकलस रोपड़ रोड़ नालागढ़	1096 दिनांक 26.6.01	₹1,100.00
				₹19,616.00

5(1) **स्थापना** :–

व्यतीत किए गए अवकाश की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज न किए जाने के फलस्वरूप सम्भावित क्षति बारे।

नगर परिषद के कर्मचारियों की हाजरी पंजिका की छानबीन दौरान यह पाया गया कि कुछ कर्मचारी जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है की हाजरी पंजिका में अवकाश लगाई गई थी, परन्तु सम्बन्धित अवकाश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में नहीं किया गया था। स्पष्ट करे कि क्यों सम्बन्धित अवकाश का इन्द्राज सेवा पुस्तिका में नहीं किया गया था। सेवा पुस्तिका में अवकाश को दर्ज न करना सम्भवतः राशि का गबन समझा जाना चाहिए क्योंकि इन अवकाश के बदले सेवा निवृत होने पर कुल भुगतान राशि के रूप में किया जाता है। अतः कुल अवकाश जो 975 थे के बदले में Average Salary के रूप में भी भुगतान किया जा सकता है जो अनियमित है व परिषद के फण्ड से अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना पड़ेगा जो पूर्णतः अनियमित एंव अवैध है।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पद	गैर हाजिर/अवकाश	दिन
1	श्री किशोरी लाल	सफाई सेवक	4.7.1998	1/2
2	श्री महेन्द्र पाल	सफाई सेवक	22/23.7.98	2
3	श्री सतपाल	सफाई सेवक	13,14,25.7.98	3
4	श्री भिखारी	सफाई सेवक	14.7.98	1
			16.7.98	1/2
5	श्री महेन्द्र सिंह	सफाई सेवक	10.7.98	1

32640

6	श्रीमति देवकी	सफाई सेवक	22.7.98	1/2
7	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	22.7.98	1/2
8	श्री नात्थू राम	सफाई सेवक	13.4.98	1
9	श्री किशोरी लाल	सफाई सेवक	13.4.98	1
			20.4.98	1/2
			21.4.98	1/2
10	श्री देस राज	सफाई सेवक	29,30.4.98	2
11	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	27.4.98	1
12	श्री मोहिन्द पाल	सफाई सेवक	1.4.98	1/2
13	श्री गिरधारी लाल	सफाई सेवक	3.4.98	1/2
			4,13.4.98	2
14	श्री मोहिन्द्र सिंह	सफाई सेवक	6.4.98	1
15	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	1 से 15.4.98	15
16	श्री केसर	सफाई सेवक	7.4.98	1
17	श्रीमति देवकी	सफाई सेवक	7.4.98	1
18	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	3,4,16,17,18,20,21,26,29, 30. 4.98	10
19	श्री सतपाल	सफाई सेवक	30.4.98	1
20	श्री मोहिन्द पाल	सफाई सेवक	15,16,27.5.98	3
21	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	1,3,5.5.98	3
22	श्री मोहिन्द्र सिंह	सफाई सेवक	23.5.98	1
23	श्री केसर	सफाई सेवक	5.5.98	1
24	श्रीमति कमला	सफाई सेवक	30.5.98	1
25	श्रीमति देवकी	सफाई सेवक	2,5.5.98	2
			23.5.98	1/2
			26.5.98	1/2
			30.5.98	1/2
26	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	1 से 30.6.98	30
27	श्री सतपाल	सफाई सेवक	1,4,16,19,23,24.6.98	6
28	श्री गिरधारी लाल	सफाई सेवक	26.5.98	1/2
			26.6.98	1
29	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	1.6.98	1
			26.6.98	1
30	श्री केसर	सफाई सेवक	2,9.6.98	1/2+1/2=1

31	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	2.6.98	1
			8.6.98	1/2
32	श्रीमति देवकी	सफाई सेवक	19.6.98	1/2
			4,19.6.98	2
			20.6.98	1/2
33	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	1.6.98 से 30.6.98	30
34	श्री किशोरी लाल	सफाई सेवक	7.8.98	1
35	श्री सोहन लाल	सफाई सेवक	3,4,29.8.98	3
			12.8.98	1/2
36	श्री राजिन्द्र	सफाई सेवक	27.8.98	1/2
			31.8.98	1
37	श्री सतपाल	सफाई सेवक	7.8.98	1/2
			12.8.98	1/2
			13.8.98	1/2
			20.8.98	1/2
			25.8.98	1/2
			28.8.98	1/2
			21,27.8.98	2
38	श्री गिरधारी लाल	सफाई सेवक	13.8.98	1/2
			17.8.98	1/2
			27.8.98	1/2
			28.8.98	1/2
			29,31.8.98	2
39	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	13.8.98	1
40	श्री केसर	सफाई सेवक	12.8.98	1
41	श्रीमति कमला	सफाई सेवक	25.8.98	1/2
			26.8.98	1
42	श्री देस राज	सफाई सेवक	4,5.9.98	2
43	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	3,8,18,24,25,30.9.98	6
			26.9.98	1/2
44	श्री मोहिन्द्र पाल	सफाई सेवक	28,30.9.98	2
45	श्री सतपाल	सफाई सेवक	1.9.98	1
46	श्री केसर	सफाई सेवक	19.9.98	1
47	श्रीमति कमला	सफाई सेवक	5.9.98	1/2

48	श्री किशोरी लाल	सफाई सेवक	20,22.10.98	2
			31.10.98	1/2
49	श्री देस राज	सफाई सेवक	20.10.98	1
50	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	23.10.98	1
			24.10.98	1/2
			31.10.98	1/2
51	श्री गिरधारी	सफाई सेवक	26.10.98	1
52	श्री मोहिन्द सिंह	सफाई सेवक	20,29.10.98	1
			30.10.98	1/2
53	श्री देवकी	सफाई सेवक	8,9,10,12,20.10.98	5
54	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	10,12,21,23.10.98	4
55	श्री देव राज	सफाई सेवक	30.11.98	1
56	श्री सतपाल	सफाई सेवक	2,24.11.98	2
57	श्री गिरधारी	सफाई सेवक	3,28.11.98	2
58	श्रीमति गरीबो	सफाई सेवक	30.11.98	1
59	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	5,6,7,11,12,13.11.98	6
60	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	24.11.98	1/2
61	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	1,2,7,11,22,23,24,26, 31.12.98	9
62	श्री राजिन्द्र कुमार	सफाई सेवक	16.12.98	1
63	श्री सतपाल	सफाई सेवक	3.12.98	1/2
			4,8,9,11,26.12.98	5
64	श्री गिरधारी लाल	सफाई सेवक	9,10,11,14,15,26.12.98	6
65	श्री मोहिन्द सिंह	सफाई सेवक	4,9,10,11,18.12.98	5
66	श्री केसर	सफाई सेवक	11,15,22.12.98	3
67	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	1,2,3,4.12.98	4
			14.12.98	1/2
			23.12.98	1/2
68	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	1,2,3,4,10,11,14,17,18,19.12.98	10
69	श्री देव राज	सफाई सेवक	8.1.99	1
70	श्री राजेन्द्र कुमार	सफाई सेवक	22.1.99	1/2
71	श्री मोहिन्द सिंह	सफाई सेवक	16,22.1.99	2
72	श्री केसर	सफाई सेवक	5,12,13,15,16,19,20,22.1.99	8
73	श्री कमला	सफाई सेवक	6,7,15.1.99	3
74	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	6,27,28,30.1.99	4

75	श्रीमति देवकी	सफाई सेवक	4,5,6.1.99	3
76	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	7 से 30.1.99	24
77	श्री देव राज	सफाई सेवक	5.2.99	1/2
			15,19,24.2.99	3
78	श्री राजिन्द	सफाई सेवक	25,26,27.2.99	3
79	श्री सतपाल	सफाई सेवक	8,11,19,20,25,26,27.2.99	7
			24.2.99	1/2
80	श्री गिरधारी	सफाई सेवक	19,20.2.99	2
81	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	19,20,22,23,24,25,26.2.99	7
82	श्री मोहिन्द सिंह	सफाई सेवक	10,11.2.99	2
83	श्री केसर	सफाई सेवक	3.2.99	1
84	श्रीमति कमला	सफाई सेवक	24.2.99	1
85	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	2,5,27.2.99	3
86	श्रीमति देवकी	सफाई सेवक	1 से 10.2.99 15 से 18.2.99 24,25.2.99	16
87	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	1,2,4,5,6,8,11,12,20,24.2.99	10
88	श्री किशोरी लाल	सफाई सेवक	15,16.3.99	2
89	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	1,3,8,10,11,15,16,22,26,27.3.99	10
90	श्री सतपाल	सफाई सेवक	9,5,10,11,23,26,27,30,31.3.99	9
91	श्री गिरधारी	सफाई सेवक	20,27,30.3.99	3
92	श्रीमति अमरो	सफाई सेवक	17,18,20,24.3.99	4
93	श्री केसर	सफाई सेवक	3,4.3.99	2
94	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	3 से 15.3.99 26 से 31.3.99	19
95	श्री किशोरी लाल	सफाई सेवक	8,9,21 से 23.4.99	5

96	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	5,21,22,23.4.99	4
97	श्री सतपाल	सफाई सेवक	8,12,19,20,22,23.4.99	6
98	श्रीमति अमरो	सफाई सेवक	13,29.4.99	2
99	श्रीमति देवकी	सफाई सेवक	17.4.99	1
100	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	8.4.99 1 से 30.4.99	1/2 30
101	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	17.4.99	1
101	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	18,22,24.5.99	3
102	श्री केसर	सफाई सेवक	24,25.5.99	2
103	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	24.5.99	1
104	श्रीमति देवकी	सफाई सेवक	24.5.99	1
105	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	1 से 31.5.99	31
106	श्रीमति अमरो	सफाई सेवक	24.5.99	1
107	श्री किशोरी लाल	सफाई सेवक	4.6.99	1/2
108	श्री सोहन लाल	सफाई सेवक	4.6.99	1/2
109	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	16,28.6.99 14.6.99 19.6.99 23.6.99 26.6.99	2 1/2 1/2 1/2 1/2
110	श्री मोहिन्द सिंह	सफाई सेवक	28,29.6.99	2
111	श्री केसर	सफाई सेवक	23,24,25.6.99	3

112	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	22,23.8.99	2
113	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	1 से 18.8.99	18
114	श्री किशोरी लाल	सफाई सेवक	3,12 से 17.7.99 19,20.7.99	9
115	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	19 से 23.7.99 28 से 31.7.99 2,7 से 8.7.99 12 से 17.7.99	22
116	श्री सतपाल	सफाई सेवक	7,8,9,13 15.7.99	5
117	श्रीमति अमरो	सफाई सेवक	9.7.99	1/2
118	श्री गिरधारी	सफाई सेवक	13,22,27,28.7.99	4
119	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	19,20,22,24,26 से 30.7.99	9
120	श्री केसर	सफाई सेवक	8 से 9.7.99	2
121	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	3,5,6,7,8,15.7.99	6
122	श्रीमति देवकी	सफाई सेवक	1 से 14.7.99 26 से 27.7.99	16
123	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	2 से 9,13,19,20,23,26,29.7.99	14
124	श्री महेन्द पाल	सफाई सेवक	4.8.99	1
125	श्रीमति अमरो	सफाई सेवक	4.8.99	1
126	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	10,11,21.8.99	3
127	श्रीमति कमला	सफाई सेवक	3.8.99 4.8.99	1/2 1/2
128	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	2 से 4.8.99, 6,7,9,11,12, 13,19,20,21,26,27,28, 30.8.99	16
129	श्री सोहन लाल	सफाई सेवक	20 से 24.9.99	5

41
32540

130	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	1 से 30.9.99	30
131	श्री राजिन्द कुमार	सफाई सेवक	20 से 24.9.99	5
132	श्री सतपाल	सफाई सेवक	2,8,20 से 24, 29.9.99	8
133	श्री गिरधारी	सफाई सेवक	6 से 10.9.99 20 से 24.9.99	10
134	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	4,13,14,18,20 से 24, 29.9.99	10
135	श्री मेहर सिंह	सफाई सेवक	2,10,13,20 से 24, 27.9.99	9
136	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	1,2,6से 10,20, से 24, 28 से 30.9.99	15
137	श्रीमति देवकी	सफाई सेवक	20 से 24.9.99	5
138	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	2 से 7,13,14,16 से 24, 28,30. 9.99	19
139	श्री देस राज	सफाई सेवक	18,29.10.99	2
140	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	8,12,20,22.10.99	4
141	श्री सोहन लाल	सफाई सेवक	18.10.99	1
142	श्री राजेन्द	सफाई सेवक	4,11,12,25,26.10.99	5
143	श्री मोहिन्द्र पाल	सफाई सेवक	20,29.10.99	2
144	श्री सतपाल	सफाई सेवक	4 से 20,23.10.99	18
145	श्री गिरधारी	सफाई सेवक	18,23.10.99	2
146	श्रीमति अमरो	सफाई सेवक	27.10.99	1
147	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	11,12,16,27.10.99	4
148	श्री केसर	सफाई सेवक	1,27.10.99	2

149	श्रीमति कमला	सफाई सेवक	23.10.99	1/2
150	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	26.10.99	1
			1,4,11 से 16,29.10.99	9
151	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	1,3,4,8,12,16,20,27,29, 30.10.99	10
152	श्री किशोरी लाल	सफाई सेवक	9,22 से 30.11.99	10
153	श्री सोहल लाल	सफाई सेवक	6,9,11,12,30.11.99	5
154	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	4,6,8,9,15,16,17,22,24, 30.11.99	10
			11.11.99	1/2
			12.11.99	1/2
			29.11.99	1/2
155	श्री राजेन्द्र कुमार	सफाई सेवक	9,12,24,30.11.99	4
			29.11.99	1/2
156	श्री सतपाल	सफाई सेवक	5,11,18.11.99	3
157	श्री गिरधारी	सफाई सेवक	25.11.99	1
158	श्रीमति अमरो	सफाई सेवक	3,5,6,19,20,30.11.99	6
159	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	8,24.11.99	2
			6.11.99	1/2
			27.11.99	1/2
160	श्री मोहिन्द्र सिंह	सफाई सेवक	8,20.11.99	2
			19.11.99	1/2
161	श्री सन्तोष	सफाई सेवक	29.11.99	1/2
162	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	2,8,16,17,25,26,30.11.99	7
163	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	1 से 6.12.99,14,20,21, 22,24.12.99	11
164	श्री मोहिन्द्र पाल	सफाई सेवक	6.12.99	1
165	श्री गिरधारी लाल	सफाई सेवक	3 से 9,16,18.12.99	9
166	श्रीमति अमरो	सफाई सेवक	9,10.12.99	2
167	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	1 से 7,12 से 15,20,21,22,28.12.99	13
168	श्री राजेन्द	सफाई सेवक	3,12.99	1
169	श्रीमति रिम्पा देवी	सफाई सेवक	3,20,21,22.12.99	4
170	श्रीमति ज्ञानो	सफाई सेवक	13 से 18,3,20,21,22,.12.99	8

32641

171	श्री कमलेश	सफाई सेवक	13,14,15,16,20 से 22.12.99	7
172	श्री सोहन लाल	सफाई सेवक	3 से 5, 17 से 20.1.00	7
173	श्री सतपाल	सफाई सेवक	1.1.00	1
174	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	7,15,17 से 20.11.00	6
			1,13,15,17 से 22,24, 31.1.00	11
			10.1.00	1/2
			11.1.00	1/2
175	श्री गिरधारी लाल	सफाई सेवक	5,6,15,18 से 20.1.00	6
176	श्री केसर	सफाई सेवक	17 से 20.1.00	4
177	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	13,17, से 20.1.00	5
178	श्री दिवान	सफाई सेवक	17 से 20.1.000	4
179	श्रीमति ज्ञानो	सफाई सेवक	17 से 20.1.00	4
			22.1.00	1/2
180	श्री नाथू राम	सफाई सेवक	18.2.00	1
181	श्री देस राज	सफाई सेवक	18,19.2.00	2
182	श्री सोहन लाल	सफाई सेवक	18,19.2.00	2
183	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	18.2.00	1
184	श्री राजिन्द्र	सफाई सेवक	25.2.00	1/2
185	श्री मोहिन्द्र पाल	सफाई सेवक	16.2.00	1
186	श्रीमति बिमला	सफाई सेवक	19,22,23.2.00	3
187	श्री देवा नन्द	सफाई सेवक	26.2.00	1
188	श्रीमति ज्ञानो	सफाई सेवक	24.2.00	1
189	श्री कमलेश	सफाई सेवक	24.2.00	1
190	श्री हिन्द रवी	सफाई सेवक	11.2.00	1/2
191	श्री फुल चन्द	सफाई सेवक	24,31.3.00	2
			30.3.00	1/2
				975

ख(II) <u>सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथियां, जन्म प्रमाण पत्र से मेल नही खाती</u> :–

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा नगर परिषद नालागढ़ के दैनिक भोगी कर्मचारी, जो आठ वर्ष बतौर दैनिक वेतन पर पूर्ण कर चुके थे को सरकार के आदेशों द्वारा नियमित किया गया था। इन नियमित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका/निजि नस्ति की जाँच के दौरान यह पाया गया कि इन कर्मचारीयों की सेवा पुस्तिका में जो जन्म तिथि अंकित की गई थी

वह उनके वास्तविक जन्म प्रमाण पत्र से मेल नही खा रही थी, जिसके अभाव मे जन्म तिथि को उचित नही माना जा सकता। इस बारे सम्बन्धित कर्मचारीयो को सम्बन्धित पंचायतो से जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था जो वह प्रस्तुत नही कर सके। कार्यकारी अधिकारी इन कर्मचारियो की जन्म तिथि के मूल प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उन कर्मचारीयो की सेवा पुस्तिका मे अंकित जन्म तिथि को उचित न मानते हुए इस बारे उच्चाधिकारीयों के समक्ष मामला प्रस्तुत करें ताकि उच्चाधिकारी इस सन्दर्भ मे अन्तिम निर्णय ले सके।

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	निदेशक द्वारा नियुक्ति पत्र का ब्यौरा	सेवा पुस्तिका में दिखाई तिथि
1	श्री बलबीर	ULB-H(A)(1)15/94 Dated 28.12.98	1.1.1957
2	श्री सालिग	ULB-H(B)(1)14/99 Dated 10.11.99	31.12.1964
3	श्री सुरिन्द्र	ULB-H(A)(1)15/94 Dated 23.2.98	1.1.59
4	श्री कृष्ण	ULB-H(A)(1)15/94 Dated 28.12.98	–
5	श्री श्याम लाल	ULB-H(A)(1)15/94 Dated 23.2.98	1.3.61

5(III) <u>सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति से ₹1,25,375.00 का अनियमित भुगतान :–</u>

नगर परिषद के लेखों की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी द्वारा IDSMT निधि के अर्न्तगत निम्न भुगतान चौकीदार/मेट को दैनिक वेतन पर किया गया था। इस निधि से इस प्रकार का व्यय नहीं किया जा सकता था व नगर परिषद को मेट/चौकीदार लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि IDSMT के सारे कार्य ठेके पर ही करवाए गए थे। कार्यकारी अधिकारी द्वारा इन दैनिक मजदूरों को लगाने की कोई अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी और न ही इन दैनिक भोगी कर्मचारीयों का किया गया कार्य का इन्द्राज माप पुस्तिका में किया गया था। इस निधि से ₹1,25,375.00 का भुगतान नियमाधीन उचित नहीं था तथा समस्त राशि का उतरदायित्व निर्धारित करके समस्त राशि की वसूली ब्याज सहित करके सम्बन्धित कोष में जमा करवाए। अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए। यदि उक्त के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान दैनिक भोगी को किया गया हो तो उसकी गणना स्वयं करके परिषद कोष में जमा करवाए।

वा०सं०	अवधि	राशि	जिसे भुगतान किया गया	भुगतान की गई राशि
23	2/02	2,186.00	श्री राजेश कुमार मेट	2,186.00
24	2/02	606.00	श्री काला राम चौकीदार	606.00
41	10/02	3,766.00	श्री हरीश कुमार मोटर मेट	2,116.00
			श्री दिनेश कुमार, चौकीदार	1,650.00
18	11/02	4,216.00	श्री हरीश कुमार मोटर मेट	2,356.00
			श्री दिनेश कुमार चौकीदार	1,860.00
20	2/03	2,366.00	श्री हरीश कुमार मोटर मेट	2,366.00
21	2/03	2,366.00	श्री योग राज, चौकीदार	2,366.00
23	3/03	3,808.00	श्री हरीश कुमार, मोटर मेट	2,128.00
			श्री योग राज, चौकीदार	1,680.00
30	6/03	4,216.00	श्री हरीश कुमार, मोटर मेट	2,356.00
			श्री अनिल, चौकीदार	1,860.00
26	7/03	4,080.00	श्री योग राज, मोटर मेट	2,280.00
			श्री अनिल कुमार, चौकीदार	1,800.00
34	8/03	4,216.00	श्री योग राज मोटर मेट	2,356.00
			श्री अनिल कुमार चौकीदार	1,860.00
26	9/03	4,216.00	श्री योग राज मोटर मेट	2,358.00
			श्री अनिल कुमार चौकीदार	1,800.00
25	11/03	4,072.00	श्री योग राज मोटर मेट	2,272.00
			श्री अनिल कुमार चौकीदार	1,800.00
41	12/03	4,277.00	श्री योग राज मोटर मेट	2,392.00
			श्री काला, चौकीदार	1,885.00
24	1/04	2,016.00	श्री सेवा सिंह, मोटर मेट	2,016.00
31	3/04	4,212.00	श्री सेवा सिंह, मोटर मेट	2,392.00
			श्री अनिल कुमार, चौकीदार	1,620.00
31	4/04	4,572.00	श्री सेवा सिंह, मोटर मेट	2,557.00
			श्री अनिल कुमार, चौकीदार	2,015.00
18	5/04	4,426.00	श्री सेवा सिंह, मोटर मेट	2,476.00
			श्री अनिल कुमार, चौकीदार	1,950.00
26	6/04	3,500.00	श्री धीरज, मोटर मेट	1,485.00
			श्री अनिल कुमार, चौकीदार	2,015.00
27	7/04	4,426.00	श्री धीरज, मोटर मेट	2,476.00
			श्री अनिल कुमार, चौकीदार	1,950.00

22	9/04	4,312.00	श्री महेश, मोटर मेट	2,557.00
			श्री संजीव कुमार, चौकीदार	1,755.00
26	10/04	4,425.00	श्री महेश, मोटर मेट	2,475.00
			श्री संजीव कुमार, चौकीदार	1,950.00
26	11/04	4,572.00	श्री संजीव कुमार, चौकीदार	2,015.00
			श्री महेश, मोटर मेट	2,557.00
31	1/05	4,572.00	श्री महेश, मोटर मेट	2,557.00
			श्री संजीव कुमार, चौकीदार	2,015.00
28	2/05	4,425.00	श्री रमन, मोटर मेट	2,475.00
			श्री दिनेश, चौकीदार	1,950.00
37	3/05	4,130.00	श्री दिनेश, चौकीदार	1,820.00
			श्री रमन मोटर मेट	2,310.00
28	4/05	4,572.00	श्री रमन, मोटर मेट	2,557.00
			श्री दिनेश, चौकीदार	2,015.00
28	5/05	4,425.00	श्री दिनेश, चौकीदार	1,950.00
			श्री रमन मोटर मेट	2,475.00
30	6/05	4,425.00	श्री रमन, मोटर मेट	2,475.00
			श्री राम चौकीदार	1,950.00
24	7/05	4,425.00	श्री रमन मोटर मेट	2,475.00
			श्री दिनेश चौकीदार	1,950.00
22	8/05	4,490.00	श्री महेश मोटर मेट	2,475.00
			श्री राम चौकीदार	2,015.00
33	9/05	2,925.00	श्री महेश मोटर मेट	2,015.00
			श्री अनिल कुमार चौकीदार	910.00
24	10/05	2,100.00	श्री मीश चन्द चौकीदार	2,100.00
27	2/06	2,100.00	श्री सन्दीप चौकीदार	2,100.00
29	3/06	1,960.00	श्री सन्दीप चौकीदार	1,960.00
	योग	₹1,26,375.00		

5(IV) "एल०टी०सी का ₹4,072.00 का अनियमित भुगतान :–

नगर परिषद नालागढ़ के सचिव श्री शक्ति सिंह मल्होत्रा द्वारा दिनांक 16.8.99 से 26.8.99 तक किफायती अवकाश यात्रा (LTC) हेतु अग्रिम वाऊचर संख्या 35, अवधि 8/99 द्वारा ₹6,800.00 प्राप्त किए थे, जिसका समायोजन उक्त अधिकारी द्वारा वाऊचर संख्या 17, अवधि 1/2000 द्वारा किया गया था जिसमें शक्ति सिंह मल्होत्रा को ₹2,118.00 का भुगतान किया गया था। उक्त अधिकारी द्वारा नालागढ़ से पुष्कर राज (राजस्थान) के लिए एल०टी०सी० का प्रयोग

किया था। अभिलेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि उक्त अग्रिम का समायोजन करते समय केवल ₹3,856.00 के यात्रा टिकट ही रिकॉर्ड में पाए गए जबकि उक्त अधिकारी को ₹3,856.00 के विरूद्ध ₹7,928.00 का भुगतान किया गया जो ₹4,072.00 अधिक था। श्री संजित सिंह मल्होत्रा सचिव नगर परिषद नालागढ़ को ₹4,072.00 का किफायती अवकाश यात्रा के लिए अधिक भुगतान किया गया जो उचित नहीं, क्योंकि बिना टिकट के भुगतान नहीं किया जा सकता था। ₹4,072.00 की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

5(VI) ₹8,000.00 का अवैध भुगतान :–

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि कार्याकारी अधिकारी द्वारा एस0जे0एस0आई0वाई निधि से अपने सहित वर्क सुपरवाईजर व लेखाकार को मानदेय दिया गया जो इस निधि से उचित प्रभारें नहीं था। इस पर कार्याकारी अधिकारी द्वारा ₹8,000.00 का व्यय मानदेय पर किया गया था। इस राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से ब्याज सहित करके सम्बन्धित कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को सूचित करें।

वा0सं0	अवधि	राशि	जिसे दी गई		
			कार्याकारी अधिकारी	वर्क सुपरवाईज़र	लेखाकार
19	7/01	1,000.00	500.00	300.00	200.00
14	8/01	1,000.00	500.00	300.00	200.00
17	9/01	1,000.00	500.00	300.00	200.00
21	10/01	1,000.00	500.00	300.00	200.00
22	11/01	1,000.00	500.00	300.00	200.00
20	12/01	1,000.00	500.00	300.00	200.00
19	1/02	1,000.00	500.00	300.00	200.00
10	2/02	1,000.00	500.00	300.00	200.00
		₹8,000.00	₹4,000.00	₹2,400.00	₹1,600.00

5(VII) ₹6,904.00 की वसूली बारे :–

श्री एम.एल अन्सारी ने नगर परिषद नालागढ़ में दिनांक 10.01.2000 को बतौर कार्याकारी अधिकारी अपना कार्याभार सम्भाला था। अपना पदभार सम्भालने के बाद उक्त कार्याकारी अधिकारी ने कुछ प्राप्तियां नगर परिषद खाते से प्राप्त की थी जो कि इस परिषद से भुगतान नहीं की जानी थी व वह भुगतान पुरानी नगर परिषदों से किया जाना अपेक्षित था, जहां पर उक्त

अधिकारी द्वारा नौकरी की थी। उक्त अधिकारी को ₹6,904.00 का जो भुगतान अवैध रूप से किया गया था, की वसूली सम्बन्धित नगर परिषदों से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए, अन्यथा समस्त राशि की वसूली उक्त अधिकारी से करनी सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को सूचित करें।

वा0सं0	अवधि	राशि	भुगतान की राशि का ब्यौरा	जिस अवधि का भुगतान किया	राशि जिसका भुगतान किया
16	5/2000	18,305.00	गृह भत्ता	9/99 से 12/99	664.00
42	5/2000	4,080.00	विशेष भत्ता	1.1.97 से 31.12.99	4,080.00
58	6/2001	98,996.00	डी0ए	8/99 से 12/99	2,160.00
					₹6,904.00

5(VIII) <u>डी0ए के अनियमित भुगतान बारे</u> :–

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि श्रीमति सुदेश कुमारी को उनके पति की पैंशन उनके देहान्त के बाद डी0ए0 के साथ लगा कर ही अदा की जा रही थी जो श्रीमति सुदेश कुमारी को नियमाधीन नहीं मिलनी थी क्योंकि उनके बेटे को करूणामूलक आधार पर नगर परिषद परवाणू में लिपिक की नौकरी प्राप्त हुई है। नियमाधीन डी0ए0 केवल एक ही वेतन पर मिलना तय था। अतः श्रीमति सुदेश कुमारी को उनके पति के देहान्त के बाद जितना भी डी0ए0 पैंशन पर दिया गया था की वसूली तुरन्त की जाए व समस्त राशि को नगर परिषद पैंशन कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाए। कुछ डी0ए0 अदायगी के उदाहरण नीचे दिए गए हैं इसके अतिरिक्त अन्य किए गए भुगतान की गणना स्वयं करके राशि वसूली जाए :–

वा0सं0	अवधि	राशि	जो डी0ए राशि का भुगतान किया गया
19	11/03	16,351.00	1,664.00
19	8/04	30,423.00	1,888.00
20	12/04	27,509.00	1,888.00

इसके उपरान्त दिए गया डी0ए0 को भी वसूल किया जाए।

5(IX) <u>बजट में प्रावधान के बिना एवं सरकार की अनुमति के बगैर प्रारूपकार की नियुक्ति से ₹69,240.00 का अनियमित भुगतान</u> :–

नगर परिषद द्वारा सरकार की मन्जूरी लिए बिना प्रारूपकार की तैनाती की थी जो अनियमित थी। बजट में भी सम्बन्धित पद हेतु कोई राशि का प्रावधान नहीं था। नगर परिषद के पास सरकार की मन्जूरी के बिना किसी कर्मचारी को दैनिक/स्थाई रूप से लगाने का कोई भी

प्रावधान नहीं था। इस प्रकार के व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। प्रारूपकार के द्वारा किए गए दैनिक कार्य को भी सक्षम अधिकारी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। नगर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा भी प्रारूपकार के गए कार्यों की प्रोग्रैस रिपोर्ट अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में प्रारूपकार से कोई कार्यालय कार्य नहीं करवाया गया था व बिना कार्य के ही वेतन का दैनिकी रूप से भुगतान किया गया। भुगतान किए गए कुछ बिलों का उदाहरण नीचे दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त अन्य किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा समस्त राशि की वसूली करनी सुनिश्चित करें तथा यह भी स्पष्ट करें की प्रारूपकार से जो कार्य करवाया गया की मासिक/दैनिक प्रोग्रैस रिपोर्ट तैयार क्यों नहीं की गई।

वा0सं0	अवधि	राशि	जिसे भुगतान किया गया
29	8/03	1,056.00	श्री इन्द्रजीत सिंह
30	9/03	2,976.00	श्री इन्द्रजीत सिंह
10	10/03	3,120.00	श्री इन्द्रजीत सिंह
26	11/03	3,224.00	श्री इन्द्रजीत सिंह
40	12/03	3,120.00	श्री इन्द्रजीत सिंह
25	1/04	3,016.00	श्री इन्द्रजीत सिंह
25	2/04	3,224.00	श्री मनोज कुमार
32	3/04	1,040.00	श्री मनोज कुमार
19	5/04	2,912.00	श्री मनोज कुमार
26	6/04	3,224.00	श्री मनोज कुमार
28	7/04	2,912.00	श्री मनोज कुमार
40	8/04	3,224.00	श्री मनोज कुमार
38	3/05	2,808.00	श्री मनोज कुमार
27	4/05	3,224.00	श्री मनोज कुमार
29	5/05	3,120.00	श्री मनोज कुमार
31	6/05	3,120.00	श्री मनोज कुमार

26	7/05	3,016.00	श्री सोहन लाल
23	8/05	2,994.00	श्री सोहन लाल
36	9/05	3,224.00	श्री सोहन लाल
26	10/05	3,248.00	श्री सोहन लाल
86	10/05	2,472.00	श्री सोहन लाल
26	12/05	2,688.00	श्री सोहन लाल
23	1/06	3,136.00	श्री सोहन लाल
26	2/06	2,912.00	श्री सोहन लाल
	योग	₹69,240.00	

5(X) चौकीदारों की नियुक्ति पर ₹1,26,829.00 का अवैध भुगतान :–

नगर परिषद में निर्माणाधीन रैहन बसेरा भवन में कार्याकारी अधिकारी द्वारा दो चौकीदारों की तैनाती बिना निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के आदेशों के की थी जोकि 8/02 से 3/07 तक लगातार कार्यरत रहे। इन चौकीदारों को कार्य पर क्यों लगाया गया जबकि रैहन बसेरा का सारा कार्य ठेकेदारों के द्वारा किया गया। चौकीदार को लगाने का कोई औचित्य नहीं था। बिना मन्जूरी के चौकीदार को लगाया जाना अवैध था व इनकी कोई जस्टीफीकेशन भी नहीं बनती थी। नगर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भी किसी प्रकार की चौकीदार लगाने की माँग नहीं की थी। इस भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। 8/02 से 3/07 तक की कुछ गणना जो ₹1,26,829.00 बनती है, परिशिष्ट "ब" में संलग्न है। इस परिशिष्ट में अंकित राशि के अतिरिक्त यदि अन्य भुगतान चौकीदारों को किया गया हो तो उसकी गणना स्वयं करके उस राशि की वसूली भी करनी सुनिश्चित करें, की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को अवगत करें।

5(XI) दैनिक भोगी कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान :–

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि मस्टर रोलों के भुगतान के समय कुछ दैनिक भोगी कर्मचारियों को वेतन से अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "स" में दिया गया है। कार्याकारी अधिकारी द्वारा मस्टर रोल पास करते समय उनकी गैर हाजरी को नजर अंदाज करके पूरे मास का भुगतान किया गया था जिससे हज़ारों रुपयों का अतिरिक्त भुगतान दैनिक भोगी कर्मचारियों को हो गया। संलग्न परिशिष्ट मे वर्णित राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

5(XII) ₹9,798.00 की राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन :—

वाऊचर संख्या 22, अवधि 7/01 द्वारा ₹40,000.00 का अग्रिम श्री बलजीत सिंह, कार्य पर्यवेक्षक को चण्डीगढ़ से कार्यालय का सामान खरीदने हेतु किया गया। परन्तु उक्त कर्मचारी कोई भी सामान खरीद कर नहीं लाया। उक्त कर्मचारी को दिनांक 3.7.2001 को अग्रिम दिया था जिसे कर्मचारी द्वारा दिनांक 4.7.2001 को ₹35,634.00 नगर परिषद खाते में जी–8 संख्या 8/1289 द्वारा जमा करवा दी, परन्तु शेष राशि ₹4,366.00 को 31.3.07 तक भी जमा नहीं करवाया था। कर्मचारी द्वारा 4.7.01 से 31.3.07 तक ₹4,366.00 को जमा न करवा करके धन का दुरूपयोग किया जो एक गम्भीर अनियमितता थी। लेखा परीक्षण द्वारा राशि को जमा करने हेतु कहा गया जो उक्त कर्मचारी द्वारा जमा न करवाई गई। दिनांक 4.7.01 से 31.3.07 तक इस राशि का ब्याज 15% अनुसार ₹5,432.00 बनता था। इस समस्त राशि (₹4,366 + ₹5,432) ₹9,798.00 को तुरन्त उक्त कर्मचारी से वसूल करके नगर परिषद कोष में जमा करवाने की ओर पग उठाए तथा जब राशि जमा की जाए तो उस अवधि की अतिरिक्त ब्याज राशि की भी वसूली करें।

राशि	ब्याज	राशि
4,366.00	7/01 से 12/01	327.00
	1/02 से 12/02	704.00
	1/03 से 12/03	810.00
	1/04 से 12/04	931.00
	1/05 से 12/05	1,071.00
	1/06 से 12/06	1,231.00
	1/07 से 3/07	358.00
		₹5,432.00

5(XIII) ₹1,368.00 लाइसैंस फीस की वसूली बारे :—

नगर परिषद द्वारा कार्याकारी अधिकारी को विश्राम गृह के दो कमरे निर्माण करके निवास हेतु 1.6.2000 को आबंटित किए थे। वेतन बनाते समय 1.6.2000 से 31.5.2001 तक ₹114.00 प्रति माह के हिसाब से ₹1,368.00 की लाइसैंस फीस श्री एम0एल0 अनसारी, कार्याकारी अधिकारी से न काटी गई थी जो काटी जानी अपेक्षित थी। ₹1,368.00 की वसूली सम्बन्धित कार्याकारी अधिकारी से करके कोष में जमा करवाएं। अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में की जाए।

4(XIV) **बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति व कृत कार्य विवरण बिना ₹91,871.00 का अनियमित भुगतान बारे :–**

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्र में पानी योजना के रख–रखाव के लिए एक कर्मचारी दैनिक/मासिक भत्ते पर तैनात किया था। इस कर्मचारी की तैनाती सरकार की स्वीकृति के बिना की गई थी। सरकारी आदेशों के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी को बिना (स्वीकृति के तैनात करना कार्यकारी अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी थी। अतः इस अनियमित भुगतान के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

वा0सं0	अवधि	राशि	जिसे भुगतान किया
32	4/99	5,400.00	श्री अर्जुन कुमार नायक, नालागढ़
29	12/99	1,800.00	श्री बबला पलम्बर, नालागढ़
44	11/99	1,800.00	श्री बबला पलम्बर, नालागढ़
37	9/99	1,800.00	श्री बबला पलम्बर, नालागढ़
56	5/2000	2,500.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
37	6/2000	900.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
40	9/00	1,800.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
23	10/00	900.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
38	11/00	900.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
18	1/01	1,800.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
41	3/01	1,800.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
37	7/01	900.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
25	8/01	1,800.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
42	11/01	1,800.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
54	5/02	3,800.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
17	6/02	900.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
60	9/02	2,700.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
36	11/02	1,800.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
58	12/02	7,416.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
47	7/03	2,700.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
48	10/03	4,868.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
40	3/04	5,700.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
51	6/04	6,600.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़

31	11/04	6,000.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
21	8/06	7,800.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
26	11/06	6,000.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
34	3/07	10,000.00	श्री सुधाकर, पलम्बर, नालागढ़
		₹91,871.00	

5(XV) **केवल एक कमरे की चौकीदारी हेतु अतिरिक्त चौकीदार की नियुक्ति से ₹16,530 का अनियमित भुगतान :–**

नगर परिषद के द्वारा श्री कुलदीप कुमार को विश्राम गृह में चौकीदार तैनात किया था, परन्तु जब परिषद के लेखों की छानबीन की गई तो एक ही विश्राम गृह में श्री कुलदीप कुमार के अलावा श्री राम लाल को भी चौकीदार का भुगतान किया गया जो अनियमित था। विश्राम गृह के दो कमरे पहले ही कार्यकारी अधिकारी को अलाट किए थे, तब एक कमरे के लिए दो–दो चौकीदार की अदायगी करने का कोई औचित्य नहीं बनता। श्री राम लाल को बिना चौकीदारी करने का भुगतान किया गया है क्योंकि नगर परिषद द्वारा श्री राम लाल चौकीदार के कोई आदेश की प्रति अंकेक्षण में नहीं बताई गई, जिसके अभाव में श्री राम लाल को की गई अदायगी उचित नहीं मानी जा सकती। श्री राम लाल को दी गई अदायगी का विवरण निम्न प्रकार है। इस अदायगी के अतिरिक्त यदि कोई अदायगी चौकीदार के रूप में की हो तो उसकी सूची स्वयं तैयार करके राशि की वसूली करने की ओर पग उठाएं ताकि राम लाल को किए गए अवैध भुगतान की वसूली से नगर परिषद को हुई वित्तीय हानि की राशि प्राप्त की जा सके।

वा0सं0	अवधि	राशि
17	8/02	1,705.00
22	9/02	1,705.00
33	10/02	1,650.00
17	11/02	1,860.00
17	4/03	1,860.00
26	6/03	1,860.00
23	7/03	1,860.00
26	1/04	2,015.00
32	4/04	2,015.00
		₹16,530.00

5(XVI) सम्बन्धित अभिलेख के बिना ₹16,500.00 का अनियमित भुगतान :–

नगर परिषद द्वारा कुछ भुगतान जिसका विवरण निम्न प्रकार है, एस०जे०एस०आर०वाई की मद से किया गया। इस भुगतान में कुछ आपत्तियां पाई गई जिसका उल्लेख ब्यौरा के सामने दिया गया है। आपत्तियों का निपटान करके की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिश्चित करें।

वा० सं०	अवधि	राशि	विवरण	आपत्ति
30	6/2000	9,000.00	3 अध्यापक/30 ट्रेनि छात्रों को भुगतान किया	1. वास्तविक रसीद रिकार्ड में उपलब्ध न थी। 2. भुगतान बलजीत सिंह कार्य पर्यवेक्षक के माध्यम से किया गया था।
40	7/2000	7,500.00	₹1,000 का भुगतान भगत सिंह नालागढ़ को किया। ₹1000 का भुगतान शकीला नालागढ़ को किया । ₹1000 का भुगतान मनजीत नालागढ़ को किया।	भुगतान कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया था।
			₹4,500 का भुगतान किसे किया गया यह रिकॉर्ड में उपलब्ध नही था।	₹4500 की राशि की वसूली करनी सुनिश्चित करें। इसकी अदायगी बारे रिकॉर्ड अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5(XVII) नामांकन पत्रों के बिना रिटायरमैंट बैनेफिट्स ₹1,76,611.00 का अवैध भुगतान :–

अभिलेख की छानबीन दौरान यह पाया गया कि श्री किशोरी लाल, सफाई सेवक का देहान्त 20.11.99 को होने के फलस्वरूप उसके परिषद में वेतन, ग्रेच्युटी, अंशदायी भविष्य निधि व अन्य का भुगतान श्रीमति सरोजबाला को किया गया जो उसकी रिश्ते में बहन थी। इसको निम्नलिखित भुगतान किया गया।

वा०सं०	अवधि	राशि	विवरण
29	1/2000	95,970.00	अदायगी भविष्य निधि का भुगतान।
43	5/2000	66,924.00	ग्रेच्युटी का भुगतान।

19	4/2001	16,717.00	ऐरियर का भुगतान।
		₹1,79,611.00	

उक्त भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई।

(क) श्री किशोरी लाल, सफाई सेवक ने कोई लीगल हेयर प्रमाण पत्र नहीं बनाया था।

(ख) सरोजबाला को मृतक ने अपनी परिषद की संचित राशि देने बारे कोई दस्तावेज नहीं बनाया था

(ग) अदायगी करने से पूर्व परिषद ने कोई मन्जूरी सक्षम अधिकारी से न ली थी।

(घ) किशोरी लाल का परिवार सदस्यों की सूची भी अंकेक्षण में प्रस्तुत न की गई थी।

अतः बहन को भुगतान करना अनियमित प्रतीत होता है।

5(XVIII) मानदेश का अवैध भुगतान :–

परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अनाधिकृत रूप से 11/02 से 3/07 तक सहायक टाऊन प्लानर को मानदेय का भुगतान करते रहे। सरकार के आदेश की कोई प्रति अंकेक्षण को नहीं बताई गई जिससे यह पता चलता कि सहायक टाऊन प्लानर को राशि का भुगतान किया जाना क्या उचित/नियमित था। इस सन्दर्भ में कुछ भुगतान किए जिनके उदाहरण निम्न प्रकार है। अन्य राशि का विवरण की गणना स्वयं करके राशि की वसूली करनी सुनिश्चित करें क्योंकि सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के बिना भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता।

वा0सं0	अवधि	राशि	जिसे भुगतान किया गया
27	11/02	3,000.00	दलीप सिंह ठाकुर
21	4/03	1,000.00	दलीप सिंह ठाकुर
14	6/03	1,000.00	दलीप सिंह ठाकुर
16	7/03	500.00	दलीप सिंह ठाकुर
15	12/03	500.00	दलीप सिंह ठाकुर
16	3/04	500.00	दलीप सिंह ठाकुर
16	4/04	500.00	दलीप सिंह ठाकुर
15	8/04	500.00	दलीप सिंह ठाकुर
16	12/04	500.00	दलीप सिंह ठाकुर
29	8/05	2,000.00	दलीप सिंह ठाकुर

88	10/06	1,800.00	दलीप सिंह ठाकुर
36	7/06	1,800.00	दलीप सिंह ठाकुर
15	4/06	2,000.00	दलीप सिंह ठाकुर

टाऊन प्लानर की अदायगी सरकारी आदेशों के बिना अवैध थी। अतः यह मामला उनके विभाग के समक्ष भी लाया जाए।

5(XX) **₹3,744.00 के अनियमित यात्रा भत्ता की वसूली बारे :–**

वाऊचर संख्या 42, अवधि 3/04 अनुसार ₹13,424.00 का भुगतान श्री जितेन्द कौशल कनिष्ठ अभियन्ता को यात्रा भत्ता बिल अवधि 12/02 से 12/03 के विरूद्ध किया गया। श्री जितेन्द कौशल कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अपनी यात्रा अपनी निजि गाड़ी के द्वारा की थी जो कि किफायती मितव्ययता अनुसार देय नहीं थी। उक्त कर्मचारी ने गाड़ी के द्वारा ₹7,488.00 का यात्रा भत्ता लिया था, जो बस द्वारा यात्रा से ₹3,744.00 अधिक था। ₹3,744.00 के किए गए अधिक भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना गया। ₹3,744.00 की वसूली श्री जितेन्द कौशल कनिष्ठ अभियन्ता से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं, की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

6(XX) **औपचारिकता बिना यात्रा भत्ता का भुगतान बारे :–**

नगर परिषद के लेखो की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय यात्रा भत्ता के रूप में किया गया था यात्रा भत्ता बिल के साथ यात्रा डायरी/परिशोधित यात्रा कार्यक्रम नहीं लगाया गया था जिसके अभाव में बिल की अदायगी नहीं की जा सकती थी। आगामी अंकेक्षण में सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्तुत करें अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिश्चित करें।

वा0 सं0	अवधि	राशि	जिसे भुगतान किया	पद	विशेष कथन
6	12/01	1,585.00	एम.के. शर्मा	क. अभियन्ता	बिल नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के सचिव से सत्यापित किया जाना था जो नहीं किया गया था।
10	1/02	2,162.00	एम.के. शर्मा	क. अभियन्ता	बिल नगर पंचायत सन्तोषगढ़ के सचिव से सत्यापित किया जाना था जो नहीं किया गया था।
13	2/02	1,896.00	एम.के. शर्मा	क. अभियन्ता	
17	3/02	1,721.00	एम.के. शर्मा	क. अभियन्ता	

23	4/02	1,121.00	जे.एस. राणा	स. अभियन्ता
24	4/02	1,988.00	एम.के. शर्मा	क. अभियन्ता
31	8/98	1,177.00	भीम सेन	क. अभियन्ता

6(I) **भुगतान में अनियमितताएं ₹1,25,982.00 का अपव्यय :–**

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹1,25,982.00 से अधिक राशि विज्ञापनों पर व्यय की थी। विज्ञापनों पर किए गए व्यय की मन्जूरी सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की थी जो कि प्राप्त की जानी अनिवार्य थी। बिना सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। व्यय की मन्जूरी सक्षम अधिकारी से ले कर व्यय को नियमित करवाया जाए, अन्यथा समस्त राशि जिसके विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "प" में दिया गया है, की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए।

6(II) **₹18,445.00 का अपव्यय :–**

नगर परिषद द्वारा अवधि 4/98 से 3/07 के मध्य अल्पाहार पर ₹18,445.00 का व्यय किया गया था जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "फ" में दिया गया है। पालिका नियमानुसार अल्पाहार पर इसका व्यय सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से किया जा सकता था। परन्तु परिषद द्वारा सक्षम अधिकारी की मन्जूरी नहीं ली गई थी जो अनियमित था। उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा समस्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके राशि परिषद कोष में जमा करवाएं।

6(III) **₹1,800.00 के व्यय बारे :–**

वाऊचर संख्या 56, अवधि 5/02 द्वारा ₹1,800.00 का भुगतान जितेन्द्र कौशल कनिष्ठ अभियन्ता को सीमेन्ट की उतराई हेतु किया गया था। सीमेन्ट किससे उतराया गया का कोई भी अभिलेख रिकॉर्ड में नहीं था। नगर परिषद में मजदूरों के होते हुए सीमेन्ट की उतराई का भुगतान करना उचित नहीं जान पड़ता। राशि का भुगतान कनिष्ठ अभियन्ता को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए।

6(IV) **₹1,040.00 का अवैध भुगतान :–**

वाऊचर संख्या 68, अवधि 5/02 द्वारा ₹1,040.00 का भुगतान बर्फ (ICE) खरीदने हेतु मदन लाल नालागढ को किया गया। बर्फ किस उदेश्य के लिए खरीदा गया वह अंकेक्षण में नहीं बताया गया बिना उदेश्य के इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए।

6(V) <u>निजि लाभ हेतु ₹23,600.00 की अनियमित खरीद</u> :—

वाऊचर संख्या 34, अवधि 4/2000 द्वारा ₹23,600.00 का भुगतान धर्मा इन्टरप्राईज नालागढ़ को एक 210 लीटर का रैफरिजरेटर खरीदने हेतु किया गया। इस रैफरीजरेटर का कार्याकारी अधिकारी द्वारा रैस्टहाऊस में अपने निजि प्रयोग हेतु किया गया, जबकि नियमाधीन निजि प्रयोग हेतु रैफरीजरेटर को खरीदा जाना अनियमित था। इस खरीद को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा सम्बन्धित खरीदे गए रैफरीजरेटर की राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए। इस क्रय को नगर पालिका अनुमति के बिना भी किया गया था।

6(VI) <u>₹47,100.00 के अवैध भुगतान बारे</u> :—

वाऊचर संख्या 33, अवधि 7/2000 में ₹47,100.00 का भुगतान पीने के पानी की आपूर्ति के विरूद्ध किया गया। नगर परिषद क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति जन स्वास्थ्य विभाग करता है, तब इतनी भारी रकम की अदायगी का क्या औचित्य था। नगर परिषद बजट में भी इस प्रकार के व्यय करने का कोई प्रावधान नही था। पीने के पानी की आपूर्ति किसे की गई इसका पूर्ण लेखा—जोखा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना लेखा—जोखा के व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इसका लेखा—जोखा अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा समस्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके परिषद कोष में जमा करवाए।

6(VII) <u>औपचारिकताओं के बिना ₹59,550.00 की संदिग्ध खरीद</u> :—

₹59,550.00 का भुगतान वाऊचर संख्या 34, अवधि 5/2000 द्वारा अतुल कम्पयूटर कसौली रोड परवाणू (सोलन) से खरीदा गया। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई आपत्तियों का निपटान करके किए गए कार्य से अवगत करवाएं।

(क) कम्पयूटर खरीद के समय औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई थी, जिसमें कार्यालय से ओपन मार्किट से निविदाएं नहीं मंगवाई गई थी निविदाएं कार्याकारी अधिकारी द्वारा स्वयं प्राप्त की थी।

(ख) खरीद से पूर्व खरीद कमेटी का गठन नहीं किया गया था, जिसके अभाव में खरीद संदिग्ध प्रतीत होती है और एक फर्म को अनावश्यक लाभ दिया गया था।

6(VIII) <u>सीमेन्ट की उतराई के लिए ₹11,767.00 का अनियमित भुगतान</u> :—

नगर परिषद द्वारा ₹11,767.00 का भुगतान निम्न कर्मचारियों को सीमेन्ट उतराई हेतु किया गया था जबकि नगर परिषद के पास दैनिक भोगी कर्मचारी थे, उनसे सीमेन्ट की उतराई करवाई जानी चाहिए थी। कार्याकारी अधिकारी ने अपने दैनिक भोगी बेलदारों से सीमेन्ट की

उतराई न करवा करके नगर परिषद को हानि पहुंचाई। इसके अतिरिक्त नगर परिषद कर्मचारियों ने जिनसे सीमेन्ट उतरवाया गया वह कुली नगर परिषद में पंजीकृत भी नहीं थे, जिसके अभाव में बिना भुगतान उचित नहीं जान पड़ता। आगामी अंकेक्षण में जिन कुलीयों से सीमेन्ट की उतराई करवाई का पंजीकरण नम्बर बताया जाए। अन्यथा ₹11,767.00 की राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं और अपनी लेबर से सीमेन्ट न उतराने बारे स्थिति स्पष्ट करें।

वा०सं०	अवधि	राशि	जिसके द्वारा भुगतान किया
44	6/02	1,400.00	हेम राज शर्मा, सैनिटरी सुपरवाईजर
66	9/02	1,000.00	हेम राज शर्मा, सैनिटरी सुपरवाईजर
62	10/02	367.00	कनिष्ठ अभियन्ता
30	3/03	1,000.00	हेम राज शर्मा, सैनिटरी सुपरवाईजर
62	6/03	1,200.00	हेम राज शर्मा, सैनिटरी सुपरवाईजर
63	6/03	800.00	हेम राज शर्मा, सैनिटरी सुपरवाईजर
34	10/03	2,400.00	हेम राज शर्मा, सैनिटरी सुपरवाईजर
69	10/03	900.00	हेम राज शर्मा, सैनिटरी सुपरवाईजर
73	10/03	900.00	हेम राज शर्मा, सैनिटरी सुपरवाईजर
74	10/03	800.00	हेम राज शर्मा, सैनिटरी सुपरवाईजर
40	11/03	1,000.00	हेम राज शर्मा, सैनिटरी सुपरवाईजर
		₹11,767.00	

6(IX) ₹2,400.00 का अवैध भुगतान :–

₹2,400.00 का भुगतान श्री डी०एस० ठाकुर, कनिष्ठ अभियन्ता को वाऊचर संख्या 32, अवधि 9/98 द्वारा मानदेय के रूप में किया गया था। मानदेय देने से पूर्व किसी सक्षम अधिकारी की मन्जूरी नहीं ली गई थी। बिना मन्जूरी के मानदेय का भुगतान किया जाना अनियमित था इस भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता। उक्त राशि की वसूली श्री डी०एस० ठाकुर (जे०ई०) से करके परिषद कोष में जमा करवाएं व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6(X) परिषद की पूर्व अनुमति के बिना व मुरम्मत के प्राकलन बगैर ₹9,100.00 के अनियमित भुगतान :–

वाऊचर संख्या 33, अवधि 6/04 द्वारा ₹9,100.00 का भुगतान हिमाचल प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्री नालागढ़ को परिषद की गाड़ी डैम्पर प्लेसर की मुरम्मत/रंगाई हेतु किया गया। इस

गाड़ी की मुरम्मत/रंगाई का कार्य श्री बलजीत सिंह, वर्क सुपरवाईजर द्वारा करवाया गया। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) गाड़ी की मुरम्मत/रंगाई करवाने से पूर्व परिषद की कोई मन्जूरी नहीं ली गई थी।

(ख) गाड़ी चालक द्वारा गाड़ी की मुरम्मत/रंगाई हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन नहीं किया था।

(ग) मुरम्मत/रंगाई सम्बन्धी रिकॉर्ड अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) मुरम्मत का कोई प्राक्कलन भी तैयार नहीं किया गया था।

6(XI) ₹75,000.00 का अनियमित भुगतान :–

नगर परिषद द्वारा IDMST के भवन के आर्टिटेक्चरल सर्विस हेतु ₹75,000.00 का भुगतान मै० चिटकारा कन्सट्रक्शन, दी माल शिमला को किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

वा०सं०	अवधि	राशि
50	11/2000	35,000.00
39	3/03	4,000.00
	योग	₹75,000.00

इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई।

(क) IDMST के भवन का नक्शा इत्यादि शहरी विकास कार्यालय द्वारा किया जाना अपेक्षित था, तब उक्त कार्य के लिए आर्टिटेक्चरल चार्ज क्यों अदा किए गए।

(ख) नगर अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट के बिना सम्बन्धित कार्य करवाए जाने की स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ग) निविदा लिए जाने के लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थी, न ही परिषद की मन्जूरी की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई थी।

6(XII) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹60,100.00 का संदिग्ध व्यय :–

वाऊचर संख्या 41, अवधि 6/06 द्वारा ₹60,100.00 का भुगतान सूर्य इन्जीनीयरिंग वर्कस नालागढ़ को गारबेज कंटेनरों की मुरम्मत करने हेतु किया गया। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) कितने गारबेज कोंटेनरों की मुरम्मत करवानी थी का प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था।

(ख) गारबेज कोंटेनरों के किस–किस भाग की मुरम्मत की अंकेक्षण में सम्बन्धित रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) कोंटेनरों की खराबी की रिपोर्ट सफाई प्रभारी के द्वारा नहीं दी गई थी व बिना रिपोर्ट के मुरम्मत करवाने का क्या औचित्य था।

(घ) जिस स्थान की मुरम्मत उक्त फर्म द्वारा की गई थी उस स्थान के खराब सामान की कटींग (खराब हिस्सों) को भण्डार में नहीं लिया गया था, जिससे कोंटेनरों की मुरम्मत पर भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। इन कोंटेनरों को मुरम्मत करने से पूर्व व मुरम्मत के बाद तौला (वजन) नहीं किया गया था जिससे साफ प्रतीत होता है कि कोंटेनर मुरम्मत हेतु नहीं ले जाए गए थे।

6(XIII) **₹2,985.00 के सामान का सम्भावित गबन :-**

वाऊचर संख्या 94, अवधि 3/2000 द्वारा ₹2,985.00 का भुगतान हिमाचल खादी आश्रम नालागढ़ को जूट मैट/फुट मैट की खरीद हेतु किया गया था। यह सामान एस0जे0एस0आर0वाई की प्रशिक्षण ले रही लडकियों के प्रयोग हेतु खरीदा दर्शाया गया था। इसका भण्डार इन्दाज/खपत अंकेक्षण में नहीं बताई गई थी। वर्तमान में इस सामान को भण्डार में भी नही पाया गया क्योंकि भण्डार पंजिका में इसके इन्द्राज बारे कोई प्रविष्टि नहीं थी। इसलिए इस सामान के गबन की शंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

6(XIV) **₹10,000.00 का अपव्यय :-**

वाऊचर संख्या 33, अवधि 1/99 द्वारा ₹10,000.00 का भुगतान कुड़ा मलवा उठाने हेतु दुर्गा दास निवासी भवानी पुरा नालागढ़ को किया गया। परिषद के पास कुड़ा मलवा उठाने के लिए सफाई सेवक/मजदूर रेगुलर/दैनिक भोगी कार्यरत थे तब कुड़ा उठाने की प्राईवेट ठेकेदार से क्या आवश्यकता पड़ी। इस सन्दर्भ में परिषद की कोई मन्जूरी न ली गई थी। बिना मन्जूरी के व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। कितना कूड़ा उठाया गया का कोई प्राक्कलन भी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नही बताया गया था, जिसके अभाव में यह भुगतान अवैध प्रतीत होता है और अंकेक्षण में यह व्यय उचित नहीं जान पड़ता। राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

6(XV) **₹55,456.00 का कार्याकारी अधिकारी के निवास के लिए अनाधिकृत व्यय :-**

लेखो की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न सामान कार्याकारी अधिकारी द्वारा कार्याकारी निवास हेतु खरीदा गया था जो कि नगर परिषद से उचित प्रभार नही था। इस सामान का खरीदने हेतु नगर परिषद द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति नही दी गई थी। इस व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि की वसूली सम्बन्धित कार्याकारी अधिकारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा भविष्य में ऐसी खरीद से परिहार किया जाए।

वा0सं0	अवधि	राशि	विवरण
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] गद्दे, सुमन फर्नीचर हाऊस नालागढ़ से खरीदे गए।
48	3/2000	2,608.00	(1) ₹808.00 की रजाई पिलो का भुगतान हिमाचल खादी आश्रम नालागढ़ को किया गया। (2) ₹336.00 के टी–सैट पंकज जनरल एण्ड प्रोविजन स्टोर नालागढ़ से खरीदे। (3) ₹742.00 का भुगतान जैन सन्ज नालागढ़ को पर्दे खरीदने हेतु किया गया। (4) एक कुकर ₹425.00 का भुगतान पूर्ण चन्द जैन नालागढ़ को किया गया। (5) ₹298.00 का भुगतान पूर्ण चन्द जैन एण्ड सन्ज नालागढ़ को चम्मच, कोली, गिलास हेतु किया गया।
46	5/2000	18,900.00	एक कुलर पम्पी इन्टरप्राईज़ नालागढ़ से खरीदा गया।
67	5/2000	3,750.00	कारलोन मैट्रस रामा इलैक्ट्रोनिक्स नालागढ़ से खरीदा गया।
24	8/2001	18,600.00	फर्नीचर प्रिंस फर्नीचर चण्डीगढ़ से खरीदा गया।
60	6/2001	2,602.00	एक कुकर/फाईपेन इत्यादि पूर्ण चन्द जैन नालागढ़ से खरीदा गया।
23	12/01	3,304.00	दो गद्दे वी0के0 ट्रेडिंग क0 नालागढ़ से खरीदे गए।
34	12/01	1,799.00	3 रजाई, 4 रजाई कवर हिमाचल खादी आश्रम नालागढ़ से खरीदे गए।
34	6/03	680.00	दो नम्बर बैड शीट, प्यारा सिंह उपकार सिंह नालागढ़ से खरीदे गए।
52	6/05	1,013.00	6 नम्बर खेस हिमाचल खादी आश्रम नालागढ़ से खरीदे गए।
		₹55,456.00	

6(XVI) ₹500.00 के असमायोजित अग्रिम की वसूली :–

₹500.00 अग्रिम दिपक चन्द बख्शी लिपिक को पाक खरीदने हेतु वाऊचर संख्या 47, अवधि 8/98 द्वारा दिया था। वर्ष 3/07 तक इसका समायोजन उक्त लिपिक द्वारा नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश पालिका अधिनियम की धारा 257(2) के तहत ब्याज @15% प्रतिवर्ष की दर से वसूल करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

6(XVII) ₹1,757.00 के यात्रा भत्ता बिलों का अनियमित भुगतान :–

नगर परिषद द्वारा निम्न अदायगी यात्रा भत्ता के रूप में की गई थी। इस भुगतान में पाई गई आपत्तियों को भुगतान के सामने दर्शाया गया है जिस कारण भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता। इन आपत्तियों का निपटान करके जवाब इस विभाग को भेजें अन्यथा राशि की वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

वा0सं0	अवधि	राशि	विवरण	विशेष कथन
13	8/98	244.00	सोलन प्रवास का भुगतान नीलू शर्मा उपाध्यक्ष परिषद को किया गया।	यात्रा का उदेश्य नहीं लिखा गया था।
14	8/98	336.00	सोलन प्रवास का भुगतान यशपाल शर्मा, प्रधान परिषद को किया गया	यात्रा का उदेश्य नहीं लिखा गया था।
31	9/98	1,177.00	नालागढ़ प्रवास का भुगतान भीम सेन कनिष्ठ अभियन्ता परवाणू को किया गया।	(1) यात्रा कार्यक्रम ME/EO द्वारा पारित नहीं किया गया। (2) क्या–क्या कार्य किया गया जिसके विरूद्ध यात्रा भत्ता लिया गया वह रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था।
		₹1,757.00		

6(XVIII) औपचारिकताओं के बगैर पानी की खरीद पर ₹47,100.00 का संदिग्ध भुगतान

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि वाऊचर संख्या 33, अवधि 7/2000 द्वारा ₹47,100.00 का भुगतान श्याम सिंह ठेकेदार को पानी की दुलाई/वितरण हेतु किया गया था। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) बिल कार्याकारी अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था, बिल का भुगतान बिना पारित किए किया गया था।

(ख) पानी के 314 ट्रैक्टर किस कार्य के लिए खरीदे गए इसका कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ग) नगर परिषद क्षेत्र में पानी का वितरण जन स्वास्थ्य विभाग करता है, तब पानी खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ी, इस बारे किसी भी प्रकार की मन्जूरी परिषद द्वारा नहीं ली गई थी।

(घ) पानी का वितरण कहां–कहां किया गया यह भी रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था।

(ङ) इसका इन्द्राज माप पुस्तिका इत्यादि में भी नहीं किया था।

उपरोक्त आपत्तियों से इस पर किया गया व्यय उचित नहीं माना जा सकता ऐसा प्रतीत होता है कि पानी खरीदा ही नहीं गया था। केवल अनावश्यक लाभ देने हेतु भुगतान ठेकेदार को किया। इसकी स्थिति स्पष्ट करने हेतु सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता/कर्मचारी अधिकारी को कहा गया, परन्तु वह जवाब देने में असमर्थ रहे। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित न मानते हुए समस्त वसूली ब्याज सहित दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

6(XIX) अनियमित रूप से क्रय किए गए ₹31,946.00 के भण्डार का सम्भावित गबन :—

वाऊचर संख्या 47, अवधि 11/02 द्वारा ₹16,524.00 का 45 नम्बर ट्री गार्ड एवं वाऊचर संख्या 49, अवधि 9/02 द्वारा ₹15,422.00 का भुगतान 43 नम्बर ट्री गार्ड खरीदने हेतु अजय एण्ड कम्पनी इन्डस्ट्रीयल एरिया बद्दी को किया गया। परन्तु यह ट्री गार्ड पंजिका में दर्ज नहीं पाए गए, न ही इसकी खपत का उल्लेख है। यह अनिवार्य था कि यह किस–किस स्थान पर किस द्वारा लगाए गए तथा जिन पेड़ों को लगाया गया, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। पूर्ण व्यय संदिग्ध लगता है। मामले की पूर्ण छानबीन अति आवश्यक है।

6(XX) टूटी टैंकी की प्रतिस्थापना पर ₹13,932.00 की जिम्मेवार बैंक से भरपाई की आवश्यकता :—

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा नालागढ़ में एक भवन सेन्ट्रल बैंक को किराए पर अलॉट किया हुआ था। नगर परिषद रिकॉर्ड की जांच पड़ताल द्वारा यह पाया गया कि उक्त बैंक द्वारा पानी की टांकी टूट गई थी। जिसे परिषद ने वाऊचर संख्या 67, अवधि 5/04 द्वारा ₹13,932.00 का भुगतान आनन्द ट्रेडर्ज नालागढ़ को पानी की टांकी की खरीद एवं निर्माण कार्य हेतु किया गया। जब टांकी बैंक के द्वारा टूट गई थी तो नगर परिषद को इस टांकी की मुरम्मत का सारा व्यय की वसूली बैंक से कर ली जानी चाहिए थी परन्तु नगर परिषद द्वारा सारा व्यय स्वयं वहन किया गया जो अनाधिकृत था। बैंक परिसर में

होने वाली टूटफूट के लिए बैंक ही जिम्मेवार था। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। उक्त राशि की वसूली बैंक से करनी सुनिश्चित करें, अन्यथा राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं। अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में की जाए।

6(XXI) ₹18,600.00 के भण्डार का संभावित गबन :–

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी द्वारा वाऊचर संख्या 24, अवधि 8/01 द्वारा ₹18,600.00 का भुगतान प्रिंस फर्नीचर चण्डीगढ़ को किया दर्शाया गया था, परन्तु न तो सम्बन्धित वाऊचर उपलब्ध थे तथा न ही उक्त सामग्री का इन्दराज कहीं किसी पुस्तिका में दर्ज पाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि सामग्री का गबन किया गया या यह क्रय पालिका के लिए किया ही नहीं गया प्रतीत होता है। अतः मामला गम्भीर है जिसकी पूर्ण जांच हो।

6(XXII) लकड़ी की खपत न बताने बारे :–

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ₹1,56,000.00 से ऊपर राशि की जलाने की लकड़ी (Fuel wood) की खरीद की थी। इस का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" में संलग्न है। इस लकड़ी की खपत का कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं था। अतः या तो खपत को बताया जाए अन्यथा इस राशि को गबन समझा जाए।

गम्भीर अनियमितताएं

6(XXIII) बिजली की निजि खपत हेतु बिल की ₹91,866.00 की वसूली :–

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि वर्ष जनवरी, 2000 में श्री एम0एन0 अनसारी के द्वारा नगर परिषद विश्राम गृह के दो कमरे अपनी रिहाईश हेतु कब्जा कर रखा था, जो 31 मई, 2000 तक बिना किराए से अपने पास रखा था। तत्पश्चात 1.6.2000 से 31.3.07 तक उस विश्राम गृह के दो कमरों को कार्यकारी अधिकारी का निवास बताया गया, जो भी कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद में तैनात हुए उन्होंने इस विश्राम गृह में बने निवास का प्रयोग किया। इस विश्राम गृह में बिजली का एक ही मीटर लगा था जिसका पूर्व में नम्बर आर0सी0–696 था व अब 000009 है, का प्रयोग इस विश्राम गृह में ठहरे कार्याकारी अधिकारी करते रहे हैं व इस बिजली मीटर का प्रयोग करते रहे। उनके द्वारा अलग से कोई भी बिजली का मीटर नही लगा था। जब विश्राम गृह के रजिस्टर की छानबीन की तो यह पाया गया कि इस विश्राम गृह में यात्रीयों का ठहराव नहीं के बराबर था। जब विश्राम गृह में यात्री का ठहराव नहीं हुआ तो बिजली का खर्च कैसे हुआ। इससे साफ प्रतीत होता है कि इस विश्राम गृह में ठहरे

कार्यकारी अधिकारीयों के द्वारा बिजली का प्रयोग किया व बिल का भुगतान नगर परिषद कोष से किया गया जो अनुचित था व 6/2000 से 3/2007 तक का बिजली का बिल ₹50,000.00 से उपर बनता था का दुरूपयोग कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा किया गया। इसमें कुछ उदाहरण परिशिष्ट "ट" में दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मासों के बिजली बिलों की गणना स्वयं करके समस्त राशि की वसूली ब्याज सहित दोषी कर्मचारियों से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6(XXIV) **कार्यकारी अधिकारी के निवास के दूरभाष पर ₹22,888.00 का अनुचित व्यय :-**

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा प्रधान, नगर परिषद को दूरभाष व्यय का प्रावधान से अधिक भुगतान किया गया था। निदेशक शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्या यू0एल0बी 11(ए)(7)-1/87-9237-84, दिनांक 20.8.2001 अनुसार प्रधान/सचिव/कार्यकारी अधिकारी के निवास पर लगे दूरभाष पर मासिक ₹500.00 के बिल का ही भुगतान कर सकते थे, परन्तु नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी द्वारा आदेशों की अवहेलना करते हुए प्रधान नगर परिषद को ₹18,289.00 का भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं मानते हुए समस्त राशि की वसूली सम्बन्धित प्रधान से करके कोष में जमा करवाएं। अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में करवाई जाए।

वा0सं0	माह	राशि जो अदा की	राशि जो अदा करनी थी	वसूली योग्य राशि
58	3/2000	1,286.00	1,000.00	286.00
40	5/2000	3,157.00	1,000.00	2,157.00
44	7/2000	1,152.00	1,000.00	152.00
62	9/2000	3,191.00	1,000.00	2,191.00
28	12/2000	3,026.00	1,000.00	2,026.00
45	1/01	2,479.00	1,000.00	1,479.00
42	2/01	2,365.00	1,000.00	1,365.00
45	1/02	1,168.00	1,000.00	168.00
50	3/02	1,102.00	1,000.00	102.00
48	5/02	1,149.00	1,000.00	149.00
26	10/02	1,160.00	1,000.00	160.00
25	2/03	1,125.00	1,000.00	125.00
42	5/03	581.00	500.00	81.00

4	8/03	1,767.00	1,000.00	767.00
51	1/04	1,450.00	1,000.00	450.00
46	3/04	1,522.00	1,000.00	522.00
32	4/04	920.00	500.00	420.00
48	6/04	2,221.00	1,000.00	1,221.00
42	10/04	1,556.00	500.00	1,056.00
41	2/05	1,637.00	1,000.00	637.00
62	4/05	1,308.00	1,000.00	308.00
42	6/05	2,271.00	1,000.00	1,271.00
47	8/05	2,272.00	1,000.00	1,272.00
47	10/05	2,197.00	1,000.00	1,197.00
48	12/05	1,282.00	1,000.00	282.00
42	2/06	2,123.00	1,000.00	1,123.00
33	8/06	1,562.00	1,000.00	562.00
26	10/06	1,394.00	1,000.00	394.00
43	12/06	1,616.00	1,000.00	616.00
30	2/07	1,349.00	1,000.00	349.00
				₹22,888.00

6(XXV) ₹50,400.00 की प्रयोग न की गई राशि की दण्डस्वरूप ब्याज सहित वसूली अपेक्षित

नगर परिषद द्वारा 42 ड्रम तारकोल की राशि एग्रो इण्डस्ट्री नालागढ तथा 20 ड्रम तारकोल खरीदने के लिए राशि का भुगतान किया था। सम्बन्धित विभागों द्वारा तारकोल के ड्रम 10.12.2006 तक नगर परिषद के लेने बारे भी कोई आवश्यक कार्यावाही नहीं की और तारकोल के ड्रम लेने की जरूरत ही नहीं समझी। जब परिषद को तारकोल के ड्रमों की आवश्यकता नहीं थी तो इन तारकोल के ड्रमों की राशि के भुगतान करने की क्या आवश्यकता थी। इस बारे कार्याकारी अधिकारी को अधियाचना संख्या 34, दिनांक 20.12.2006 द्वारा पूछा गया था, परन्तु इस सन्दर्भ में कार्याकारी अधिकारी द्वारा कोई जवाब न दिया गया। सम्बन्धित विभागों के पास जो नगर परिषद की राशि अनावश्यक रूप से बिना खर्चा किए पड़ी है को 18% ब्याज सहित वसूल करके नगर परिषद कोष मे जमा करवाएं।

6(XXVI) समाचार पत्र मे विज्ञापन देने हेतु ₹2,047.00 की कमीशन का अनियमित भुगतान:–

श्री जितेन्द्र भारद्वाज नालागढ़ को हिन्द समाचार मे विज्ञापन देने हेतु वाऊचर संख्या–24, अवधि 9/01 द्वारा ₹2,047.00 की कमीशन का भुगतान किया गया था। नियमों के अधीन समाचार पत्रों में विज्ञापन न देने हेतु किसी भी प्रकार की कमीशन देने का कोई प्रावधान नही है व इस निधि से यह उचित प्रभार नही था। अंकेक्षण में इस भुगतान को उचित नहीं माना गया। ₹2,047.00 की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

6(XXVII) निजि उपयोग हेतु परिषद निधि से ₹12,990.00 का अवैध भुगतान :–

वाऊचर संख्या 38, अवधि 7/01 द्वारा ₹12,990.00 का भुगतान रामा इलैक्ट्रोनिक्स नालागढ़ को एक रंगीन टी0वी0 खरीदने हेतु किया गया। सम्बधित अभिलेख की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि उक्त टैलीवीजन कार्यकारी अधिकारी के द्वारा अपने प्रयोग हेतु खरीदा था व सम्बन्धित टैलीवीजन को अपने निवास में लगाया गया था जोकि इस निधि से उचित प्रभार नहीं था। कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए नगर परिषद कोष का उपयोग टैलीविजन की खरीद पर किया। ₹12,990.00 की वसूली ब्याज सहित करके नगर परिषद निधि मे जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6(XXVIII) ₹3,985.00 का अवैध भुगतान :–

वाऊचर संख्या 94, अवधि 3/2000 द्वारा ₹3,985.00 का भुगतान हिमाचल खादी आश्रम नालागढ़ को 29 मीटर जूट मेट खरीदने हेतु किया गया जो कार्यकारी अधिकारी द्वारा एस0जे0एस0आर0वाई0 निधि से खरीदा था। इस निधि से यह उचित प्रभार नही था। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके निधि मे जमा करवाएं तथा की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6(XXIX) ₹11,73,428.00 का अनुचित भुगतान :–

नगर परिषद द्वारा पर्याप्त रूप में सफाई सेवक होने के बावजूद वार्ड नम्बर 1,6,7 में सफाई करवाने के लिए कार्य ठेके पर श्री धर्मपाल ठेकेदार नालागढ़ को दिया गया था। इस सन्दर्भ में ठेके पर कार्य देने से पूर्व कार्यकारी अधिकारी द्वारा औपचारिकताएं पूरी नही की थी, जो की जानी आवश्यक थी, जो निम्न प्रकार से है। विवरण परिशिष्ट ''न'' मे दिया गया है।

(क) वार्ड नम्बर 1,6,7 में सफाई ठेके पर करवाने की क्या आवश्यकता पड़ी जब कि पर्याप्त मात्रा में सफाई सेवक मौजूद थे।

(ख) ठेका करने से पूर्व किसी भी प्रकार का विज्ञापन अखबार/सरकारी पत्रिका में नही दिया गया था जो दिया जाना आवश्यक था।

(ग) सफाई करवाने के लिए कितने सफाई सेवकों की आवश्यकता थी व उनके द्वारा कितने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से की जानी आपेक्षित था।

(घ) कोई धरोहर राशि नगर परिषद कोष में जमा नहीं करवाई गई थी, जिसके बिना कार्य आबंटित नही किया जा सकता था।

(ङ) सफाई पर्यवेक्षक द्वारा किसी भी प्रकार की सफाई व्यवस्था के लिए अतिरिक्त मांग नही की थी। बिना मांग श सफाई ठेके पर देने का क्या औचित्य था।

उक्त के अतिरिक्त जब ठेकेदार को भुगतान किया गया तो निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई :-

(क) ठेकेदार से कोई परिषद ने किसी भी प्रकार का एग्रीमैन्ट नहीं किया था जिसके अभाव में कार्य आबंटित नहीं किया जा सकता था।

(ख) कितने सफाई सेवकों में तीन वार्डो में कार्य किया का कोई लेखा जोखा रिकार्ड में उपलब्ध नहीं था, जिसके अभाव में यह जांचना मुश्किल था कि वास्तव में सफाई का कार्य किया गया था व सफाई मजदूर ठेकेदार द्वारा रखे गए थे।

(ग) सफाई प्रभारी द्वारा इन तीन वार्डो (1,6,7) की रोजना कोई सफाई की प्रगति सूचना तैयार नहीं की थी जिससे पता चल पाता कि वास्तव में सफाई कार्य उचित ढंग से किया गया था या नहीं।

(घ) सफाई प्रभारी द्वारा ठेकेदारों के द्वारा तैनात सफाई कर्मचारी की कोई हाजरी नहीं लगाई थी।

(ङ) ठेकेदार से वांछित आयकर भी नहीं काटा गया था जो नियमाधीन प्रति मास काटा जाना आपेक्षित था।

6(XXX) <u>₹60,393.00 का आयकर/₹26,509.00 का बिक्रीकर न काटे जाने बारे</u> :-

नगर परिषद के लेखों की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि सप्लायारों/ठेकेदारो के बिल पारित करने से पूर्व आयकर/बिक्री कर नहीं काटा गया था जो काटा जाना अपेक्षित था। करों के न काटे जाने के फलस्वरूप ₹86,902.00 की अधिक अदायगी ठेकेदारो को की गई जो निम्न प्रकार है।

आयकर	₹60,393.00
बिक्रीकर	₹26,509.00
योग	₹86,902.00

₹85,902.00 की वसूली सम्बन्धित ठेकेदारों से की जानी सुनिश्चित करें अन्यथा इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए कि किस कर्मचारी की चूक से ठेकेदारों/सप्लायरों को अधिक अदायगी की गई। इसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "थ" में दिया गया है।

इस सारणी के अतिरिक्त यदि किसी अन्य की आयकर/बिक्री कर को न काटा गया हो तो उसकी सूची तैयार करके बिक्रीकर/आयकर काटा जाना सुनिश्चित करें।

6(XXXI) ₹20,478.00 का अपव्यय :—

वाऊचर संख्या 32, अवधि 8/06 द्वारा ₹20,438.00 का भुगतान दरी, कुर्सीयां खरीदने हेतु हिमाचल खादी आश्रम नालागढ़ को विश्राम गृह के प्रयोग हेतु किया गया जो राशि एस0जे0एस0आर0वाई से किया गया था। एस0जे0एस0आर0वाई से इस प्रकार की खरीद करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2006—07 में नगर परिषद के पास प्रर्याप्त मात्रा में फर्नीचर पड़ा था। इस व्यय को इस निधि से उचित न मानते हुए इस राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके सम्बन्धित कोष मे जमा करवाएं।

6(XXXII) ₹2,94,859.00 का बिना बिलों व आवश्यक अभिलेख के संदिग्ध भुगतान :—

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न बिलों का रिकॉर्ड कार्यालय में विद्यमान नहीं था। जब बिल की मांग सम्बन्धित प्रभारी से की गई तो वह आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं कर सके जिसके अभाव में व्यय को उचित नहीं मामा जा सकता। सम्बन्धित बिल को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा इन मदों पर किये गए व्यय राशि की वसूली करनी सुनिश्चित करें।

वा0सं0	अवधि	राशि	विवरण
20	5/06	25,867.00	भवन निर्माण सामग्री का भुगतान धर्मपाल ठेकेदार नालागढ़ को किया गया।
21	5/06	17,900.00	मकेनिकल ट्रांसपोर्ट से मिट्टी उठाने का भुगतान हंस राज चन्देल नालागढ़ को किया गया।
22	5/06	1,11,282.00	भवन निर्माण सामग्री का भुगतान सुबीन्द्र कौर ठेकेदारनी नालागढ़ को किया गया।
44	8/06	1,39,810.00	भवन निर्माण सामग्री का भुगतान सुबीन्द्र कौर ठेकेदारनी नालागढ़ को किया गया।
		₹2,94,859.00	

6(XXXIII) **टिन शैड के अनाधिकृत निर्माण पर किए गए ₹14,000 के व्यय की वसूली अपेक्षित :–**

वाऊचर संख्या 27, अवधि 9/2000 द्वारा ₹14,000.00 का भुगतान बतौर अग्रिम एग्रो इन्डस्ट्री नालागढ़ को गुरूद्वारा के पास एक टीन शैड के निर्माण कार्य हेतु दिया गया। रिकॉर्ड के अनुसार यह टीन शैड गुरूद्वारा के लिए बनाया गया था, जिसका भुगतान गुरूद्वारा सभा नालागढ़ द्वारा किया जाना अपेक्षित था इस टिन शैड पर किया गया व्यय परिषद निधि से उचित प्रभार नही था। यह व्यय कार्याकारी अधिकारी द्वारा एस0जे0एस0आर0वाई फण्ड से किया गया था, जिसके अर्न्तगत इस प्रकार के अनाधिकृत व्यय उचित नही माने जा सकते। राशि की वसूली करे एस0जे0एस0आर0वाई निधि में जमा करवाएं तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6(XXXIV) **₹10,000.00 का अवैध भुगतान बारे :–**

वाऊचर संख्या 2, अवधि 11/06 द्वारा ₹10,000.00 का भुगतान प्रोजैक्ट अधिकारी टी0सी0पी0 सोलन को टी एण्ड पी डायरेक्टरी खरीदने हेतु किया गया। यह व्यय इस निधि में उचित प्रभार नहीं था। इस प्रकार की खरीद का कोई औचित्य नहीं है। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस राशि की वसूली सम्बधित विभाग से की जाए, अन्यथा इसका उतरदायित्व निर्धारित करके राशि की वसूली करनी सुनिश्चित करें। की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6(XXXV) **₹828.00 का अवैध भुगतान :–**

वाऊचर संख्या 40, अवधि 12/06 द्वारा ₹3,30,071.00 का ड्राफ्ट हिमाचल प्रदेश सीवील सप्लाई निगम परवाणू हिमाचल प्रदेश को तारकोल के ड्रम खरीदने हेतु बनाया गया। इस राशि पर ड्राफ्ट बनाने की फीस ₹828.00 का भुगतान कार्याकारी अधिकारी द्वारा किया गया, जिसको उक्त निगम द्वारा वहन करना था। परिषद द्वारा ड्राफ्ट फीस देने का कोई प्रावधान नहीं था। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

6(XXXVI) **वाऊचरों का रिकॉर्ड में उपलब्ध न होने से ₹2,07,457.00 का संदिग्ध व्यय :–**

नगर परिषद लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय–वाऊचर बिल रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था, जिसके अभाव में इनकी जांच नहीं की जा सकी। इन बिलों को आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा समस्त राशि की वसूली करके राशि नगर परिषद कोष मे जमा करवाए। की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को सुचित करें।

वा०सं०	अवधि	राशि	विवरण
41	[illegible]/03	[illegible],418.00	श्याम सिंह चन्देल नालागढ़ को बजरी इत्यादि का भुगतान किया गया।
57	4/03	88,000.00	श्याम सिंह चन्देल नालागढ़ को 40,000 नम्बर ईंटों का भुगतान किया गया।
31	6/03	1,16,039.00	श्याम सिंह चन्देल नालागढ़ को रेत, बजरी इत्यादि का भुगतान किया।
		₹2,07,457.00	

6(XXXVII) ₹3,57,000.00 की वसूली बारे :–

नगर परिषद ने दुकान नम्बर 2,01,148.00 राज श्री मार्किट में राकेश कुमार को 8.3.1993 में अलॉट की थी। इस दुकान को उक्त किराएदार ने यह दुकान कुंज बिहारी पुत्र लक्ष्मी चन्द निवासी नालागढ़ को दिनांक 13.6.2000 को ट्रांसफर की, जबकि यह दुकान को ट्रांसफर करने का हक नहीं रखता था। इस दुकान के ट्रांसफर को कार्यकारी अधिकारी से अधियाचना संख्या 1, दिनांक 1.2.2007 द्वारा पूछा गया था, परन्तु वर्तमान कार्यकारी इस सन्दर्भ मे कोई जवाब न दे सके तथा इस दुकान के ट्रांसफर से परिषद को ₹3,000.00 से ऊपर की किराये की हानि हुई है या इससे भी अधिक हानि प्रति माह का अन्देशा है। अंकेक्षण ने तत्कालीन मार्किट किराए के आधार पर इस दुकान का ₹3,000.00 प्रति माह के हिसाब से 3/07 तक ₹3,57,000.00 की हानि परिषद को हुई है, क्योंकि श्री राकेश कुमार का इकरारनामा 1.5.1997 को समाप्त हो चुका था जिसके आधार पर 1.5.1997 से दुकान अवैध रूप में उसके द्वारा चला रखी थी तथा बाद मे उसने अवैध रूप से दुकान ट्रांसफर कर दी। इसका उतरदायित्व निर्धारित करके समय पर राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित करें।

6(XXXVIII) ₹3,40,000.00 की वसूली बारे :–

नगर परिषद नालागढ़ के तत्कालिन प्रशासन वी०एस० जसवाल ने 20.12.1982 को श्री कृष्ण कुमार शर्मा नालागढ़ को 20 X 12 फुट का प्लाट लीज पर दिया, जबकि प्रशासक को प्लाट लीज पर देने का हक नहीं था।लीज केवल सरकार के आदेशानुसार ही मिल सकती थी। प्रशासक ने अपने पद का दुरूपयोग करके लीज श्री कृष्ण कुमार शर्मा नालागढ़ का लीज प्रदान की जिसकी दर ₹127/– प्रति मास थी। बाद मे तत्कालिन प्रधान एस०के० कण्डोरा ने 1.1.88 से 31.3.91 तक इस प्लाट का किराया ₹154/– कर दिया, जबकि प्रधान नगर परिषद को प्लाट अलॉट या किराया बढ़ाने का हक नही था। इसका हक परिषद की बैठक में लिया जाना चाहिए था जो नही लिया गया था। तत्पश्चात श्री कृष्ण कुमार शर्मा ने 16.02.2000 को दुकान पटियाला

ग्राम उद्योग भण्डार नालागढ़ को बेची, जिसके दस्तावेज अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए केवल दुकान का नाम बदला गया। प्लाट पर बनी दुकान को बेचने का कोई हक श्री कृष्ण कुमार को नहीं था व इकरारनामा भी नहीं बनाया गया था जिसके अभाव में प्लाट/दुकान को अलॉट करने की शक्ति परिषद के पास थी। कार्यकारी अधिकारी को अधियाचना संख्या 2, दिनांक 1.2.2007 द्वारा पूछा गया था, परन्तु कार्यकारी अधिकारी कोई जवाब न दे सके। मार्किट दर पर इस दुकान का किराया ₹4,000.00 प्रति माह के करीब बनता था जो 1.3.2000 से 31.3.2007 तक ₹3,40,000.00 के करीब किराया बनता है। इस राशि की वसूली सम्बन्धित प्लाट/दुकान होल्डर से करके राशि नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

6(XXXIX) ₹1,44,000.00 की वसूली बारे :—

नगर परिषद 17.4.1986 के रेजूलूशन संख्या 2 अनुसार एक प्लाट नम्बर 28 अस्थाई रूप से श्री जसवन्त सिंह पुत्र दर्शन सिंह नालागढ़ को आबंटित किया था, जिस पर श्री जसवन्त सिंह किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकता था। दिनांक 22.9.2000 से श्री जसवन्त सिंह इस प्लाट पर अवैध निर्माण कर रहा था तो परिषद ने उसे निर्माण कार्य रोकने को पत्र संख्या 756, दिनांक 22.9.05 द्वारा कहा। परन्तु कार्यकारी अधिकारी की ढील से उसके द्वारा दुकान का निर्माण कार्य पूरा कर लिया। इसका इकरारनामा 1.4.2001 को समाप्त हो चुका था, तब इसके द्वारा अवैध निर्माण कैसे किया गया इसमें कार्यालय की ढील के कारण बिना इकरारनामें की प्लाट पर भवन निर्माण कर दिया। जब कि निर्माण कार्य को रोकने का पूरा उतरदायित्व कार्यकारी अधिकारी का था। श्री जसवन्त सिंह ने यह दुकान ₹2,000.00 के किराये पर हिमाचल खादी मण्डल नालागढ़ को दी थी जबकि यह किराया नगर परिषद को प्राप्त होना था। इस बारे अधियाचना संख्या 4, दिनांक 3.2.2007 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को पूछा गया था, परन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई जवाब न दिया गया जिससे साफ पता चलता है कि कार्यालय कोई भी कार्य नहीं करना चाहता है, जिससे परिषद को लाभ हो। 1.4.01 से 3/07 तक ₹1,44,000.00 की जो राशि श्री जसवन्त सिंह ने उक्त खादी मण्डल से प्राप्त की है, की वसूली करनी सुनिश्चित करें अन्यथा इसका उतरदायित्व निर्धारित करके समस्त राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

6(XXXX) ₹3,25,136.00 की वसूली बारे :—

कार्यकारी अधिकारी को अधियाचना संख्या 3, दिनांक 1.2.2007 द्वारा दुकान नम्बर 8 बारे पूछा गया था, जिसमें ₹11,000.00 की कम राशि तत्कालीन लेखाकार विजय वर्मा ने श्री जसवन्त सिंह पुत्र दर्शन सिंह नालागढ़ से ली। इस बारे कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया

तथा राशि की वसूली भी नहीं की गई जो अनियमित थी इस राशि की वसूली ब्याज सहित दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

श्री जसवन्त सिंह को 29.5 वर्ग गज जगह परिषद द्वारा दिनांक 31.3.82 को ₹25/- प्रति वर्ग गज अलॉट की थी, जबकि 24.9.82 को ₹1/- प्रति गज के हिसाब से राशि की वसूली की जो ₹708/- प्रतिमाह कम राशि ली गई। राशि को ₹25/- से घटा कर ₹1/- कैसे कर दिया, इस बारे कोई दस्तावेज अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए। लीज राशि घटाने के लिए परिषद सक्षम नहीं थी क्योंकि इकरारनामें में राशि घटाने के लिए परिषद सक्षम नहीं थी, क्योंकि इकरारनामें में राशि स्वयं जसवन्त सिंह द्वारा व परिषद द्वारा ₹25/- प्रति गज माना था इससे परिषद को 24.9.82 से 31.3.01 तक ₹1,57,176.00 की हानि का सामना करना पड़ा। इस राशि को सम्बन्धित किराएदार/लीजधारक से वसूला जाए अन्यथा राशि की वसूली का उतरदायित्व निर्धारित करके राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित करें।

श्री जसवन्त सिंह इस प्लाट पर बनी दुकान को किसी अन्य को किराए पर नहीं दे सकता था, परन्तु उसके द्वारा 1.4.01 को इण्डियन ऑयल को ₹2,500.00 प्रति माह के हिसाब से दुकान किराए हेतु दी जबकि वह परिषद को बिल मात्र ₹320.00 किराया अदा करता है। परिषद अधिकारी की ढील के कारण परिषद को ₹3,120.00 प्रति मास की दर से 1.4.2001 से 31.3.07 तक ₹1,56,960.00 की हानि हुई है। इस राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित करें। अतः ₹3,25,136.00 (11,000 + 1,56,960) की वसूली करके कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

6(XXXXI) कार्याकारी अधिकारी को अधियाचना संख्या 5, दिनांक 3.2.2007 द्वारा श्री संसारी लाल पुत्र मेहर चन्द निवासी नालागढ़ को अवैध रूप से दिए गए प्लाट नम्बर 70 बारे पूछा गया था। संसारी लाल को कार्याकारी अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 290/1 रकबा 27.45 वर्ग मीटर ₹7/- प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लीज हेतु दी। इस लीज को जिलाधीश सोलन ने देने से साफ इन्कार किया था, परन्तु फिर भी कार्याकारी अधिकारी द्वारा लीज हेतु पत्र 609/एम०सी०/न०ल०ग/ दिनांक 28.7.98, निदेशक स्थानीय स्वाशासन हिमाचल प्रदेश को भेजा। परन्तु इस लीज की मन्जूरी न मिलने के बावजूद श्री संसारी लाल ने लीज के स्थान पर भवन का अवैध निर्माण कर डाला। इस अवैध निर्माण को कार्याकारी अधिकारी द्वारा हटाने को कोई विशेष कार्य नहीं किया, बल्कि अवैध निर्माण होने दिया जो अनियमित था। कार्याकारी अधिकारी द्वारा 11.2.2006 को दिनांक 1.4.2001 से 31.3.06 का इकरारनामा बनाया जो बिलकुल गलत था अवैध लीज का इकरारनामा कार्याकारी अधिकारी द्वारा कैसे बनाया गया के बारे स्थिति

स्पष्ट करें। संसारी लाल ने अपनी अवैध लीज पर अवैध निर्मित दुकान को श्री हरबिन्द सिंह का बदी के बारे थी कार्यकारी अधिकारी कोई जवाब नहीं दे सके कि अवैध निर्माण की दुकानें दूसरे दुकानदार को क्यों दी गई। कार्याकारी अधिकारी द्वारा इस दुकान का किराया मात्र ₹300.00 प्रति माह लिया जाता रहा जबकि इस दुकान का किराया ₹5,000.00 से अधिक मार्किट दर पर है। इससे नगर परिषद को किराए के बावत लाखों रुपये की हानि पंहुची है की गणना स्वयं कार्याकारी अधिकारी करें व वांछित अवैध निर्माण से संसारी लाल द्वारा लिए गए किराए की वसूली भी की जानी सुनिश्चित करें। मामले को गम्भीर मानते हुए उच्चाधिकारी के समक्ष लाए जाने की सिफारिश की जाती है।

6(XXXII) <u>विश्राम गृह किराए की वसूली</u> :–

श्री एम0एल अनसारी ने बतौर कार्याकारी अधिकारी अपना पद भार नगर परिषद नालागढ़ में दिनांक 10.1.2000 को सम्भाला था। श्री एम0एल अनसारी दिनांक 10.1.2000 से 31.5.2000 तक नगर परिषद के विश्राम गृह में कमरा नम्बर 1 व 2 मे ठहरे। उक्त अधिकारी द्वारा 10.1.2000 से 31.5.2000 तक का कोई भी किराया नगर परिषद कोष में जमा नहीं करवाया था। नगर परिषद विश्राम गृह के रजिस्टर में 10.1.2000 से 31.5.2000 तक दो कमरों में ठहराव दर्शाया गया था व 1.6.2000 से विश्राम गृह में दो कमरे की रिहाईश के लिए परिषद द्वारा अलाटमैंट की थीं। नगर परिषद ने प्राईवेट तौर पर विश्राम गृह का कमरा ₹100.00 प्रति कमरा का किराया नियत किया था। श्री अन्सारी विश्राम गृह में 10.1.2000 से 31.5.2000 तक 143 दिन ठहरे। उससे ठहराव के ₹200.00 प्रतिदिन के हिसाब से ₹28,600.00 बनते हैं। इस राशि की वसूली उक्त कार्याकारी अधिकारी से की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई थी। इस राशि की वसूली ब्याज सहित करके निधि में जमा करवाएं तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

6(XXXXIII) <u>₹7,935.00 के अनुचित भुगतान बारे</u> :–

नगर परिषद द्वारा कार्याकारी अधिकारी के निवास के लिए दुरभाष की व्यवस्था कर रखी थी। निवास के दुरभाष के बिल का भुगतान निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी–II(ए) (7)–1/87–9237–84, दिनांक 20.6.01 में दर्शाए गए रेट से अधिक का भुगतान किया गया था जो ₹7935 बनता है। कार्याकारी अधिकारी को ₹500.00 प्रति मास का दूरभाष का भुगतान परिषद कोष से किया जा सकता था, बाकी शेष राशि का भुगतान कार्याकारी अधिकारी को स्वयं वहन करना था, जो उनके द्वारा न करके परिषद कोष से ही कर दिया था जो उचित नहीं था। राशि की वसूली सम्बन्धित कार्याकारी अधिकारी से करके परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

स्पष्ट करें। संसारी लाल ने अपनी अवैध लीज पर अवैध निर्मित दुकान को श्री हरविन्द सिंह का बदी के बारे थी कार्यकारी अधिकारी कोई जवाब नही दे सके कि अवैध निर्माण की दुकानें दूसरे दुकानदार को क्यों दी गई। कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस दुकान का किराया मात्र ₹300.00 प्रति माह लिया जाता रहा जबकि इस दुकान का किराया ₹5,000.00 से अधिक मार्किट दर पर है। इससे नगर परिषद को किराए के बावत लाखों रुपये की हानि पहुंची है की गणना स्वयं कार्याकारी अधिकारी करें व वांछित अवैध निर्माण से संसारी लाल द्वारा लिए गए किराए की वसूली भी की जानी सुनिश्चित करें। मामले को गम्भीर मानते हुए उच्चाधिकारी के समक्ष लाए जाने की सिफारिश की जाती है।

6(XXXXII) विश्राम गृह किराए की वसूली :–

श्री एम0एल अनसारी ने बतौर कार्याकारी अधिकारी अपना पद भार नगर परिषद नालागढ़ में दिनांक 10.1.2000 को सम्भाला था। श्री एम0एल अनसारी दिनांक 10.1.2000 से 31.5.2000 तक नगर परिषद के विश्राम गृह में कमरा नम्बर 1 व 2 में ठहरे। उक्त अधिकारी द्वारा 10.1.2000 से 31.5.2000 तक का कोई भी किराया नगर परिषद कोष में जमा नहीं करवाया था। नगर परिषद विश्राम गृह के रजिस्टर में 10.1.2000 से 31.5.2000 तक दो कमरों में ठहराव दर्शाया गया था व 1.6.2000 से विश्राम गृह में दो कमरे की रिहाईश के लिए परिषद द्वारा अलाटमैंट की थी। नगर परिषद ने प्राईवेट तौर पर विश्राम गृह का कमरा ₹100.00 प्रति कमरा का किराया नियत किया था। श्री अन्सारी विश्राम गृह में 10.1.2000 से 31.5.2000 तक 143 दिन ठहरे। उससे ठहराव के ₹200.00 प्रतिदिन के हिसाब से ₹28,600.00 बनते हैं। इस राशि की वसूली उक्त कार्याकारी अधिकारी से की जानी अपेक्षित थी जो नहीं की गई थी। इस राशि की वसूली ब्याज सहित करके निधि में जमा करवाएं तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

6(XXXXIII) ₹7,935.00 के अनुचित भुगतान बारे :–

नगर परिषद द्वारा कार्याकारी अधिकारी के निवास के लिए दुरभाष की व्यवस्था कर रखी थी। निवास के दुरभाष के बिल का भुगतान निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी–II(ए) (7)–1/87–9237–84, दिनांक 20.6.01 में दर्शाए गए रेट से अधिक का भुगतान किया गया था जो ₹7935 बनता है। कार्याकारी अधिकारी को ₹500.00 प्रति मास का दूरभाष का भुगतान परिषद कोष से किया जा सकता था, बाकी शेष राशि का भुगतान कार्याकारी अधिकारी को स्वयं वहन करना था, जो उनके द्वारा न करके परिषद कोष से ही कर दिया था जो उचित नहीं था। राशि की वसूली सम्बन्धित कार्याकारी अधिकारी से करके परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्यावाही से अंकेक्षण को सूचित करें।

वा0सं0	अवधि	राशि	दूरभाष नं0	जो राशि अदा की	जो अदा करनी थी	वसूली योग्य राशि
44	11/01	4,727.00	221553	1,652.00	1,000.00	652.00
45	1/02	4,667.00		1,207.00	1,000.00	207.00
50	3/02	4,776.00		1,442.00	1,000.00	442.00
55	5/02	4,431.00		1,122.00	1,000.00	122.00
51	7/02	5,028.00		1,242.00	1,000.00	242.00
26	10/02	4,890.00		1,992.00	1,000.00	992.00
20	12/02	4,300.00		1,146.00	1,000.00	146.00
56	4/03	2,834.00		1,679.00	500.00	1,179.00
42	5/03	1,942.00		746.00	500.00	246.00
41	8/03	6,375.00		2,888.00	1,000.00	1,888.00
62	4/05	5,076.00	220352	2,032.00	1,000.00	1,032.00
42	2/06	5,393.00		1,511.00	1,000.00	511.00
45	6/06			1,042.00	1,000.00	42 .00
33	8/06			1,252.00	1,000.00	252.00
26	10/06			1,002.00	1,000.00	2.00
					योग	₹7,935.00

6(XXXXIV) क्रय की गई गाड़ी की बैटरी की स्टॉक प्रविष्टी अपेक्षित :–

वाऊचर संख्या 27, अवधि 8/98 द्वारा ₹4,264.00 का भुगतान एक बैटरी गाड़ी नम्बर एच0आई0ए–7192 के लिए हिमाचल प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्री नालागढ़ को किया गया। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) बैटरी का भण्डारण इन्द्राज अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

(ख) पुरानी बैटरी का भण्डारण इन्द्राज की प्रविष्टि अंकेक्षण में नहीं बताई गई।

(ग) बैटरी खरीदने से पूर्व खुली मार्किट से निविदाएं प्राप्त नहीं की थी जो ली जानी चाहिए थी।

6(XXXXV) ₹1,400.00 का अपव्यय :–

वाऊचर संख्या 18, अवधि 11/2000 द्वारा ₹1,400.00 का भुगतान पोलीथीन लिफाफे एकत्रित करने हेतु रवि पुत्र श्री गेजा राम निवासी नालागढ़ को किया गया। नगर परिषद में

सफाई करने का कार्य सफाई कर्मचारियों द्वारा करवाया जाता है व शहर में पोलीथीन जलाने का कार्य भी सफाई सेवकों के द्वारा ही किया जाना अपेक्षित था, परन्तु कार्याकारी अधिकारी द्वारा सफाई कर्मचारी होते हुए राशि का भुगतान रति पुत्र श्री गैजा राम को दिया गया जो अवैध था। व्यय की स्थिति कार्याकारी अधिकारी स्पष्ट नहीं करवा सके। इस व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा भविष्य में इस प्रकार के व्यय करने से परिहार किया जाए।

6(XXXXVI) औपचारिकताओं की अनुपालना न करने के कारण ₹14,700.00 का अनियमित व्यय :–

वाऊचर संख्या 44, अवधि 11/2000 द्वारा ₹14,700.00 का भुगतान IDSMT की प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु हरीश ओवराय एण्ड एसोसिएट समीप जंज घर रोपड़ (पंजाब) को किया गया। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) निविदाएं कार्याकारी अधिकारी द्वारा स्वयं जा कर एकत्रित की थी जो कार्यालय आदेश द्वारा मंगवाई जानी चाहिए थी।

(ख) प्रोजैक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए सक्षम अधिकारी की मन्जूरी नहीं ली गई थी।

(ग) निविदाएं हिमाचल में न लेकर पंजाब से लेने का क्या औचित्य था व इसकी मन्जूरी क्या सक्षम अधिकारी से ली गई थी।

(घ) प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने का सम्बन्धित निधि में कोई प्रावधान नहीं था।

6(XXXXVII) स्वयं निविदाओं से Sport Collection करने से प्रचलित दरों से अधिक मूल्य पर क्रय की सम्भावना :–

वाऊचर संख्या 44, अवधि 5/01 द्वारा ₹57,425.00 का भुगतान हरबिन्द सेलज़ कारपोरेशन नालागढ़ को 8 नम्बर सिनटैक्स वाटर टैंक खरीदने हेतु किया गया। इस खरीद के लिए निम्न आपत्तियां प्रकाश में आई :–

(क) कार्यालय आदेश के द्वारा निविदाएं प्राप्त नहीं की थी। निविदाएं सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा स्वयं ले कर सम्बन्धित फर्म को अनावश्यक लाभ दिया गया व खुली मार्किट की तत्कालिन कीमत से काफी उंची दर से वाटर टैंक खरीदे गए।

(ख) 05/01 में परिषद के पास प्रर्याप्त मात्रा में वाटर टैंक उपलब्ध थे, तब अतिरिक्त टैंक खरीदने की क्या आवश्यकता पड़ी, इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

(ग) सरकार के द्वारा जिस फर्म का रेट कौन्ट्रैक्ट वाटर टैंक खरीदने हेतु किया था से खरीद क्यों नहीं की गई तथा रेट कौन्ट्रैक्ट से क्या अधिक भुगतान तो नही किया गया के बारे रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

6(XXXVIII) ₹1,03,680.00 के व्यय का औचित्य अपेक्षित :–

वाऊचर संख्या 40, अवधि 8/01 द्वारा ₹1,03,680.00 का भुगतान हिमाचल प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्री नालागढ़ को उनके बिल संख्या 0024884, दिनांक 30.5.2001 के विरूद्ध 2 वाटर स्टोरेज टैंकर खरीदने हेतु किया गया जो S.J.S.R.Y निधि से क्रय किया गया था। इस निधि से इस प्रकार के व्यय करने का कोई प्रावधान नही था। उक्त वाटर स्टोरेज टैंकर खरीदने का क्या औचित्य था के बारे अंकेक्षण को न बताया गया तथा इस टैंकर खरीदने से परिषद को क्या वित्तीय लाभ हुआ के बारे भी कोई प्रमाण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। इस भारी भरकम व्यय को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस व्यय को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली ब्याज सहित वसूल करके S.J.S.R.Y निधि में जमा करवाएं।

6(XXXIX) अवैध निविदाओं पर स्टेशनरी खरीदने से प्रचलित दरों से ऊंचे मूल्य के कारण वित्तीय हानि :–

वाऊचर संख्या 44, अवधि 4/02 द्वारा ₹24,293.00 का भुगतान कार्यालय स्टेशनरी खरीदने हेतु छावड़ा प्रिंटिंग प्रेस, होशियारपुर पंजाब को किया गया। इस खरीद की निविदा कार्याकारी अधिकारी से स्वयं प्राप्त की थी व निविदाओं पर तिथि भी अंकित नहीं की गई थी जो अनियमित था। बिना तिथि के निविदा को उचित नही माना जा सकता। कार्याकारी अधिकारी द्वारा बिना तिथि के निविदा लिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त फर्म को अनावश्यक लाभ दिया गया था, जिससे परिषद को ऊंची दर से स्टेशनरी खरीदने के विरूद्ध काफी वित्तीय हानि का सामना करना पड़ा। इस हानि की गणना करके राशि की वसूली नगर परिषद कोष मे जमा करवाएं।

6(L) ₹1,400.00 के अग्रिम का समायोजन अपेक्षित :–

वाऊचर संख्या 53, अवधि 4/02 द्वारा ₹1,400.00 की राशि का भुगतान कार्याकारी अधिकारी को शिमला प्रवास के लिए दिया गया था 3/07 तक कार्याकारी अधिकारी द्वारा उक्त राशि का समायोजन न किया गया था। जो अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर मामला है। राशि की वसूली ब्याज सहित करके नगर परिषद कोष मे जमा करवाएं।

6(Li) कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित किए बिना ₹18,39,770.00 के बिलों का अनियमित भुगतान :–

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कुछ भुगतान बिलों को पास किए बिना ही कर दिया था। कार्याकारी अधिकारी के द्वारा बिल पारित नहीं किए गए, जिसके फलस्वरूप बिल का भुगतान नही किया जा सकता था। परन्तु कार्याकारी

अधिकारी द्वारा चैक काट कर भुगतान कर दिया, जिसके लिए कार्याकारी अधिकारी को अधियाचना के द्वारा पूछा गया था परन्तु कार्याकारी अधिकारी द्वारा कोई जवाब न दिया गया। जिससे प्रतीत होता है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बिना रिकॉर्ड देखे फर्म को भुगतान किया गया जो अनियमित था। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं जिनको कार्याकारी अधिकारी द्वारा बिना पास किए भुगतान किया था। कार्याकारी अधिकारी इस स्थिति को स्पष्ट करें की क्यों बिलों को पारित नही किया गया तथा बिलों को न पारित करने का क्या उद्देश्य था। इस मामले को उच्चाधिकारी के समक्ष लाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी गलती न दोहराई जाए। इन बिलों को सम्बन्धित अधिकाररियों से पारित करवाया जाए अन्यथा समस्त राशि की वसूली करनी सुनिश्चित करें।

वा०सं०	अवधि	राशि	विवरण	विशेष कथन
22	4/2000	1,02,613.00	बिजली का सामान, खिलन एण्ड कम्पनी नाहन से खरीदा।	सामान की खपत न बताई गई।
72	5/2000	11,590.00	ड्रेन कवर केके स्टील वर्कस नालागढ़ से खरीदे गए।	सामान की खपत न बताई गई।
29	6/2000	1,11,433.00	पत्थर/रोड़ी श्याम सिंह चन्देल नालागढ से खरीदे गए।	
31	6/2000	69,888.00	रेत, श्याम सिंह चन्देल नालागढ से खरीदा गया।	
33	7/2000	47,100.00	श्याम सिंह चन्देल नालागढ को पानी के विरूद्ध भुगतान किया।	
40	7/2000	7,500.00	भगत सिंह, सारिका व मंजीत कोहली को भुगतान किया गया।	
32	7/2000	10,000.00	भुगतान सुदेश कुमारी नालागढ को किया गया।	

28	9 / 2000	1,960.00	30 शर्ट का भुगतान जैन सन्ज़ नालागढ़ को किया गया।	
22	11 / 2000	668.00	कुलवन्त, मोहम्मद शफी व श्री राम, मजदूरों को भुगतान किया।	
23	11 / 2000	17,509.00	कण्डी ऑफिस के समीप रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया।	
23/1	11 / 2000	4,320.00	गली के मुरम्मत कार्य का भुगतान किया गया।	
24	11 / 2000	28,464.00	नगर परिषद कार्यालय के समीप नाले का निर्माण किया गया।	
25	11 / 2000	2,463.00	टायलेट का निर्माण कार्य पर व्यय किया गया।	
28	11 / 2000	46,800.00	श्याम सिंह चन्देल ठेकेदार को भुगतान किया गया।	
30	11 / 2000	22,750.00	श्याम सिंह चन्देल ठेकेदार को भुगतान किया गया।	वास्तविक रसीद रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी।
44	11 / 2000	14,700.00	भुगतान हरीश ऑबरोय एण्ड एसोसिएशन रोपड़ को किया गया।	
50/1	11 / 2000	35,000.00	भुगतान चिटकारा कन्सट्रक्शन दि माल शिमला को किया।	

20	12/2000	6,813.00	टायलेट निर्माण कार्य पर व्यय किया।
21	12/2000	15,208.00	कण्डी परियोजना कार्यालय के पास रिटेनिंग वॉल का कार्य किया।
31/1	3/01	8,987.00	शापिंग कम्पलैक्स कार्य का भुगतान किया गया।
31/II	3/01	16,199.00	शापिंग कम्पलैक्स कार्य का भुगतान किया गया।
28	4/01	8,655.00	वार्ड नम्बर 9 में रिटेनिंग वॉल के कार्य का भुगतान किया।
29	4/01	11,443.00	वार्ड नम्बर 9 में रिटेनिंग वॉल के कार्य का भुगतान किया।
31	4/01	5,859.00	जी0आई0पाईप ढुलाई कार्य का भुगतान किया।
30	4/01	1,665.00	IPH कलौनी के पास सड़क निर्माण कार्य।
32	4/01	5,041.00	पाईप लाइन गबला कुआ से नगर परिषद कार्यालय तक ढुलाई कार्य का भुगतान किया।
31	1/04	1,18,951.00	बिजली का सामान गिलटन इलैक्ट्रिकल मध्य मार्ग चण्डीगढ़ से खरीदा गया।

24	10/04	17,093.00	सफाई सेवकों को भुगतान किया।
25	10/04	2,040.00	चालक को भुगतान किया।
26	10/04	4,426.00	चौकीदार/मेटमेट को भुगतान किया।
27	10/04	12,226.00	मेटर मेट इत्यादि को भुगतान किया।
28	10/04	2,475.00	मिस्त्री को भुगतान किया।
29	10/04	6,375.00	मजदुरों को भुगतान किया।
30	10/04	7,085.00	मजदुरों को भुगतान किया।
31	10/04	662.00	सैनी मोटर नालागढ़ को भुगतान किया।
32	10/04	255.00	ताले इत्यादि खरीदे गए।
34	10/04	16,000.00	धर्मपाल ठेकेदार को भुगतान किया।
35	10/04	87,000.00	C.P.F की अदायगी की गई।
36	10/04	9,450.00	चिकित्सा पूर्ति दावे की अदायगी ई0आ0 को की ।
40	10/04	31,850.00	सदस्यों को मानदेय दिया।
41	10/04	1,64,838.00	भुगतान श्याम सिंह चन्देल ठेकेदार को किया।

41/बी	10/04	12,299.00	भुगतान श्याम सिंह चन्देल ठेकेदार को किया।
42	10/04	3,184.00	दूरभाष बिल का भुगतान किया।
43	10/04	68,453.00	बिजली के बिल का भुगतान किया।
44	4/05	9,755.00	धर्मपाल ठेकेदार को भुगतान किया।
45	4/05	16,603.00	धर्मपाल ठेकेदार को भुगतान किया।
46	4/05	16,447.00	धर्मपाल ठेकेदार को भुगतान किया।
47	4/05	17,422.00	धर्मपाल ठेकेदार को भुगतान किया।
48	4/05	16,038.00	धर्मपाल ठेकेदार को भुगतान किया।
49	4/05	41,123.00	धर्मपाल ठेकेदार को भुगतान किया।
50	4/05	26,989.00	धर्मपाल ठेकेदार को भुगतान किया।
51	4/05	13,296.00	धर्मपाल ठेकेदार को भुगतान किया।
52	4/05	28,315.00	भुगतान दीपक कुमार को किया।
53	4/05	2,902.00	भुगतान दीपक कुमार को किया।

54	4/05	18,823.00	भुगतान दीपक कुमार को किया।	
55	4/05	9,664.00	भुगतान दीपक कुमार को किया।	
56	4/05	19,206.00	भुगतान सुरेन्द्र ट्रांसपोर्ट नालागढ़ को किया।	
57	4/05	2,204.00	भुगतान महेश हार्डवेयर नालागढ़ को किया गया।	
59	4/05	1,940.00	भुगतान हरभजन सिंह घनौली को किया गया।	
60	4/05	38,944.00	बिजली के बिल का भुगतान किया।	
26	5/05	9,685.00	मजदूरों को भुगतान किया गया।	माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई
27	5/05	8,850.00	मजदूरों को भुगतान किया गया।	माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई
28	5/05	4,425.00	मोटर मेट/चौकीदार को भुगतान किया ।	
29	5/05	3,120.00	ड्राफ्ट मैन को भुगतान किया गया।	
36	12/05	10,841.00	दीपक कुमार ठेकेदार को भुगतान किया गया।	
37	12/05	22,050.00	मजदूरों को भुगतान किया गया।	1. माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गई। 2. भुगतान पर अंगूठे निशान को सत्यापित नहीं किया था। 3. मजदूरों को लगाने की अनुमति प्राप्त नहीं की थी।

38	12/05	5,320.00	मजदूरों को भुगतान किया गया।	–यथोपरि–
39	12/05	26,200.00	मजदूरों को भुगतान किया गया।	–यथोपरि–
23	1/06	3,136.00	भुगतान मनोज कुमार प्रस्तावर को किया।	वास्तविक रसीद प्रस्तुत नहीं की।
24	1/06	6,412.00	मजदूरों को भुगतान किया गया।	माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की।
26	1/06	15,190.00	मजदूरों को भुगतान किया।	माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की।
27	1/06	9,858.00	मजदूरों को भुगतान किया।	माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की।
29	1/06	23,100.00	मजदूरों को भुगतान किया।	माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की।
55	1/06	88,029.00	धर्मपाल ठेकेदार को भुगतान किया।	
53	1/06	1,01,690.00	श्याम सिंह ठेकेदार को भुगतान किया।	
54	1/06	43,916.00	सुविन्द्र कौर, ठेकेदार नालागढ़ को भुगतान किया।	

6(Lii) **<u>सरकार द्वारा स्वीकृत दर ठेका की अवहेलना से ₹9,95,604.00 का अनियमित व्यय</u>**

नगर परिषद द्वारा बिजली का सामान खुली मार्किट से खरीदा गया था, जबकि सरकार के पत्र संख्या 1–सी(14) 1/83, दिनांक 6.9.95 अनुसार भण्डार में प्रयुक्त सारा सामान दर संविदा वाली फर्म से खरीदा जाना अपेक्षित था। परन्तु कार्यकारी अधिकारी नालागढ़ द्वारा सरकार के पत्र/आदेश की अवहेलना करके सामान खुले बाजार से खरीदा। सम्बन्धित कर्मचारी

द्वारा नियन्त्रक भण्डार हिमाचल प्रदेश से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया था। बिजली की फर्मों से जारी एम0आर0पी0 से अधिक राशि का भुगतान किया गया था जो कि लाभ फर्म द्वारा होलसेल विक्रेताओं को दिया जाता है, उस लाभ को कार्यकारी अधिकारी ने प्राप्त न किया था। कार्यकारी अधिकारी ने स्थानीय बिजली सामान विक्रेताओं से सामान न खरीद कर सामान नालागढ़ से बाहर की कम्पनीयों से लिया जिससे साफ प्रतीत होता है कि कार्यकारी अधिकारी ने बाहरी फर्मों को अनावश्यक लाभ दे कर सामान खरीदा।

खरीदा गया सामान कहां–कहां, किन–किन पोलो में बदला गया का लेखा जोखा भी अकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। खराब सामान की कोई सूची सम्बन्धित प्रमारी द्वारा प्रस्तुत नहीं की, जिससे नए खरीदे गए सामान की पुष्टि की जा सकती। खराब प्वाइंटों की कम्पलेंट रजिस्टर भी तैयार नहीं किया गया था जिससे सामान की खपत बारे विस्तृत जानकारी मिलती। इस अभाव में खरीद को भी उचित नहीं माना जा सकता कि किस आधार पर कार्यकारी अधिकारी द्वारा सामान की खरीद की गई। सामान के खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए कि बिना बिजली प्रभारी की मांग पर सामान क्यों खरीदा गया। इस खरीद का विवरण परिशिष्ट "ढ" में दर्शाया गया है।

7 **संशोधित स्वीकृति के बिना ₹20,697.00 का व्यय**

7(I) **वाऊचर संख्या 2, अवधि 1/2000 बावत राशि ₹1,48,244.00 :–**

प्राक्कलन में जिन मदों का कार्य होना वांछित होता है और जिन मदों के लिए टैण्डर आमन्त्रित किए जाते हैं यदि उन मदों से अधिक कार्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा करवाया जाना होता है तो उसकी कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से तकनीकी व प्रशासनिक तौर पर ली जानी आवश्यक होती है। परन्तु बिना सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के अधिक राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता था। इस अधिक राशि के भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा व्यय की गई राशि की वसूली करके परिषद कोष में जमा करवाएं।

क्र0 सं0	मद	जो कार्य करना था	जो कार्य करवाया गया	अन्तर	दर	राशि
1	फस्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:6	30.54 M^3	51.01 M^3	20.47	425.75	8,715.00
2	P.L 50mm thick C.C 1:2:4	24.76 M^2	66 M^2	41.24	35.20	1,452.00

3	फस्ट क्लास ब्रिक मैसनरी 1.6	43.45 M²	59.25 M²	16.08	426.76	6,727.00
4	पी0एल सी0सी 1.1/2 .3	1.34 M³	4.40 M³	3.06	650.00	1,989.00
5	प्रोवाईडिंग फार्म वर्क टिम्बर प्लासटिंग	14 M²	51.28 M²	37.28	48.65	1,814.00
						₹20,697.00

(ii) **मदों से अधिक किए गए कार्य का ब्यौरा**

(1) **₹29,808.00 का अधिक भुगतान बारे** :–

कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम
वार्ड नम्बर 3 समीप दिवान चन्द के घर के पास कलवर्ट का निर्माण	मनोज कुमार गुप्ता

वाऊचर संख्या 46, अवधि 2/2000, राशि ₹36,648.00

क्र0 सं0	मद	जो कार्य होना था	जो कार्य किया	अन्तर	दर (₹)	राशि (₹)
1	फार्म वर्क टिम्बर प्लास्टरिंग	7.80 M²	852 M²	.72	1645.30	1,185.00
2	वोल्डर फिलींग	9.72 M²	37.97 M²	28.26	391.70	11,066.00
3	20 एमएम फलैजड स्टोन	6 M²	9.95 M²	3.95	188.40	744.00
4	S.R मैसनरी C.C 1.2	26.82 M²	40.64 M²	13.82	24.40	337.00
5	P.L C.C 1.2.4	4.77 M²	8.70 M²	393	113.00	444.00
अतिरिक्त मद						
1	एस0आर मैसनरी		8.31 M³		1645.30	13,672.00
2	1.2.4 सी0सी		0.99 M³		1708.40	1,691.00
3	एजेज ऑफ स्लेव		14.80		45.20	669.00
						₹29,808.00

(2) **₹36,113.00 का अधिक भुगतान बारे :—**

कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम
वार्ड नम्बर 2 सुख देव के घर से स्लटर हाऊस तक गली का निर्माण कार्य	जय राम नालागढ़

वाऊचर संख्या 70, अवधि 3/2000, राशि ₹21,000.00

क्र0 सं0	मद	जो कार्य होना था	जो कार्य किया	अन्तर	दर (₹)	राशि (₹)
1	ड्रैसिंग द ग्राऊण्ड	118.40 M^3	256 M^2	137.00	2.20	708.64
2	P.L C.C 1.4.8	17.6 M^3	46.60 M^2	29	361.80	24,551.69
3	P.L C.C 1.2.4	117.44 M^2	256 M^2	138.56	32.00	10,375.37
4	एस0फार प्रोवाईडिंग सी.सी 1.2.4	102.72 M^2	230.40 M^2	127.68	1.60	477.52
						₹36,113.22

(3) **₹49,502.00 का अधिक भुगतान बारे :—**

	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम
(क)	सुरिन्दा मार्ग पर रिटेनिंग वॉल निर्माण बारे	सुजाल खान, नालागढ़

वाऊचर संख्या 47, अवधि 7/02, राशि ₹40,916.00

क्र0 सं0	मद	जो कार्य किया	जो कार्य करना था	अन्तर	दर 22% निम्न	राशि
1	आर0आर मैसनरी	122.83 M^3	90.18 M^3	32.65	1077.20 (–) 22%	27,433.00
अतिरिक्त मद						
1	बोल्डर फिलींग	17.82 M^3			391.90 (–) 22%	5,446.00
2	डिस्पोजल ऑफ अर्थ	42.51 M^2			64.44 (–) 22%	2,137.00

3	प्रेमइक्सिंग एण्ड मिक्सिंग पीएमसी	17.94	81.00 (–) 22%	1,133.00
				₹36,148.00

कार्य का नाम — **ठेकेदार का नाम**

(ख) बाजार से रोपड़ सडक का मैटलींग कार्य — सुजाल खान, नालागढ़

वाऊचर संख्या 47, अवधि 7/02, राशि ₹40,916.00

क्र0 सं0	मद	जो कार्य किया	जो कार्य करना था	अन्तर	दर 5% निम्न	राशि
1	प्रीमिक्सिंग कोट सील कोट	1217.87 M^2	1043 M^2	174.37	485 प्रति 10 m^2	7,282.00
		1217.87 M^2	1043 M^2	174.37	185 प्रति 10 m^2	2,898.00
	प्रीमिक्सिंग सरफेस	1217.87 M^2	1043 M^2	174.37	32 प्रति 10 m^2	529.00
	ट्रैक कोट	1217.87 M^2	1043 M^2	174.37	160 प्रति 10 m^2	2,645.00
						₹13,354.00

(4) ₹7,109.00 का अधिक भुगतान बारे :–

कार्य का नाम — **ठेकेदार का नाम**

वार्ड नम्बर 4 में नाला निर्माण कार्य — रोशन लाल

वाऊचर संख्या 34, अवधि 9/03, राशि ₹12,678.00

क्र0 सं0	मद	जो कार्य किया	जो कार्य करना था	अन्तर	दर 22% निम्न	राशि
1	पी.एल.सी.सी 1.4.8	4.04 M^2	2.09 m^2	1.35	1181.60	1,647.00
2	आर.आर मैसनरी 1.6	11.28 M^2	6.34 m^2	4.94	1070.20	5,462.00
						₹7,109.00

7(iii) **₹90,584.00 के अधिक भुगतान बारे :–**

वाऊचर संख्या 71, अवधि 4/02 द्वारा ₹14,128.00 का भुगतान श्री सुजल खान निवासी नालागढ़ को दिनेश कुमार के घर के समीप स्टेज निर्माण कार्य करवाने के एवज मे किया गया। सम्बन्धित अभिलेख की छानबीन दौरान यह पाया गया कि प्राक्कलन मे जिन–जिन मदों पर कार्य किया जाना अपेक्षित था उन मदों के अतिरिक्त अन्य मदों पर कार्य किया गया, जिनका न तो प्राक्कलन में वर्णन था और न ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक/तकनीकी मन्जूरी प्रदान की थी, बिना मन्जूरी के किए गए काम की अदायगी की जानी अनियमित थी। इस भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। अतिरिक्त मदों पर किए गए कार्य की क्या आवश्यकता पड़ी के बारे कोई तकनीकी टिप्पणी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतिरिक्त मदों पर ₹90,584.00 का भुगतान किया गया था, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली करके राशि को परिषद कोष मे जमा करवाए अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण में की जाए।

क्र0सं0	मद	जो कार्य किया	दर	राशि
1	आर.आर मैसनरी	13.40 m^3	1071.20	14,484.00
2	आरआर मैसनरी सुपर स्टक्चर	11.23 m^3	1077.20	12,097.00
3	आर.सी.सी 1.4.8	8.31 m^3	1181.80	9,821.00
4	सी.सी0 फलोरिंग 20 mm	279.80	113.00	31,660.00
	40 mm	283.60	39.70	11,259.00
5	पी.एफ फोरम वर्क	0.09 m^2	17264.20	1,553.00
6	पी.एफ प्लेटफॉर्म शटर	6.25 m^2	873.10	5,456.00
7	व्हाइट वाशिंग	158.94 m^2	2.10	332.00
8	फिनिशिंग वर्क	191.20 m^2	18.20	3,480.00
9	अप प्राइमर कोट	15.18	10.60	159.00
10	फलासटिंग कोट	15.18	24.60	373.00
				₹90,584.00

7(iv) ₹58,077.00 के अधिक भुगतान बारे :—

वाऊचर संख्या 47, अवधि 8/02 द्वारा ₹89,708.00 का भुगतान सुविन्द्र कौर निवासी नालागढ़ को वार्ड नम्बर 1 में पक्का नाला के निर्माण कार्य हेतु किया गया। उक्त कार्य के लिए जितने मद का कार्य किया जाना था उसमें से कुछ मद में अधिक कार्य किया गया था। अधिक किए गए कार्य की कोई मन्जूरी सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई थी और न ही अधिक कार्य किए जाने बारे कोई अतिरिक्त रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। अतिरिक्त किए गए कार्य की प्रशासनिक/तकनीकी मन्जूरी भी सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी जिसके अभाव में अधिक किए गए ₹58,077.00 के भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। अधिक किए गए कार्य पर व्यय को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	मद	जो कार्य किया	जो होना था	अन्तर	दर	राशि
1	पी.एल.सी.सी 1.2.4	23.90 m^3	13.44 m^3	10.46	1181.80	12,361.00
2	एस.आर. मैसनरी	54.10 m^3	30.24 m^3	23.90	1585.70	37,898.00
3	सी.सी फलोरिंग	67 m^2	60.20 m^2	6.8	113.00	768.00
4	स्टोन फिलींग	39 m^2	21.00 m^2	18	391.70	7,050.00
					योग	₹58,077.00

7(v) ₹43,051.00 के अधिक भुगतान बारे :—

वाऊचर संख्या 24, अवधि 11/02 द्वारा ₹33,479.00 का भुगतान अमर सिंह ठेकेदार नालागढ़ को नालागढ़ में 5 नम्बर दुकानों के निर्माण कार्य करने हेतु किया गया। प्राक्कलन में दर्शाए गए मदों के कार्य के अतिरिक्त कार्य परिषद द्वारा बिना तकनीकी/प्रशासनिक मन्जूरी लिए किया गया जो अनियमित था। अतिरिक्त कार्य करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की थी। इस अतिरिक्त किए गए कार्य को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। इस अतिरिक्त मद पर किए गए ₹43,051.00 के भुगतान को सक्षम अधिकारी की मन्जूरी से नियमित करवाया जाए, अन्यथा किए गए भुगतान राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	मद	जो कार्य किया	दर	राशि
1	पी.सी.सी. 1.4.8	12.274 m^3	1181.80	14,506.00
2	सी.सी. 1.1/2.3 फिलिंग	1.58 m^3	1962.80	3,093.00
	सी.सी. 1.1/2.3 कोलम	1.375 m^2	2091.30	2,753.00
	सी.सी. 1.1/2.3 स्लेब	2.625 m^2	2091.30	5,253.00
3	ब्रिक वर्क इन फाऊनडेशन	2.19 m^2	1261.00	2,702.00
4	50 mm thick 1.2.4	26.57 m^2	113.00	3,002.00
5	ग्रेडिंग रूफ 1.2.4	4.48 m^2	1846.10	8,270.00
6	आर.एम पाईप	1240	176.60	2,190.00
7	एम.एम होल्डर	12	39.20	470.00
8	प्लेन बैण्ड	4	77.90	312.00
9	अर्थ वर्क एक्जवेशन	5.4 m^2	92.88	502.00
			योग	₹43,061.00

7(vi) **₹22,647.00 का अधिक भुगतान बारे :–**

वाऊचर संख्या 64, अवधि 9/06 द्वारा ₹57,844.00 का भुगतान धर्मपाल ठेकेदार को वार्ड नम्बर 3 मे दिवान चन्द के घर के समीप गली के निर्माण पर किया गया। निर्माण पर प्राक्कलन द्वारा जिस–जिस मद पर व्यय किया जाना था के अतिरिक्त मद पर ₹22,647.00 व्यय परिषद द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की मन्जूरी के किया गया, जो अनियमित था। अतिरिक्त किए गए कार्य को बिना मन्जूरी के नही किया जा सकता। व्यय को सक्षम अधिकारी से मन्जूरी ले कर नियमित करवाएं, अन्यथा समस्त राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके परिषद कोष मे जमा करवाएं।

मद	जो कार्य किया	दर	राशि
पी.सी.सी फलोरिंग	175 m³	113.00 + 125%	13,073.00
आर.आर मेसनरी	7.45 m³	1077.20 + 129%	9,674.00
			₹22,847.00

7(vii) **₹17,35,137.00 के अनाधिकृत भुगतान बारे :–**

नगर परिषद के IDSMT प्रोजैक्ट के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि IDSMT के प्राकलन में एग्जावेशन इन फाऊंडेशन ट्रैंचर्ज में 1506.67 घनमीटर स्टील का कार्य होना था। जब माप पुस्तिका नम्बर 48 के पृष्ठ 47 की जांच की तो यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा 25275.67 घनमीटर का कार्य किया, जबकि इतना अधिक कार्य होने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी जो कि वास्तविक मद से 23769 घनमीटर अधिक था। इस बारे अधियाचना संख्या 6, दिनांक 17.11.2006 को सम्बन्धित अधिकारी को पूछा गया था परन्तु उनके द्वारा कोई जवाब प्राप्त न हो सका जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस गलती को मानते हैं। इतना अधिक किए गए कार्य का कोई ठोस प्रमाण अंकेक्षण में प्रस्तुत न कर सके जिससे अधिक किए गए कार्य की पुष्टि की जा सकती। नगर परिषद द्वारा प्रति घनमीटर का ₹73/– की दर से प्राकलन से अधिक 23769 घन मीटर कार्य के लिए ₹17,35,137.00 का अनावश्यक भुगतान ठेकेदार को किया। इस अधिक किए गए भुगतान का उतरदायित्व निर्धारित करके समस्त राशि की वसूली करनी सुनिश्चित करें।

7(viii) **₹35,90,713.00 के अधिक भुगतान बारे :–**

वाऊचर संख्या 32, अवधि 6/02 द्वारा ₹11,48,628.00 का भुगतान राजेन्द चौहान को किया। नगर परिषद द्वारा नालागढ़ में आई0डी0एस0एम0टी0 के अर्न्तगत शॉपिंग कम्पलैक्स का निर्माण कार्य किया गया। प्राकलन अनुसार जिस–जिस मद में जितना कार्य किया जाना था। परिषद द्वारा मद में वर्णित कार्य से अतिरिक्त कार्य किया गया था जिसकी मन्जूरी सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई थी जो ली जानी आवश्यक थी। मद से उपर किए गए व्यय पर ₹35,90,713.00 का भुगतान ठेकेदार श्री राजेन्द चौहान निवासी शिमला को किया गया। अधिक किए गए कार्य की मन्जूरी सक्षम अधिकारी से लेकर व्यय को नियमित करवाया जाए, अन्यथा राशि की वसूली ठेकेदार से या सम्बन्धित दोषी कर्मचारी से करके राशि को नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

मद	जो कार्य किया	जो कार्य किया जाना था	अन्तर	दर (₹)	राशि (₹)
पी.एल.सी.सी 1.6.12	788.36 m^3	354.81 m^3	433	900.00	3,90,135.00
प्रोवाइडिंग फार्म वर्क विद स्टील प्लेटस 3.15 एमएम					
(क) फाउन्डेशन, फुटिंग प्लिंथ ऑफ कॉलम	242.91 m^2	450.52 m^2			
(ख) प्लेंट सरफेस	8382.63 m^2	3632.98 m^2	4749.32	6000	2,84,959.00
वर्टिकल सरफेस पलीथ एण्ड शटरिंग	1284.32 m^2	787.8	4961.52	50.00	24,828.00
प्रोवाइडिंग मिल्ड स्टील	190044.57 kg 56335.20 kg	150462 kg	39582.51 kg 56335.20 kg	1.5 1.5	59,375.00 84,503.00
प्रोवाइडिंग एण्ड लाइंग सी.सी 1.1/2 .3	286.04 m^3	189.89 m^3	96.15 m^2	2007.00	1,92,973.00
पी.एल.सी.सी 1.2.4 सरफेड्स फ्लोर रूफ	1725.83 m^3	461.06 m^3	1264.77	1770.00	22,38,643.00
प्रोवाइडिंग अण्डर लाईंग पलीथ प्रोटेक्शन	3376.18 m^2	168 m^2	3208	50.00	1,60,400.00
कोटा स्टोन स्लेब 20 एमएम	1740.61 m^2	1572.08 m^2	168.53 m^2	500.00	84,265.00
सीमेंट प्लास्टर सकप्टीग	126.09 m^2	57.78 m^2	68.31 m^2	100.00	6,831.00
25 एम.एम थीक सी.सी फ्लोरिंग 1.2.4	1071.99 m^2	790.31 m^2	281.58	78.00	21,963.00
सप्लाई एण्ड फिक्सिंग कन्ड्यू पाईप 32 एमएम डाया	1088 Rmt	41 Rmt	1047 Rmt	40.00	41,880.00
				योग	₹35,90,713.00

7(ix) <u>मस्टर रोलों का अनियमित भुगतान</u> :—

नगर परिषद के मस्टररोलों की जांच दौरान निम्न आपत्तियां पाई गई जिनका निपटान अंकेक्षण के समय सम्बन्धित कर्मचारी न करवा सके, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मस्टर रोलों के द्वारा की गई अदायगी ठीक नहीं की गई है।

(क) कार्य का एस्टीमेट/प्राकलन अंकेक्षण में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नही किया गया।

(ख) मस्टररोलों को नगर अभियन्ता द्वारा पारित नहीं करवाया गया था।

(ग) मस्टर रोलो में सभी कार्य करने वाले मिस्त्री/बेलदारों के वेतन लेते समय हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे के निशान लगाए गए थे और उन अंगूठों को कार्यकारी अभियन्ता/अभियन्ता द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिससे अदायगी के अंगूठे की पुष्टि नहीं की जा सकती कि वास्तव में जिसने कार्य किया था उसको ही वेतन की अदायगी की हो। इसकी छानबीन उच्चाधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।

(घ) कार्य करने से पूर्व परिषद की मन्जूरी नहीं ली गई थी।

वा०सं०	अवधि	राशि	विवरण
21	5/98	15,251.00	वार्ड नम्बर 9 में सड़क निर्माण कार्य।
22	5/98	10,454.00	मितल के घर के सड़क निर्माण कार्य।
23	5/98	24,387.00	वार्ड नम्बर 7 में पक्का नाला का निर्माण कार्य।
24	5/98	3,371.00	वार्ड नम्बर 7 में पक्का नाला का निर्माण कार्य।
27	6/98	23,822.00	वार्ड नम्बर 7 में पक्का नाला का निर्माण कार्य।
31	6/98	22,768.00	वार्ड नम्बर 9 में पक्का नाला का निर्माण कार्य।
39	3/99	2,662.00	वार्ड नम्बर 2 में नाली का निर्माण कार्य।
40	3/99	6,336.00	वार्ड नम्बर 4 में गली का निर्माण कार्य।
31	7/99	15,300.00	रामशहर रोड पर डम्पींग पीट का निर्माण कार्य।
32	7/99	4,998.00	स्वच्छ रोड में पार्किंग कार्य निर्माण हेतु।
30	10/99	27,069.00	शीतला वाला चौक का निर्माण कार्य।
31	10/99	51,408.00	वार्ड नम्बर 7 में सड़क निर्माण कार्य।
32	10/99	7,701.00	सड़क निर्माण कार्य।
29	11/99	17,944.00	शीतला वाला चौक का निर्माण कार्य।
30	11/99	8,925.00	वी.डी.ओ. कार्यालय से आई.पी.एच कार्यालय तक सड़क निर्माण कार्य।
32	11/99	2,537.00	वार्ड नम्बर 8 में गली निर्माण कार्य।
33	11/99	2,537.00	पाईप को लगाने बारे।
34	11/99	11,730.00	बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य।

35	11/99	3,556.00	रामशहर सड़क मे नाला निर्माण कार्य।
26	11/99	2,448.00	वार्ड नम्बर 7 मे नाला निर्माण कार्य।
45	11/99	5,866.00	एम.आई.डी.सी से पुराना महल तक सड़क निर्माण कार्य।
46	11/99	8,784.00	रामशहर सड़क मे नाला निर्माण कार्य।
36	3/2000	15,796.00	गोल्डी हाऊस के समीप गली निर्माण कार्य।
37	3/2000	19,529.00	वार्ड नम्बर 7 के चौक में सी.सी.पेवमेंट निर्माण कार्य।
38	3/2000	14,212.00	भीमा नन्द चौक में गली निर्माण कार्य।
39	3/2000	26,984.00	शिव मन्दिर के पास रिटेनिंग वॉल कार्य।
40	3/2000	19,223.00	वार्ड नम्बर 9 में रिटेनिग वॉल कार्य।
41	3/2000	33,144.00	गुफा मन्दिर के पास नाला निर्माण कार्य।
84	3/2000	4,592.00	वार्ड नम्बर 9 में रिटेनिग वॉल कार्य।
85	3/2000	9,214.00	भीमा नन्द चौक में गली निर्माण कार्य।
88	3/2000	2,690.00	जय श्री मन्दिर के पास गली निर्माण कार्य।
89	3/2000	33,051.00	वार्ड नम्बर 8 में रिटेनिंग वॉल कार्य।
90	3/2000	1,670.00	मैन बाजार में सड़क निर्माण कार्य।
91	3/2000	16,267.00	वार्ड नम्बर 6 में सड़क निर्माण कार्य।
92	3/2000	31,652.00	गुफा मन्दिर के पास नाला निर्माण कार्य।
96	3/2000	42,014.00	मिलखी के घर के पास नाली निर्माण कार्य।
97	3/2000	2,565.00	अब्दुल गफार के घर के समीप नाला निर्माण कार्य।
98	3/2000	17,948.00	अब्दुल गफार के घर के समीप गली निर्माण कार्य।
99	3/2000	39,270.00	सड़क का मुरम्मत कार्य
100	3/2000	18,380.00	रामशहर सड़क का मुरम्मत कार्य।
101	3/2000	6,540.00	मस्जिद एण्ड के पास गली निर्माण कार्य।
102	3/2000	11,765.00	मिलखी के घर के पास नाली निर्माण कार्य।
103	3/2000	2,384.00	वार्ड नम्बर 3 में गली निर्माण कार्य

31	5/2000	18,568.00	वार्ड नम्बर 3 मे कलवर्ट कार्य
33	5/2000	29,437.00	बाजार रोड का निर्माण कार्य
36	5/2000	32,477.00	कपिल के घर के पास सड़क निर्माण कार्य।
37	5/2000	29,711.00	वार्ड नम्बर 2 मे प्रोटैक्शन वॉल का निर्माण कार्य।
48	5/2000	9,600.00	वार्ड नम्बर 4 में नाली निर्माण कार्य।
49	5/2000	8,473.00	दुरमाष केन्द्र के पास सड़क निर्माण कार्य।
50	5/2000	9,294.00	गवला कुआ के पास गली का निर्माण कार्य।
52	5/2000	7,114.00	वार्ड नम्बर 2 में पक्का कुंआ के पास गली निर्माण कार्य।
53	5/2000	4,386.00	वार्ड नम्बर 9 मे नाला निर्माण कार्य।
58	5/2000	17,849.00	राम दासीयां चौक के पास रिटेनिंग वॉल कार्य।
59	5/2000	20,247.00	बंसीयां वाला चौंक के पास मुरम्मत कार्य।
60	5/2000	12,964.00	राम लीला ग्राऊण्ड में मुरम्मत कार्य
61	5/2000	46,512.00	रैलींग कार्य
62	5/2000	17,167.00	शमशान घाट सड़क का निर्माण कार्य।
34	6/2000	17,448.00	वार्ड नम्बर 7 में नाला निर्माण कार्य।
49	7/2000	6,783.00	आई.पी.एच के कार्यालय के पास मुरम्मत कार्य।
	7/2000	7,037.00	वार्ड नम्बर 3 में गली निर्माण कार्य।
	7/2000	6,783.00	खराब सड़क की मुरम्मत कार्य।
	7/2000	9,189.00	केहर सिंह के घर के पास टोयलेट का निर्माण कार्य।
	7/2000	2,557.00	रामशहर रोड मे नाले का निर्माण कार्य।
	7/2000	9,240.00	बैजीटेबल मार्किट के पास टोयलेट का निर्माण कार्य।
41	8/2000	14,610.00	विभिन्न वार्डों में सी.सी. पेवमैन्ट कार्य।
41/ए	8/2000	7,037.00	वार्ड नम्बर 4 में सी.सी. चौक निर्माण कार्य।
42	8/2000	15,357.00	मस्जिद एण्ड के पास गली निर्माण कार्य।
32	9/2000	3,400.00	अब्दुल गफार के घर के पास नाली निर्माण कार्य।

32/1	9/2000	3,208.00	गोल्डी की दुकान के पास गली निर्माण कार्य।
32/2	9/2000	2,696.00	पापू के घर के पास गली निर्माण कार्य।
32/3	9/2000	7,792.00	वार्ड नम्बर 6–7 मे सी.सी. चौक निर्माण कार्य।
33	9/2000	3,896.00	राज श्री मार्किट के पास दुकान निर्माण कार्य।
58	9/2000	14,800.00	नगर परिषद कार्यालय के समीप नाले का निर्माण कार्य।
58/1	9/2000	18,189.00	नगर परिषद कार्यालय के समीप नाले का निर्माण कार्य।
64	9/2000	19,260.00	नगर परिषद कार्यालय के समीप नाले का निर्माण कार्य।
65	9/2000	12,852.00	नगर परिषद कार्यालय के समीप नाले का निर्माण कार्य।
26	10/2000	3,251.00	सुरेश के घर के पास गली का निर्माण कार्य।
27	10/2000	3,084.00	राज श्री मार्किट के पास दुकान का निर्माण कार्य।
28	10/2000	10,467.00	टायलेट निर्माण कार्य।
23	11/2000	17,509.00	रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य।
23/1	11/2000	4,320.00	वार्ड नम्बर 8 मे रिटेनिंग वॉल निर्माण कार्य।
24	11/2000	28,464.00	नगर परिषद कार्यालय के पास नाला निर्माण कार्य।
25	11/2000	2,463.00	टायलेट निर्माण कार्य।
43	11/2000	7,917.00	वार्ड नम्बर 2 मे गली निर्माण कार्य।
9	12/2000	16,632.00	कण्डी कार्यालय के पास रिटेनिंग वॉल कार्य।
23	6/2001	9,049.00	वार्ड नम्बर 7 में सी.सी पेवमेन्ट निर्माण कार्य।
25	6/2001	7,142.00	नगर परिषद कार्यालय के पास सी.सी पेवमैन्ट निर्माण कार्य।
26	6/2001	4,611.00	दयाल के घर के पास गली निर्माण कार्य।
27	6/2001	9,067.00	वार्ड नम्बर 2 में गली निर्माण कार्य।
28	6/2001	3,720.00	वार्ड नम्बर 9 में रिटेनिंग वाल कार्य।
29	6/2001	17,873.00	वार्ड नम्बर 8–9 में रिटेनिंग वॉल कार्य।
30	8/2001	17,391.00	सड़क खुली करने का निर्माण कार्य
32	8/2001	20,878.00	रामशहर सड़क मे गली निर्माण कार्य।

35	8/2001	4,378.00	1 इंच पाईप का कार्य।
59	9/2001	3,264.00	1 इंच पाईप का कार्य।
33	10/2001	7,866.00	पार्क मे बाऊंडरी वॉल कार्य।
34	10/2001	6,681.00	वार्ड नम्बर 6 मे मिट्टी उठाने का कार्य।
36	10/2001	11,016.00	घाट कटाई कार्य।
43/1	11/2001	17,720.00	पशु वधशाला निर्माण कार्य।
43/II	11/2001	6,765.00	वार्ड नम्बर 8 मे रिटेनिंग वॉल कार्य।
43/III	11/2001	20,771.00	वार्ड नम्बर 8 में मिट्टी उठाने का कार्य।
59	12/2001	2,950.00	वार्ड नम्बर 7 में मुरम्मत कार्य।
59/1	12/2001	4,097.00	वार्ड नम्बर 9 मे रिटेनिंग वॉल कार्य।
59/2	12/2001	4,035.00	सीढीयां निर्माण कार्य।
24	8/2002	32,610.00	मुरम्मत एंव खुदाई कार्य।
40	9/2002	8,451.00	बाजार में मुरम्मत कार्य।
46	9/2002	7,270.00	गली का मुरम्मत कार्य।
47	9/2002	24,960.00	वार्ड नम्बर 1 में नाले का निर्माण कार्य।
35	10/2002	4,345.00	वार्ड नम्बर 1 में गली का निर्माण कार्य।
44	10/2002	3,520.00	वार्ड नम्बर 9 में गली का निर्माण कार्य।
21	11/2002	12,940.00	शिव मन्दिर के पास रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य।
22	11/2002	13,676.00	वार्ड नम्बर 2 में मुरम्मत का कार्य करवाया।
40	11/2002	8,400.00	वार्ड नम्बर 2 में मुरम्मत का कार्य करवाया।
41	11/2002	1,400.00	वार्ड नम्बर 9 में नाली निर्माण कार्य।
42	11/2002	7,440.00	कांग्रेस घास की कटाई करवाई गई।
44	11/2002	7,140.00	मीट मार्किट की सफेदी करवाई गई।
32	12/2002	9,400.00	गली का मुरम्मत कार्या करवाया गया।
33	12/2002	4,136.00	वार्ड नम्बर 9 मे रिटेमिंग वॉल का कार्य किया।

34	12/2002	8,240.00	प्लेट फार्म का निर्माण कार्य किया।
35	12/2002	16,792.00	वार्ड नम्बर 1 में गली का निर्माण कार्य किया।
36	12/2002	7,768.00	विश्राम गृह के पास सड़क निर्माण कार्य।
37	12/2002	13,080.00	वार्ड नम्बर 4 में मुरम्मत कार्य।
38	12/2002	6,656.00	पैच वर्क कार्य।
31	1/2003	1,264.00	गली का मुरम्मत कार्य।
32	1/2003	5,972.00	वार्ड नम्बर 9 में गली का मुरम्मत कार्य।
33	1/2003	4,852.00	एम.आई.डी.सी पैलेस रोड का मुरम्मत कार्य।
34	1/2003	5,292.00	वार्ड नम्बर 3 में गली का मुरम्मत कार्य।
35	1/2003	7,584.00	परिषद दुकानों का पुनः निर्माण कार्य।

7(ड़) औपचारिकताओं की पालना न करने के कारण कार्य बिलों का अनियमित भुगतान :–

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद ने अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को पुनः निर्माण (Re-Constructions) करवाया गया था। जब परिषद द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा चुका था तो पुनः निर्माण करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) किए गए कार्य की पुनः निर्माण (Re-Constructions) करवाने की क्या आवश्यकता थी यह अंकेक्षण में नहीं बताया गया।

(ख) इस कार्य की माप पुस्तिका आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके बिना कार्य की गणना नहीं की जा सकती थी।

(ग) भुगतान करने से पूर्व नगर अभियन्ता के द्वारा बिल को पारित नहीं करवाया गया था जो कि नियमाधीन पारित करवाया जाना अनिवार्य था।

(घ) बिल से आयकर/बिक्रीकर नहीं काटा गया था।

(ङ) कार्य का एस्टीमेट/प्राक्कलन भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(च) कार्य करने सम्बन्धी नगर परिषद की मन्जूरी की भी कोई प्रतिलिपि अंकेक्षण को नहीं बताई गई।

वा0सं0	अवधि	राशि	विवरण
23	12/98	16,140.00	पक्की सड़क का पुन: निर्माण कार्य।
27	1/99	5,381.00	वार्ड नम्बर 8 में पक्की सड़क का पुन: निर्माण कार्य।
27	2/99	1,783.00	वार्ड नम्बर 7 में गली का पुन: निर्माण कार्य।
28	2/99	2,138.00	वार्ड नम्बर 8 में गली का पुन: निर्माण कार्य।
31	2/99	15,350.00	वार्ड नम्बर 6 में गली का पुन: निर्माण कार्य।
32	2/99	18,433.00	वार्ड नम्बर 5 में गली का पुन: निर्माण कार्य।
36	3/99	3,728.00	वार्ड नम्बर 8 में गली का पुन: निर्माण कार्य।
37	3/99	5,630.00	वार्ड नम्बर 4 में गली का पुन: निर्माण कार्य।
38	3/99	4,089.00	वार्ड नम्बर 5 में गली का पुन: निर्माण कार्य।
36	3/2000	15,796.00	गोल्डी के मकान के पास गली का पुन: निर्माण कार्य।
37	3/2000	19,529.00	वार्ड नम्बर 7 में सी.सी सड़क का पुन: निर्माण कार्य।
87	3/2000	7,598.00	पाघु के घर के पास पुन: गली निर्माण कार्य।
88	3/2000	2,690.00	वार्ड नम्बर 7 में गली का पुन: निर्माण कार्य।
89	3/2000	33,051.00	वार्ड नम्बर 8 में रिटेलिंग वॉल का पुन: निर्माण कार्य।
90	3/2000	1,670.00	मुख्य बाजार में गली का पुन: निर्माण कार्य।
101	3/2000	6,540.00	बाजार एण्ड में गली का पुन: निर्माण कार्य।
104	3/2000	2,384.00	वार्ड नम्बर 3 में गली का पुन: निर्माण कार्य।
32	5/2000	7,305.00	गुरचरण वसी के घर के पास गली का पुन: निर्माण कार्य।
48	5/2000	9,600.00	मस्जिद के समीप नाली का पुन: निर्माण कार्य।
49	5/2000	8,473.00	टेलिफोन एक्सचैंज के समीप सड़क का पुन: निर्माण कार्य।
50	5/2000	9,294.00	गवला कुआ के पास गली के पुन: निर्माण कार्य।
32/1	9/2000	3,206.00	गलेटी की दुकान के समीप गली का पुन: निर्माण कार्य।
32/2	9/2000	2,695.00	पाघु के घर के पास गली का पुन: निर्माण कार्य।
26	10/2000	3,251.00	सुरेश के घर के समीप गली का पुन: निर्माण कार्य।

32/1	8/2001	5,865.00	मैन गली का पुनः निर्माण कार्य।
40	9/2001	13,381.00	शिव मन्दिर के पास गली का पुनः निर्माण कार्य।
26	8/2002	6,970.00	वार्ड नम्बर 7 में गली का पुनः निर्माण कार्य।
43	9/2002	6,305.00	वार्ड नम्बर 7 में गली का पुनः निर्माण कार्य।
35	12/2002	16,792.00	वार्ड नम्बर 1 में गली का पुनः निर्माण कार्य।
31	2/2003	5,136.00	मैन बाजार में गली का पुनः निर्माण कार्य।
33	2/2003	2,816.00	दुकान नम्बर 56 का पुनः निर्माण कार्य।
27	3/2003	9,228.00	मैन बाजार के गली का पुनः निर्माण कार्य।

7(xi) **औपचारिकताओं की अनुपालना किए बिना ₹1,95,008.00 के कार्य बिलों का अनियमित भुगतान :–**

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि कार्याकारी अधिकारी के द्वारा निम्न बिलों का भुगतान बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए किया गया। इन भुगतानों मे निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) बिल में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए थे।

(ख) सम्बन्धित कार्य की माप पुस्तिका आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नही की गई।

(ग) सम्बन्धित कार्य का प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया।

(घ) नगर अभियन्ता से कार्य के विरूद्ध तकनीकी मन्जूरी प्राप्त नहीं की थी।

वा0सं0	अवधि	राशि	विवरण
29	6/98	23,822.00	नगर परिषद पार्क के समीप पक्के नाले का निर्माण कार्य।
30	6/98	15,187.00	नाले में आर.आर मेसनरी कार्य करने हेतु भुगतान किया गया।
31	6/98	22,768.00	वार्ड नम्बर 5 में पक्का पथ निर्माण कार्य।
21	7/98	14,361.00	वार्ड नम्बर 7 में पक्का पथ निर्माण कार्य।
21	8/98	7,895.00	वार्ड नम्बर 7 में पक्का पथ निर्माण कार्य।
23	8/98	23,863.00	वार्ड नम्बर 7 में रख रोड में नाला निर्माण कार्य।

22	9/98	8,419.00	वार्ड नम्बर 9 मे रिटेनिंग वॉल कार्य।
23	9/98	9,293.00	सड़क निर्माण कार्य एवं घास कटाई।
19	10/98	17,128.00	वार्ड नम्बर 9 मे रिटेनिंग वॉल कार्य।
20	10/98	16,568.00	पक्के नाले का निर्माण कार्य।
27	2/99	1,783.00	वार्ड नम्बर 1 में गली निर्माण कार्य।
28	2/99	2,138.00	वार्ड नम्बर 8 में गली निर्माण कार्य।
31	2/99	15,350.00	वार्ड नम्बर 8 में गली निर्माण कार्य।
32	2/99	18,433.00	वार्ड नम्बर 5 में गली निर्माण कार्य।
		₹1,95,008.00	

7(xii) माप पुस्तिका में अभिलेख प्रविष्टि तथा साइट लोकेशन के बिना ₹22,047.00 का संदिग्ध व्यय :—

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न अदायगीयां ठेकेदारो को कार्य के विरूद्ध की गई थी। कार्य किस स्थान पर किया गया था का उल्लेख बिल में नही किया गया था बिना उल्लेख के व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। किए गए कार्य के स्थान बारे सम्बन्धित प्रभारी अंकेक्षण को कुछ न बता सके, जिसके अभाव में व्यय को अभिलेख की जांचा नहीं जा सका तथा इस कार्य की माप पुस्तिका/वर्क रजिस्टर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें, अन्यथा समस्त राशि जिसका उल्लेख नीचे किया गया है की वसूली करनी सुनिश्चित करें।

वा0सं0	अवधि	राशि	विवरण
23	1/02	15,251.00	टायल फिक्स करने का भुगतान विशम्भर सिंह ठेकेदार नालागढ़ को किया गया।
26	1/02	6,796.00	विभिन्न वार्डो में जी.आई. पाईपों के मुरम्मत कार्य का भुगतान सुधाकर मलिक नालागढ़ को किया गया।
		₹22,047.00	

7(xiii) माप पुस्तिका तथा मस्टर रोल बिल मे कृत कार्य का ब्यौरा न होने से 58,876.00 का संदिग्ध व्यय :—

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद ने रेगुलर गैंग लगा रखी थी, जिसके लिए प्रतिमाह मस्टर रोल जारी किया जाता था। इन मस्टर रोलों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि इन मजदूरों ने महीने में क्या—क्या कार्य किया का लेखा जोखा कनिष्ठ अभियन्ता ने न तो मस्टर रोल में अंकित किया और न ही इन मजदूरों के द्वारा

किए गए कार्यों का लेखा–जोखा माप पुस्तिका में दर्ज किया था जिसके अभाव में इन मजदूरों पर किया गया व्यय गलत था। जब मजदूरों के कामकाज का ब्यौरा न रखा जाना था तो मजदूर क्यों रखे गए। अंकेक्षण में इस प्रकार के व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यकारी अधिकारी द्वारा बिना कार्य के वेतन दिया था। इस बारे अभियाचना जारी की गई थी जिसका जवाब अंकेक्षण को नहीं दिया गया, जिससे कार्यकारी अधिकारी के कार्य बारे पता चलता है कि भुगतान अवैध था। समस्त राशि की वसूली दोषी कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाएं।

वा0सं0	अवधि	राशि
23	4/2000	4,870.00
24	4/2000	3,409.00
25	4/2000	6,767.00
26	5/2000	14,610.00
21	10/2000	14,610.00
19	12/2000	14,610.00
		₹58,876.00

7(xiv) **प्रतिस्पर्धा दर आमंत्रित किए बिना ऊंची दरों पर खरीद के कारण ₹22,750.00 का अनियमित व्यय :–**

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निम्न सामान का क्रय बिना टैण्डर/निविदाएं लिए किया था। इस सम्बन्ध में जब सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को रिकार्ड प्रस्तुत करने को कहा गया तो अभिलेख आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना निविदा/टैण्डर के खरीद को नियमित नहीं माना जा सकता। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यकारी अधिकारी द्वारा फर्म को अनावश्यक लाभ दिया गया था व सामान भी ऊंची दर से खरीदा गया था। इस सामान को खरीद से पूर्व किसी भी प्रकार का एस्टीमेट नहीं बनाया गया था। इस खरीद को उचित नहीं माना जा सकता इस व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए कि औपचारिकता के बिना सामान की खरीद कैसे की गई।

वा0सं0	अवधि	राशि	विवरण
67	3/2000	11,160.00	20 पीस ड्रेन कवर के.के. स्टील वर्क नालागढ़ से खरीदे गए।

72 6/2000 11,590.00 6 पीस क्रेन कवर के के स्टील वर्क नालागढ से खरीदे गए।

₹22,760.00

8(i) **औपचारिकताओं की अनुपालना के बिना गाड़ी की मुरम्मत पर दिखाया गया ₹20,412 का संदिग्ध व्यय** :–

वाऊचर संख्या 45, अवधि 6/04 द्वारा ₹20,412.00 का भुगतान शिवालिक ऑटोमोबाईल मनीमाजरा (चण्डीगढ) को परिषद की गाड़ी डैम्पर प्लेसर की मुरम्मत हेतु किया गया इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) ₹6,490.00 के बिल को कार्याकारी अधिकारी के द्वारा पास नहीं किया गया था।

(ख) गाड़ी मुरम्मत करवाने से पूर्व चालक/मकैनिक की कोई रिपोर्ट नही ली गई थी।

(ग) प्राप्त की गई निविदाओं में तिथि अंकित नहीं की थी। जिसके अभाव मे निविदाएं केवल फर्म को अनावश्यक लाभ देने हेतु कार्याकारी अधिकारी द्वारा एकत्रित की गई थी जो अनियमित थी।

(घ) लॉग बुक में गाड़ी की मुरम्मत की रिपोर्ट अंकित नही की गई थी जो की जानी अपेक्षित थी, जिससे पता चलता कि वास्तव मे गाड़ी की मुरम्मत ही नहीं की गई थी।

8(ii) **औपचारिकताओं की पालना किए बिना ट्रैक्टर की मुरम्मत पर दर्शाया गया ₹4,350.00 का संदिग्ध व्यय** :–

₹4,350.00 का भुगतान सैनी ट्रैक्टर पार्टस चौकी वाला नालागढ को ट्रैक्टर की मुरम्मत हेतु वाऊचर संख्या 33, अवधि 11/03 द्वारा किया गया। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई:–

(क) ट्रैक्टर खराबी की कोई रिपोर्ट चालक द्वारा नहीं की गई थी तब ट्रैक्टर की मुरम्मत करवाने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

(ख) गाड़ी की मुरम्मत की रिपोर्ट लॉग बुक में नहीं की गई थी और लॉग बुक मे गाड़ी की मुरम्मत करने की भी कोई रिपोर्ट नहीं थी ।

(ग) कार्याकारी अधिकारी द्वारा गाड़ी की मुरम्मत करने के कोई लिखित आदेश जारी नहीं किए थे, जिसके बिना गाड़ी की मुरम्मत नहीं की जा सकती थी।

(घ) बिल में गाड़ी का नम्बर भी अंकित नहीं किया गया था जिसके अभाव में मुरम्मत किस गाड़ी की की गई के बारे पूर्ण रिपोर्ट अभिलेख मे नही थी।

उक्त टिप्पणीयों अनुसार भुगतान उचित नही जान पड़ता। अतः समस्त राशि की वसूली करनी सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित करें।

8(iii) सीट मुरम्मत पर ₹250.00 का अनियमित व्यय :–

वाऊचर संख्या 49, अवधि 11/03 द्वारा ₹250.00 का भुगतान गणेश ऑटो सीट कवर रिपेरिंग नालागढ़ का डैम्पर प्लेसर की सीट मुरम्मत हेतु किया गया। बिल में गाड़ी का नम्बर अंकित नही किया था। बिना नम्बर के बिल को उचित नही माना जा सकता इस सीट मुरम्मत के लिए कर्याकारी अधिकारी के द्वारा भी कोई आदेश नहीं दिए गए हैं, जिसके अभाव में भी इस व्यय को उचित नहीं माना जा सकता। ₹250.00 की वसूली करके राशि परिषद कोष में जमा करवाएं अनुपालना आगामी अंकेक्षण में बताई जाए।

8(iv) ₹8,437.00 का संदिग्ध व्यय :–

वाऊचर संख्या 35, अवधि 5/06 द्वारा ₹8,437.00 का भुगतान हरभजन सिंह एण्ड ब्रदर्ज नालागढ़ को गाड़ी नम्बर H.P. 12-9792 के हाइड्रोलिक पम्प ठीक करने हेतु किया गया। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) पम्प खराब होने की रिपोर्ट की पुष्टि मकैनिक के द्वारा नहीं की गई थी और न ही चालक द्वारा पम्प खराब होने की रिपोर्ट अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई।

(ख) उक्त पम्प में क्या–क्या खराबी थी के बारे कोई भी रिपोर्ट चालक/मकैनिक के द्वारा नही की गई थी।

(ग) सम्बन्धित गाड़ी प्रभारी की भी कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी।

(घ) गाड़ी के पम्प की मुरम्मत अधिकृत वर्कशॉप से नहीं करवाई गई थी।

(ड) इसकी मन्जूरी परिषद द्वारा नहीं ली गई थी।

(च) कौन–कौन से पार्ट सम्बन्धित पम्प के बदले गए का भी ब्यौरा नहीं दिया गया था।

उक्त आपत्तियों से यह पता चलता है कि वास्तव में पम्प का कोई मुरम्मत कार्य नहीं किया गया था क्योंकि लॉग बुक में भी इसका इन्द्राज नहीं किया गया था। इस भुगतान की स्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिश्चित करें।

9(v) गाड़ी की लॉग पुस्तिकाओं के रख रखाव में पाई गई अनियमितताएं

लॉग बुकें

(1) लॉग बुक डी.सी.एम. टोयटा–एच आई पृ–7192 :–

डी.सी.एम टोयटा की लॉग बुक नम्बर 3 की अवधि 1.4.1998 की जांच करते समय निम्न त्रुटियां प्रकाश में आई, जिनका निराकरण तुरन्त करके निदेशालय को तदानुसार सूचित किया जाए :–

(क) उक्त गाड़ी के स्पीडो मीटर की रीडिंग दिनका 28.11.97 को 80,145.00 किलोमीटर दर्ज थी, तत्पश्चात मीटर रीडिंग लॉग बुक में दर्ज नहीं थी, न ही नस्ति में कभी भी इसे ठीक करवाने बारे चालक/नियन्त्रण अधिकारी ने कोई उल्लेख किया था, जिसका कारण स्पष्ट किया जाए। लॉग बुक के कॉलम 2 व 3 में प्राप्त 9 बजे से सांय 6 बजे तक दिनांक 13.6.1998 तक लगातार चलती दर्शाई गई थी, जिसमें मीटर के बन्द होने की तिथि दिनांक 29.11.97 से 8.6.98 तक 1937 किलो मीटर की यात्रा दर्ज की गई थी, जिसमें न तो चालक के हस्ताक्षर थे और न ही गाड़ी के नियन्त्रण कर्मचारी/अधिकारी के तथा न ही यह लिखा गया था कि गाड़ी कहा–कहां चलाई गई अधिकांश प्रविष्टियों में दर्ज नहीं था, जिसके अभाव में चलती दर्शाई गई राशि को उचित नही माना जा सकता व गाड़ी में प्रयुक्त ईंधन केवल खपत दर्शाने व उसका दुर्विनियोजन किया गा स्पष्ट प्रतीत होता था। लॉग बुक के कॉलम 18(Incan) में समय–समय पर डीजल डालने की प्रविष्टियों की गई थी। लॉग बुक में कहीं भी मासिक औसत नहीं निकाली गई थी, जिसे स्पष्ट किया जाए व उक्त आपत्ति का नियमानुसार निराकरण करके तुरन्त निदेशालय को सूचित किया जाए।

(ख) उक्त गाड़ी की लॉग बुक नम्बर 1 व 2 अंकेक्षण के बार–बार मांगने पर भी उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके अभाव में अंकेक्षण केवल लॉग बुक नम्बर 3 में दर्शाई गई यात्राओं/स्पीडो मीटर की रीडिंग दिनांक 28.11.97 को 80,145 किलोमीटर को आधार मानकर, गाड़ी को कन्डम करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को सही नही मानता। दिनांक 29.11.97 से 8.6.98 तक दर्शाई गई यात्रा भी यदि मान ली जाए तो भी कुल मिलाकार 80,145 + 1937 = 82082 किलोमीटर चलाने के पश्चात डी.सी.एम टोयटा को कन्डम घोषित नही किया जा सकता। अत लॉग बुक नम्बर 1 व 2 के अनुसार गाड़ी खरीद की तिथि से अन्त तक कितने किलोमीटर चलाई गई के विवरण अंकेक्षण से सत्यापित करवाए जाए, अन्यथा केवल 82082 किलोमीटर चलने के पश्चात गाड़ी कन्डम नही की जा सकती अन्यथा उसके कारण स्पष्ट किए जाए।

(ग) दिनांक 11.6.98 से 15.3.2000 (लॉग बुक नम्बर 3, पृष्ठ 27 से 63 तक) समय–समय पर उक्त गाड़ी में 2473.90 लीटर तेल अपने स्टॉक से स्टॉक पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों व लॉग बुक

में विभिन्न तिथियों को दर्ज दर्शाया गया था। उक्त अवधि में लॉग बुक में केवल जिस तिथि को डीज़ल डाला गया था तिथि वाहित दर्ज था, जबकि अतिरिक्त समस्त कॉलम खाली थे, जिससे स्वतः स्पष्ट होता था कि स्टॉक पंजिका व लॉग बुक में केवल डीज़ल खारिज करके दर्ज किया जाता रहा व उसका दुर्विनियोजन किया गया, जिसकी कीमत जनवरी, 2006 में प्रचलित डीज़ल की कीमत @31.85 की दर से (2473-90 x 31.85) ₹78,794.00 बनती है, जिसकी वसूली दोषी व्यक्ति से करके पालिका निधि में तुरन्त जमा करवाई जाए, अन्यथा खराब/खड़ी गाड़ी में ईंधन डालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। उक्त प्रकरण निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई एवं किसी स्वतंत्र जांच एजैन्सी से इसकी सम्पूर्ण जांच करवाने हेतु विशेष रूप से लाया जाता है।

(घ) डी.सी.एम टोयटा HIA-7192, लॉग बुक की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 8.6.98 को जिससे प्रातः 9 से 5 बजे तक **"Water Supply to Town"** लिखा गया था को आधार मान लिया जाए तो कार्यकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 9.6.1998 को खराब गाड़ी जिसे उसके पश्चात रैस्ट हाऊस में खड़ा स्वतः **Unserviceable** घोषित करके उसे 15.3.2000 तक खड़ी गाड़ी को 2473.90 लीटर डीजल पिलाया गया, जिसका आज का मूल्य ₹78,794.00 बनता है, को कागजों में **Unserviceable** घोषित करवाने हेतु पत्र संख्या MC/NLG/Report/2005-801, दिनांक 30 अगस्त, 2005 को क्षेत्रीय प्रबन्धक एच.आर.टी.सी नालागढ़ को उसे कण्डम घोषित करने हेतु पत्र जारी किया, जिसके प्रत्युत्तर में क्षेत्रीय प्रबन्धक HRTC Nalaghar ने अपने पत्र संख्या HRTC/NLG/Inspection Report HIA-7192/2005-3357, दिनांक 13.9.2005 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को इसकी रिपोर्ट भेजी कि "गाड़ी मॉडल 1988 की है, पुरानी है व इसकी चैसी टूटी है, व इसका ईंजन व गियर बॉक्स की पूर्ण मुरम्मत की जानी अपेक्षित है।" (संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां संलग्न)

क्षेत्रीय प्रबन्धक एच.आर.टी.सी नालागढ़ की रिपोर्ट में इसकी मुरम्मत पर कितना व्यय किया जाना अपेक्षित था, का कोई भी वर्णन आंकलन नहीं दिया गया था। जबकि कार्यकारी अधिकारी द्वारा 9.6.98 से 29.8.2005 तक आज भी एक अच्छी हालत में पड़ी गाड़ी को अपने स्तर पर/इच्छा से Unserviceable घोषित कर दिया था व लगभग 7 वर्षों बाद दिनांक 30.8 2005/13.9.2005 को केवल क्षेत्रिय प्रबन्धक एच.आर.टी.सी नालागढ़ की रिपोर्ट प्राप्त करके गाड़ी "कन्डम" करके रख दी जबकि इसके लिए मोटर वैहिकल एक्ट/नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करनी चाहिए थी व इस पर खरीद की तिथि से लेकर अन्त तक का उसकी मुरम्मत पर किया गया कुल व्यय का पूर्ण विवरण विभागीय नस्ति में उपलब्ध होना चाहिए था, जिसे आधार मानकर ... प्राप्त करके इसके लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट जिसमें ऑटो ईंजनियर भी शामिल होता है,

व गाड़ी कुल कितने किलोमीटर चली का पूर्ण विवरण होना अपेक्षित था। किन्तु पालिका द्वारा न तो लॉग बुकों से इसकी विवरणी तैयार की थी कि गाड़ी कुल कितने किमी मीटर चल चुकी है, न ही इसकी मुरम्मत पंजिका का रख–रखाव किया गया था जिससे यह पता चलता कि मुरम्मत पर किया गया व्यय क्या उसकी वास्तविक कीमत से अधिक तो नही है, जिस पर कमेटी ने विचार करके अपना निर्णय देना था। किन्तु ई.ओ द्वारा नियमानुसार कोई कार्रवाई न करके सात वर्षों तक अच्छी हालत में पड़ी गाड़ी को कचरा बनवा दिया। यदि समय पर इसे Unserviceable घोषित करने हेतु नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर उचित माध्यम से कन्डम करवा कर इसे निलाम करवाया होता तो कम से कम 70–80 हज़ार रुपये या इससे अधिक की राशि प्राप्त होती।

अतः डी.सी.एम टोयटा HIA-7192 का समस्त प्रकरण व कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका नालागढ़ की लापरवाही का समस्त मामला निदेशक, शहरी विकास विभाग के ध्यान में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई व इसकी सम्पूर्ण जांच किसी स्वतंत्र ऐजैन्सी से करवाने की अनुशंसा करते हुए विशेष रूप से ध्यान में लाया जाता है।

(2) <u>डम्पर प्लेसर H.P 12-9792 की लॉग बुक में पाई गई अनियमितताएं</u>

लॉग बुक–डम्पर प्लेसर– <u>H.P 12-9792</u> :–

(क) नगर पालिका नालागढ़ के डम्पर प्लेसर की लॉग बुक जो कि दिनांक 6.5.2000 से आरम्भ की गई थी, को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आरम्भिक स्पीडो मीटर रीडिंग 2195 किलोमीटर दर्ज थी। इससे पहले का सम्बधित अभिलेख/लॉग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नही की गई, न ही इस बारे कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया कि यही आरम्भिक मीटर रीडिंग थी। अतः समस्त स्पष्टीकरण आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं व निदेशालय को सूचित किया जाए।

(ख) नगर पालिका नालागढ़ का डम्पर प्लेसर दिनांक 10.5.2000 से 19.7.2001 तक तत्कालीन पालिका के कार्यकारी अधिकारी श्री एम0एल0 अन्सारी द्वारा नालागढ़ से बद्दी तक का प्रयोग निजी वाहन के रूप में प्रतिदिन आने–जाने के लिए किया गया, जिनके पास उस समय नगर पंचायत बद्दी के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी था। जिसके कुछ उदाहरण संलग्न विवरण के रिमार्क कॉलम में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त डम्पर प्लेसर से नगर पंचायत बद्दी क्षेत्र का कूड़ा उठाने के लिए भी किया जाता रहा, जिसके लिए नगर पालिका नालागढ़ ने पत्र संख्या 661/MC/NLG, दिनांक 26.7.2001 का उक्त अवधि में डम्पर प्लेसर पर व्यय का बिल ₹1,34,000.00 सचिव नगर पंचायत बद्दी को उसका तुरन्त भुगतान करने हेतु भेजा। जिसकी वसूली अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं हुई थी। अतः कार्यकारी अधिकारी इसकी वसूली तुरन्त करके पालिका निधि जमा करवाना व श्री एम0एल0 अन्सारी द्वारा केवल निजि वाहन के लिए

प्रयोग किए गए डम्पर प्लेसर, जिसकी प्रविष्टियां लॉग बुक में केवल ह0को द्वारा यात्रा दर्शाई गई है, कि गणना करके उसे निजि यात्रा मानकर निर्धारित राशि की वसूली करके पालिका निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करें व तदानुसार तुरन्त निदेशालय को सूचित किया जाए।

(ग) नगर पालिका का क्षेत्र 2 किलोमीटर की परिधि में स्थित है जैसा की पालिका अभियन्ता द्वारा अंकेक्षण को बताया गया। अवधि 10.5.2000 से 29.10.2000 तक नगर पालिका क्षेत्र का कूड़ा बस स्टैंड नालागढ़ व नगर पालिका विश्राम गृह के मध्य डाला जाता रहा जो कि नगर पालिका की सीमा के आधा किलोमीटर भीतर था, जबकि इसकी दूरी की प्रविष्टियां प्रति फेरा 6 किलोमीटर लॉग बुक डम्बर प्लेसर में दर्ज की गई थी। जबकि प्रति वार्ड के हिसाब से भिन्न–भिन्न दर्शाई जानी अपेक्षित थी, क्योंकि एक कोना समीप था तो दूसरा 1½ की दूरी पर। इस प्रकार यदि प्रति फेरा आना जाना 3 किलोमीटर भी मान लिया जाए तो उक्त अवधि में पालिका के डम्पर प्लेसार ने 100 फेरे कुड़े के लॉग–बुक अनुसार उक्त स्थान के लिए लगाए जिसकी गणना 600 किलोमीटर की गई, जबकि 3 किलोमीटर की दर से 300 किलोमीटर बनती है। लॉग बुक में मासिक औसत 6.09 किलोमीटर प्रति लीटर औसत दर्शाई गई थी। इस प्रकार अधिक माईलेज़ दर्शाने के कारण 50 लीटर डीजल की अधिक खपत दर्शाने के कारण पालिका निधि को ₹1,593.00 (50 x 31.85) का नुकसान पहुंचाया गया। जिसकी भरपाई दोषी से करके पालिका निधि में जमा करवाई जाए व दोषी कर्मचारी/नियन्त्रण अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए व तदानुसार निदेशालय को तुरन्त सूचित किया जाए।

(घ) नगर पालिका की यदि अपनी कुड़ा–कर्कट फैंकने के लिए कोई स्थान निश्चित है तो उसकी दूरी के प्रमाण के लिए नालागढ़ बस स्टैण्ड को केन्द बिन्दु मानकर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से दूरी का प्रमाण पत्र लेकर तदानुसार लॉग बुकें भरी जानी सुनिश्चित की जाए व गाडी के नियन्त्रण अधिकारी से प्रति इन्द्राज हस्ताक्षरित करवाया जाए तथा बस स्टैण्ड से प्रत्येक कुडा एकत्र स्थान/डम्पर के रखने के स्थान की दूरी के अनुसार किलोमीटर दर्ज किए जाए क्योंकि अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लॉग बुकों में विभिन्न तिथियों को समय–समय पर की गई यात्राओं की दूरी एक ही स्थान की दूरी भिन्न–भिन्न किलोमीटर दर्शाई गई थी। उदाहरण के लिए सलग्न सूची के क्रमांक 165, से 167, 169, 171, 173, व 177 से 180 देखें। नालागढ़ से मनीमाजरा व वापसी की दूरी 100 किलो मीटर से 140 किलोमीटर तक दर्शाई गई थी जबकि गाड़ी की मुरम्मत एक ही कर्मशाला में करवाई गई थी।

प्रायः लॉग बुक का रख–रखाव वाहन चालक ने ही किया था, कभी भी, किसी भी नियन्त्रण अधिकारी द्वारा लॉग बुकें प्रति हस्ताक्षरित नही की गई थी तथा लाखो किलोमीटर की यात्राओं को अंकेक्षण द्वारा सही नही माना जा सकता। अतः कार्याकारी अधिकारी इन यात्राओं की

पुष्टि करें अन्यथा डीजल व अन्य व्ययों की वसूली करके पालिका निधि में जमा करवाएं व तदानुसार निदेशालय को सूचित किया जाए।

(ड) नगर पालिका की विभिन्न गाड़ियां समय–समय पर अपने सीमा क्षेत्र व हिमाचल क्षेत्र से बाहर यात्राएं करती रही किन्तु इसकी स्वीकृति कभी भी अपनी सीमा/हिमाचल की सीमा से बाहर ले जाने के लिए सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई थी, जिसकी कार्योत्तर स्वीकृतियां ली जानी सुनिश्चित की जाए व भविष्य में कार्यकारी अधिकारी इस ओर अपना विशेष ध्यान दें तथा इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(च) <u>डम्पर प्लेसर का अनुचित प्रयोग करना व अत्याधिक किलोमीटर दर्शाने के कारण पालिका निधि का दुरूपयोग करने बारे</u> :–

कार्यकारी अधिकारी श्री एम.एल. अन्सारी द्वारा डम्पर प्लेसर का इस्तेमाल लॉग बुक में दर्शाई गई प्रविष्टियों के अनुसार टैक्सी के रूप में किया गया, जब उनके पास नालागढ़ व बद्दी दोनों पालिकाओं का चार्ज था। अधिकतर मामलों में नालागढ़ से बद्दी की दूरी 50 किलोमीटर से लेकर 34 किलोमीटर आने जाने की दर्शाई गई थी, जबकि वास्तविक दूरी 32 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त डम्पर प्लेसर का इस्तेमाल परवाणू से तारकोल ढोने, शिमला, चण्डीगढ़ व अन्य स्थानों के लिए विभिन्न तिथियों को यात्राएं दर्शाई गई थी जिसमें भी अधिक किलो मीटर दर्शाए जाने से प्रयुक्त ईंधन का दुरूपयोग किया गया था, जिसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जिसकी वसूल दोषी कर्मचारी/अधिकारी से करके पालिका निधि में जमा करवाई जाए व दोषी के विरूद्ध नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जाए। दिनांक 10.5.2000 से 5.6.2003 व 6.6.2003 से 31.3.2006 तक लॉग बुक में मुख्य–मुख्य प्रविष्टियां की जांच करने पर लगभग 34628 किलोमीटर यात्रा अधिक दर्शाई गई थी जिससे लगभग पालिका को ₹1,75,342.00 की हानि पहुंचाई गई थी जिसकी वसूली दोषी कर्मचारी/अधिकारी से की जाए (विवरण कृपया संलग्न 1 से 7 पृष्ठों में देखें)

लॉग बुक नम्बर–1 क्र0 सं0	दिनांक	एक स्थान से दूसरे स्थान तक जहां यात्रा दर्शाई गई	दर्शाए गए कि0मी0	वास्तविक दूरी कि0मी0	अधिक दर्शाई गई दूरी	विवरण
1	10.5.2000	नालागढ–बद्दी व वापिस	49 KM	32 KM	17 KM	
2	10.5.2000	नालागढ–बद्दी व वापिस	50 KM	32 KM	18 KM	
3	11.5.2000	नालागढ–बद्दी व वापिस	50 KM	32 KM	18 KM	

4	16.5.2000	नालागढ़–परवाणु	70 KM	43 KM	27 KM	(20 ड्रम तारकोल) केवल एक ओर यात्रा दर्शाई गई थी।
5	17.5.2000	नालागढ़–चण्डीगढ़	75 KM	62 KM	13 KM	
6	17.5.2000	चण्डीगढ़–परवाणु–नालागढ़	91 KM	81 KM	10 KM	(10 ड्रम तारकोल)
7	24.5.2000	नालागढ़–बद्दी व वापिस	55 KM	32 KM	23 KM	
8	25.5.2000	नालागढ़–शिमला व वापिस	318 KM	202 KM	116 KM	(पम्प रिपेयर करवाने गये शिमला)
9	2.6.2000	नालागढ़–बद्दी व वापिस	56 KM	32 KM	24 KM	
10	8.6.2000	नालागढ़–कुराली (one side)	45 KM	23 KM	22 KM	(केवल एक ओर)
11	8.6.2000	कुराली–नालागढ़ (one side)	45 KM	23 KM	22 KM	(केवल एक ओर)
12	12.6.2000	नालागढ़–कुराली (one side)	47 KM	23 KM	22 KM	(केवल एक ओर)
13	12.6.2000	कुराली–नालागढ़ (one side)	45 KM	23 KM	22 KM	(केवल एक ओर)
14	21.6.2000	नालागढ़–कुराली व वापसी	90 KM	46 KM	44 KM	
15	22.6.2000	नालागढ़–कुराली व वापसी	90 KM	46 KM	44 KM	
16	24.6.2000	नालागढ़–परवाणू	50 KM	43 KM	7 KM	(तारकोल लाया)
17	24.6.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	55 KM	32 KM	23 KM	(तारकोल लाया)
18	25.6.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	42 KM	32 KM	10 KM	(तारकोल लाया)
19	28.6.2000	नालागढ़–सोलन व वापसी	230 KM	180 KM	50 KM	
20	13.7.2000	नालागढ़–मण्डी व वापसी	328 KM	270 KM	58 KM	
21	15.7.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
22	17.7.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	

23	19.7.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
24	19.7.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	(खाली ड्रम)
25	20.7.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	(तारकोल)
26	22.7.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	(खाली ड्रम)
27	21.7.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	(केवल ई0ओ0 द्वारा यात्रा)
28	29.7.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	(केवल ई0ओ0 द्वारा यात्रा)
29	26.7.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
30	2.8.2000	नालागढ़—चण्डीगढ़ व वापसी	148 KM	124 KM	24 KM	शौचालय का सामान
31	6.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	56 KM	32 KM	24 KM	
32	7.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	112 KM	64 KM	48 KM	
33	8.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	28 KM	16 KM	12 KM	केवल ई0ओ0 द्वारा यात्रा
34	8.8.2000	वद्दी—नालागढ़ व वापसी	28 KM	16 KM	12 KM	केवल ई0ओ0 द्वारा यात्रा
35	9.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	56 KM	32 KM	24 KM	
36	10.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	56 KM	32 KM	24 KM	
37	11.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	54 KM	32 KM	24 KM	
38	12.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
39	14.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
40	17.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
41	19.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
42	21.8.2000	नालागढ़—परवाणू व वापसी	140 KM	86 KM	54 KM	
43	22.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
44	25.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
45	26.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
46	29.8.2000	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	

47	31.8.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	49 KM	32 KM	17 KM
48	6.9.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM
49	12.9.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	38 KM	32 KM	6 KM
50	13.9.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	48 KM	32 KM	16 KM
51	14.9.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
52	19.9.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	47 KM	32 KM	15 KM
53	22.9.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
54	25.9.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM
55	29.9.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM
56	4.10.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	32 KM	32 KM	–
57	5.10.2000	नालागढ़–रोपड़ व वापसी	50 KM	44 KM	6 KM
58	6.10.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM
59	9.10.2000	नालागढ़–वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM
60	10.10.00	नालागढ़–रोपड़ व वापसी	44 KM	44 KM	–
61	11.10.00	नालागढ़–रोपड़ व वापसी	44 KM	44 KM	–
62	16.10.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
63	17.10.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	38 KM	32 KM	6 KM
64	18.10.00	नालागढ़–रोपड़ व वापसी	43 KM	–	–
65	19.10.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM
66	20.10.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	47 KM	32 KM	15 KM
67	23.10.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
68	25.10.00	नालागढ़–पचकुला व वापसी	120 KM	90 KM	30 KM

69	30.10.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
70	30.10.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
71	31.10.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
72	2.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	
73	3.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
74	4.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
75	5.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
76	6.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
77	7.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	50 KM	32 KM	18 KM	(केवल आना जाना)
78	8.11.00	नालागढ़—परवाणू व वापसी	110 KM	86 KM	24 KM	(तारकोल)
79	10.11.00	नालागढ़—परवाणू व वापसी	120 KM	86 KM	34 KM	(तारकोल)
80	11.11.00	नालागढ़—परवाणू व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
81	13.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
82	15.11.00	नालागढ़—सोलन व वापसी	200 KM	180 KM	20 KM	
83	16.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
84	20.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
85	24.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
86	25.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
87	27.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
88	28.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
89	29.11.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	
90	2.12.00	नालागढ़—वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM	

91	3.12.00	नालागढ़–परवाणू व वापसी	120 KM	86 KM	34 KM
92	4.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
93	5.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
94	6.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
95	9.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
96	12.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
97	14.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
98	17.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
99	18.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
100	19.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
101	21.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
102	23.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
103	25.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
104	28.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
105	29.12.00	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
106	1.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
107	3.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
108	4.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
109	5.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
110	6.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
111	7.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
112	8.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
113	11.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
114	16.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	12 KM
115	18.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	18 KM

116	19.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	18 KM
117	20.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	18 KM
118	22.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	18 KM
119	23.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	44 KM	32 KM	18 KM
120	24.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	36 KM	32 KM	4 KM
121	27.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	36 KM	32 KM	4 KM
122	29.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	36 KM	32 KM	4 KM
123	30.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	36 KM	32 KM	4 KM
124	31.1.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	36 KM	32 KM	4 KM
125	2.2.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	36 KM	32 KM	4 KM
126	5.2.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	36 KM	32 KM	4 KM
127	6.2.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	36 KM	32 KM	4 KM
128	12.2.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	36 KM	32 KM	4 KM
129	14.2.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	36 KM	32 KM	4 KM
130	15.2.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	36 KM	32 KM	4 KM
131	22.2.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
132	25.2.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
133	26.2.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
134	27.2.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
135	5.3.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
136	7.3.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
137	12.3.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
138	14.3.2001	नालागढ़–सोलन व वापसी	210 KM	180 KM	30 KM
139	19.3.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
140	20.3.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM

141	24.3.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
142	26.3.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
143	24.3.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
144	26.3.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
145	27.3.2001	नालागढ़–राजपुरा–वद्दी व वापसी	44 KM	38 KM	6 KM
146	29.3.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
147	2.4.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
148	4.4.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
149	11.4.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
150	18.4.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
151	19.4.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
152	23.4.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
153	26.4.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
154	7.5.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
155	15.5.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
156	30.5.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
157	5.6.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
158	12.6.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
159	16.6.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
160	23.6.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
161	11.7.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
162	19.7.2001	नालागढ़–वद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM
163	23.8.2001	नालागढ़–सोलन व वापसी	170 KM	–	–

165	7.8.2001	नालागढ़–मनीमाजरा	110 KM	–	–	
166	4.10.2001	नालागढ़–मनीमाजरा	105 KM	–	–	गाडी छोड़ने, किन्तु लाई कब कोई इन्द्राज नहीं।
167	16.10.01	नालागढ़–मनीमाजरा	116 KM	110 KM	6 KM	
168	23.10.01	नालागढ़–बद्दी व वापसी	34 KM	32 KM	2 KM	
169	2.1.2002 3.1.2002	नालागढ़–मनीमाजरा व वापसी	100 KM	–	–	गाडी रिपेयर
170	5.3.2002	नालागढ़–होशियारपुर व वापसी	300 KM	240 KM	60 KM	
171	28.3.2002	नालागढ़–मनीमाजरा व वापसी	112 KM	110 KM	2 KM	
172	11.4.2002	नालागढ़–परवाणू व वापसी	118 KM	86 KM	32 KM	
173	25.6.2002	नालागढ़–मनीमाजरा व वापसी	120 KM	110 KM	10 KM	
174	4.1.2003	नालागढ़–खाला व वापसी	72 KM	40 KM	32 KM	
175	5.1.2003	नालागढ़–बद्दी–धर्मपुरा	72 KM	40 KM	32 KM	
176	6.1.2003	नालागढ़–जोगों व वापसी	72 KM	30+10 KM	32 KM	
177	29.1.2003	नालागढ़–मनीमाजरा व वापसी	140 KM	110 KM	30 KM	गाडी का काम करवाने।
178	6.4.2003	नालागढ़–मनीमाजरा व वापसी	140 KM	110 KM	30 KM	गाडी का काम करवाने।
179	11.4.2003	नालागढ़–मनीमाजरा व वापसी	140 KM	110 KM	30 KM	गाडी का काम करवाने।
180	14.4.2003 16.4.2003	नालागढ़–मनीमाजरा व वापसी	140 KM	110 KM	30 KM	गाडी का काम करवाने।

कुल योग 2680 KM

L Book No-I

=2582÷5-70=452.63 Ltr.
Diesel @ ₹(x)31.85 Per Ltr
Recovery ₹=14,416.00

(1) Average worked out in L.B.=5.70KM/PL on dated 30.52003
(2) Rate of Diesal @₹31.85 Per/Ltr.

लॉग बुक नम्बर-2 डम्पर प्लेसर

181	19.6.2003	नालागढ़–रामशहर व वापसी	54 KM	6 KM	48 KM	कुल फैंकने का स्थान 6 कि0मी0 केवल
182	18.7.2003 19.7.2003	नालागढ़–मनीमाजरा व वापसी	130 KM	–	130 KM	(गाड़ी की मुरम्मत हेतु गाड़ी 18.7.03 को 5 बजे तक नालागढ़ थी व 19.7.03 को प्रातः 9 बजे नालागढ़ रातों रात मुरम्मत सम्भव नहीं) झूठा इन्द्राज
183	25.9.03	नालागढ़–रामशहर व वापसी	90 KM	0 KM	90 KM	नालागढ़ से रामशहर रोड 0 कि0मी0 झूठा इन्द्राज
184	15.10.03	नालागढ़–कालका व वापसी	90 KM	80 KM	10 KM	
185	4.1.04	नालागढ़–जोघो व वापसी	90 KM	32 KM	58 KM	
186	5.1.04	नालागढ़–रामशहर व वापसी	90 KM	36 KM	54 KM	
187	6.1.04	नालागढ़–रामशहर व वापसी	120 KM	36 KM	84 KM	
188	27.1.04	नालागढ़– Dambing side	80 KM	6 KM	74 KM	(Name not Legibale, Damb)
189	20.2.04	नालागढ़–मनीमाजरा	120 KM	105 KM	15 KM	
190	22.2.04	नालागढ़– Damping side (Name not Legibale) व वापसी	30 KM	6 KM	24 KM	
191	23.2.04	नालागढ़– Damping side (Lock)	60 KM	12 KM	48 KM	(Dumping side Considered)
192	24.2.04	नालागढ़– Dambing side (Lock)	60 KM	12 KM	48 KM	(Dumping side Considered)
193	25.6.04	नालागढ़–मनीमाजरा व वापसी	130 KM	105 KM	25 KM	

194	17.7.04	नालागढ़–कालका व वापसी	100 KM	80 KM	20 KM	
195	17.9.04	नालागढ़–चण्डीगढ़ व वापसी	130 KM	62 KM	68 KM	
196	15.11.04	नालागढ़–धनौली व वापसी	30 KM	28 KM	2 KM	
197	9.12.04	नालागढ़–नाम नही दिया गया (Dambing side)	30 KM	6 KM	24 KM	
198	13.12.04	नालागढ़–नाम नही दिया गया (Dambing side)	30 KM	6 KM	24 KM	
199	18.1.05	नालागढ़–लुधियाना व वापसी	260 KM	200 KM	60 KM	(Purpose of Journey)
200	15.2.05	नालागढ़–स्थान नहीं लिखा	25 KM	–	25 KM	झूठा इन्द्राज
201	7.4.05	नालागढ़–स्थान नहीं लिखा	65 KM	–	65 KM	झूठा इन्द्राज
202	10.4.05	नालागढ़ से (स्थान नहीं लिखा)	65 KM	–	65 KM	झूठा इन्द्राज
203	11.4.05	नालागढ़–स्थान नहीं लिखा	45 KM	–	45 KM	झूठा इन्द्राज
204	12.4.05	नालागढ़ से (स्थान नहीं लिखा)	45 KM	–	45 KM	झूठा इन्द्राज
205	12.6.05	नालागढ़–स्थान नहीं लिखा	26 KM	–	26 KM	झूठा इन्द्राज
206	8.9.05	नालागढ़–लुधियाणा व वापसी	300 KM	200 KM	100 KM	यात्रा का कार्य क्या?
207	23.9.05	नालागढ़–सोलन व वापसी	170 KM	–	–	
208	7.10.05	नालागढ़–स्थान नहीं लिखा	120 KM	–	120 KM	झूठा इन्द्राज

209	5.3.06	नालागढ़–स्थान नहीं लिखा	17 KM	–	17 KM	झूठा इन्द्राज
210	10.3.2006	नालागढ़–मनीमाजरा व वापसी	130 KM	110 KM	20 KM	
				कुल योग	1434	km excess milage shown in Log book-2

(1) डम्पर प्लेसर की लॉग बुक–1 में अधिक दर्शाई गई कुल यात्रा 2580 km

(2) डम्पर प्लेसर की लॉग बुक–2 में अधिक दर्शाई गई कुल यात्रा 1434 km

(3) डम्पर प्लेसर की लॉग बुक–2 में अधिक दर्शाई गई कुल यात्रा डम्पिंग प्वाईंट की वास्तविक दूरी 6 कि०मी०

(1) @10 km दर्शाने पर कुल अधिक दूरी 864 km

216 फेरे =216 x10 =2160

216 फेरे =216 x 6 =<u>1296</u>

<u>864</u>

(2) @20 km दर्शाने पर कुल अधिक दूरी 29750 km

20 x 2125 फेरे = 42,500 कि०मी०

6 x 2125 फेरे = <u>12,750</u> कि०मी०

<u>29,750</u> कि०मी०

नोट : मार्च 2006 की औसत=6.29 प्रति कि०मी० कुल अधिक दर्शाई गई दूरी =34628 km

34628÷6.29=5505.24 Ltr Diesal

(January, 2006)@31.85 Per/Ltr

5505.24 x 31.85 = ₹1,75,342

(3) <u>लॉग बुक–डम्पर प्लेसर– H.P 12-9792</u> :–

(i) नगर परिषद नालागढ़ की डम्पर प्लेसर की लॉग बुक का अंकेक्षण करते समय पाया गया कि दिनाक 25.9.2003 को नालागढ़ शहर से रामशहर रोड़ में बकरे/बकरियों, जिनकी संख्या दर्ज नहीं की गई थी, को शहर से गाड़ी में भरकर दो चक्कर लगाए गए, जिसकी दूरी 90 कि०मी० अर्थात 22½कि०मी० की दर से यात्रा दर्शाई गई, जबकि नालागढ़ से राम शहर के बीच की दूरी केवल 18 कि०मी० है तथा बीच में सरकारी जंगल नालागढ़ से 2–3 कि०मी० की दूरी से नालागढ़ राम शहर रोड़ से आरम्भ हो जाता है।

उक्त मामले में अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बकरे/बकरियों की संख्या अंकित न करना सन्देह उत्पन्न करता है कि एक चक्कर में कितने बकरे/बकरिया ले जाए गए। दूसरे यह कि क्या यह वास्तविकता थी कि उक्त बकरे/बकरियों को जंगल में छोड़ा गया था कि शहर के स्लाटर हाऊस में कसाई को बेचकर प्राप्त राशि का गबन/दुर्विनियोजन किया गया। दूसरी ओर 90 कि०मी० यात्रा दर्शाकर चालक द्वारा अनावश्यक डीजल की खपत दर्शाकर उसका दुर्विनियोजन किया गया। (लॉग बुक के पृष्ठ 14 की छाया प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न) अतः समस्त प्रकरण की जांच करवाई जानी अपेक्षित है व प्रकरण निदेशक, शहरी विकास विभाग के ध्यान में विशेष रूप से आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है तथा दोषी कर्मचारी/कार्यकारी अधिकारी के विरूद्ध तदानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अंकेक्षण को यथावत सूचित किया जाए।

(ii) लॉग बुक में कभी भी प्रति फेरा/प्रतिदिन के डीजल की खपत नहीं दर्शाई गई थी, न ही शेष डीजल दर्शाया गया था। न ही सक्षम नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कभी भी लॉग बुक चैक की गई थी तथा न ही हस्ताक्षरित की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता थी तथा गाड़ी के नियन्त्रण अधिकारी/चालक के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच करवाकर प्रति चक्कर कुल खपत व प्रयुक्त डीजल तथा शेष डीजल निकलवाकर उसकी वसूली की जाए तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

8(vi) **₹2,208.00 का संदिग्ध व्यय :–**

वाऊचर संख्या 24, अवधि 4/98 द्वारा ₹2,104.00 तथा वाऊचर संख्या 21, अवधि 6/98 द्वारा ₹2,208.00 का डीजल क्रमशः 215.35 लीटर एवं 222.80 लीटर डीजल का भुगतान सुरेन्द्र ट्रांसपोर्ट एण्ड इन्जीनीयरींग नालागढ़ को किया गया। बिल पर गाड़ी का नम्बर अंकित नहीं किया गया था। बिना गाड़ी नम्बर के डीजल का भुगतान करना अनियमित था। परिषद की गाड़ीयों में भी इस खरीद का कोई विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार के भुगतान को अंकेक्षण में उचित नहीं माना जा सकता। ₹4,312.00 की वसूली दोषी कर्मचारी से करके परिषद कोष में जमा करवाएं तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

9(i) **₹2,20,480.00 अग्रिम का समायोजन न किए जाने पर राशि के दुर्विनियोजन का सन्देह :–**

नगर परिषद के द्वारा श्री बलजीत सिंह वर्क सुपरवाईजर को 7/98 से 11/98 तक ₹2,20,480.00 का अग्रिम नगर परिषद के कार्यों हेतु दिया गया था। नियम के अधीन अग्रिम देने का कोई प्रावधान नहीं था फिर भी कार्यकारी अधिकारी द्वारा बिना नियम के अग्रिम दे दिया।

काफी समय बीत जाने के बावजूद सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उक्त राशि का समायोजन न करवाया गया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री बलजीत सिंह वर्क सुपरवाईजर द्वारा राशि का दुर्विनियोजन किया गया था व अग्रिम राशि के समायोजन करवाने में सम्बन्धित कर्मचारी असमर्थ रहा। नगर पालिका लेखा संहिता नियम 1994 की धारा 267(1) के अन्तर्गत 15 प्रतिशत ब्याज राशि सहित समस्त राशि की वसूली उक्त कर्मचारी से करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा नियमाधीन अग्रिम समायोजन न करवाए जाने के विरूद्ध कार्रवाई करनी सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसी प्रवृति न अपनाई जाए। राशि की विवरणिका इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्टि ''ह'' में दिया गया है।

9(ii) **₹5,00,000.00 की लम्बित पड़ी अग्रिम राशि की ब्याज सहित वसूली की जाए :–**

वाऊचर संख्या 40, अवधि 5/05 द्वारा ₹5,00,000.00 का अग्रिम श्री राजेन्द्र चौहान ठेकेदार को आई0डी0एस0एम0टी के अर्न्तगत नवनिर्मित शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण के विरूद्ध दिया गया अनुबन्ध प्रपत्र में अग्रिम देने का कोई प्रावधान नहीं था। शॉपिंग कॉम्पलैक्स के कार्य को देख रहे कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 16.5.2005 को अग्रिम देने से इन्कार कर दिया था। कार्यकारी अधिकारी द्वारा नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता से रिपोर्ट मांगी थी जो शॉपिंग कम्पलैक्स का कार्य देख ही रहा था। नगर परिषद के कनिष्ठ अभियन्ता संजय अवस्थी की रिपोर्ट को शॉपिंग कॉम्पलैक्स के कनिष्ठ अभियन्ता श्री जितेन्द्र कौशल ने नकारते हुए अग्रिम देने से मना कर दिया था, परन्तु कार्याकारी अधिकारी द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता के इन्कार के बावजूद ठेकेदार को ₹5 लाख का अग्रिम दे दिया जो एक गम्भीर अनियमितता थी। उक्त समायोजन अंकेक्षण में अंकेक्षण अवधि तक नही बताया गया था। ठेकेदार को अग्रिम देना नियमानुकूल नहीं था। अतः ठेकेदार से अग्रिम के रूप में दिए गए धन के विरूद्ध नियमाधीन ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ₹1,45,000 बनता था की वसूली ठेकेदार से या जिस अधिकारी द्वारा अग्रिम राशि की मन्जूरी दी थी से वसूला जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के अग्रिम देने से परिहार किया जाए। ठेकेदार को अग्रिम देने से पूर्व जब कार्याकारी अधिकारी द्वारा मन्जूरी मांगी थी तो तत्कालीन प्रधान द्वारा अग्रिम देने के स्थान पर आपत्ति लगाई कि ठेकेदार परिषद का पानी निर्माण कार्य पर खर्च कर रहा था उसका बिल भी ठेकेदार से लिया जाना अपेक्षित था जो कार्याकारी अधिकारी द्वारा न लिया गया था तथा ठेकेदार जो विश्राम गृह में कई महिनों से रह रहा था का भी बिल ठेकेदार से वसूलने के लिए ब्याज के साथ–साथ पानी का बिल तथा विश्राम गृह के किराए की वसूली करे तथा किए गए कार्य से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9(iii) **₹2,55,045.00 की अग्रिम राशि का संदिग्ध व्यय –**

वाऊचर संख्या 30, अवधि 12/98 द्वारा ₹2,55,045.00 अग्रिम रूप में सहायक अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत परिषद नालागढ़ को शहर में स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु दी गई। यह स्ट्रीट लाईट कहां–कहां लगाई गई तथा विद्युत परिषद द्वारा किए गए कार्य की पैमाईश की प्रति या उपयोगिता प्रमाण पत्र भी रिकॉर्ड में उपलब्ध न होने के कारण कार्य न होने का भी संदेह उत्पन्न होता है। आगामी अंकेक्षण के समय कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र या कार्य की पैमाईश की प्रति प्रस्तुत करें ताकि कार्य होने का पता चल सके, अन्यथा राशि की वसूली विद्युत बोर्ड से करने की ओर पग उठाए।

9(iv) **अंशदायी भविष्य निधि खातों (CPF Accounts) के रख–रखाव में पाई गई अनियमितताएं :–**

नगर परिषद नालागढ़ के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान अंशदायी भविष्य निधि खातों के अवलोकन से पाया गया कि विभिन्न तिथियों में विभिन्न चैकों के द्वारा जब भविष्य निधि खातों से कर्मचारियों को उनके खातों से **Non Refundable or refundable** राशि का भुगतान किया गया था, जिसका विवरण साथ संलग्न है उस दौरा PF-1 रजिस्टर के कॉलम संख्या 6 को पूर्ण न किया गया तथा कॉलम संख्या 2 (**Deposits**) कॉलम संख्या 3 (Contribution) को पूर्ण न किया गया था। अतः आगामी अंकेक्षण के दौरान इन भविष्य निधि खातों के कॉलमों को पूर्ण करके अंकेक्षण में बताया जाना सुनिश्चित किया जाए।

पी.एफ–1 खाता

वर्ष	पृष्ठ सं0	सं0	कर्मचारी का नाम	राशि (₹)	चैक सं0	दिनांक	टिप्पणी
2003–04	119	19	श्री सोहन लाल सफाई कर्मचारी	80,000 N/R	552425	16.1.04	पी.एफ–1 कॉलम सं0 6 को पूर्ण न किया गया।
	122	22	श्री फूल चन्द सफाई कर्मचारी	12,000	915049	29.8.03	–यथोपरि–
	125	25	श्री गिरधारी लाल सफाई कर्मचारी	12,000	552426	16.1.04	–यथोपरि–
	140	40	श्रीमति कमलेश कुमारी सफाई कर्मचारी	5,000	949190	6.5.03	–यथोपरि–

2004–05	107	7	श्री दिनेश कुमार क्लर्क	35,000 N/R	208508	9.11.04	पी०एफ–1 कॉलम सं0 2(एप्लीकेशन) कॉलम सं0 3 (कन्ट्रीब्यूशन) को पूर्ण न किया गया।
	108	8	श्री नन्द लाल चपड़ासी	60,000 N/R	015776	7.10.04	–यथोपरि–
	115	15	श्री हेम राज सफाई निरीक्षक	15,000	015777	7.10.04	–यथोपरि–
	116	16	श्री हीरा लाल दरोगा	1,00,000 N/R	208504	9.11.04	–यथोपरि–
	118	18	श्री देस राज सफाई कर्मचारी	80,000	886339	14.5.04	–यथोपरि–
	120	20	श्री महिन्द्र पाल	80,000	886340	14.5.04	–यथोपरि–
	121	21	श्रीमति बिमला देवी सफाई कर्मचारी	12,000	208511	9.11.04	–यथोपरि–
	123	23	श्री राजिन्द कुमार सफाई कर्मचारी	12,000	208512	9.11.04	–यथोपरि–
	124	24	श्री सत पाल	40,000 N/R	208505	9.11.04	–यथोपरि–

9(v) नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि नगर परिषद में कार्यरत कुछ कर्मचारियों को गैरहाजिर रहते हुए वेतन का भुगतान किया था जिनका ब्यौरा निम्न दिया जा रहा है। इन कर्मचारियों की वांछित वेतन वसूली करके नगर परिषद कोष में जमा करवाए तथा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को सूचित करें।

वा0सं0	अवधि	राशि	जिसे भुगतान किया	वसूली योग्य राशि	विशेष कथन
12	4/98	1,418.00	पवन कुमार, माली	1,418.00	मस्टर रोल में जे0ई0 द्वारा न तो हाजरी लगाकर हस्ताक्षर किए थे और न ही काम की प्रोग्रेस भारी थी।

13	4/98	3,293.00	मदन लाल चालक	280.00	4 दिन गैरहाजरी का भुगतान किया।
			कुलदीप चौकीदार	137.00	3 दिन गैरहाजरी का भुगतान किया।
28	6/98	3,843.00	राम लोक बेलदार	91.50	2 दिन गैरहाजरी का भुगतान किया।
20	5/98	3,247.00	कुलदीप चौकीदार	137.00	3 दिन गैरहाजरी का भुगतान किया।
			मदन लाल चालक	187.50	3 दिन गैरहाजरी का भुगतान किया।

भण्डार सम्बन्धी

9(vi) सीमेन्ट, निगम अभिलेख में पारदर्शिता के अभाव में भण्डार के गबन का सन्देह :–

नगर परिषद के सीमेन्ट के स्टॉक रजिस्टर की छानबीन दौरान यह पाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सीमेन्ट ठेकेदार/अन्य को सीमेन्ट जारी करते समय उनके हस्ताक्षर नही लिए गए थे जो अनियमित थे। बिना हस्ताक्षर के सीमेन्ट जारी नहीं समझा जा सकता। सीमेन्ट जिसे जारी किया था से हस्ताक्षर क्यों नहीं करवाए गए के बारे सम्बन्धित कर्मचारी कोई जवाब अंकेक्षण को नहीं दे सके तथा बिना प्राप्ति हस्ताक्षर के सीमेन्ट की खपत को उचित नहीं माना जा सकता। इस खपत सम्बन्धी रिकॉर्ड आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा सीमेन्ट की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए। सीमेन्ट का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" में दिया गया है।

9(vii) स्टॉक रजिस्टर (स्ट्रीट लाईट, बिजली के सामान) का अनियमित रख–रखाव :–

नगर परिषद नालागढ़ के स्टॉक रजिस्टर (स्ट्रीट लाईट, बिजली के सामान) के अवलोकन से पाया गया कि विभिन्न तिथियो में जो सामान स्टॉक रजिस्टर से जारी किया गया था इसमे प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर न करवाए गए थे जो कि हस्ताक्षर करवाए जाने अनिवार्य थे। इससे यह प्रतीत होता है कि सामान जारी ही नहीं किया गया था। कुछ सामान का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर मे किया गया था लेकिन सामान अभी तक जारी न किया गया था का औचित्य स्पष्ट किया जाए। यदि सामान जारी किया जा चुका था जो फिर प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर स्टॉक रजिस्टर में क्यों नहीं

करवाए गए। अतः स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव ठीक प्रकार से न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

स्टॉक रजिस्टर स्ट्रीट लाईट

स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ सं0	दिनांक	सामान का नाम	सामान की मात्रा जो जारी की गई	सामान जिसे जारी किया दर्शाया गया	टिप्पणी
42 43	5.12.00 से 11.7.01	Starter Starter	305. Nos.	Issued for Street Light	जिस सम्बन्धित कर्मचारी को सामान जारी किया गया, स्टॉक रजिस्टर में हस्ताक्षर न करवाए गए।
43	1.5.02 से	Starter	50. Nos.	–यथोपरि–	–यथोपरि–
	15.7.02		40. Nos.	–यथोपरि–	–यथोपरि–
	19.7.02	Philips Starter	510. Nos.	न दर्शाया गया	अभी तक किसे जारी किए गए न दर्शाया गया।
44	2.1.04	Philips Starter	500. Nos.	न दर्शाया गया	अभी तक किसे जारी किए गए न दर्शाया गया।
44	25.2.05	Philips Starter	500. Nos.	न दर्शाया गया	अभी तक किसे जारी किए गए न दर्शाया गया।
44	4.4.06	Philips Starter	500. Nos.	न दर्शाया गया	अभी तक किसे जारी किए गए न दर्शाया गया।
44	26.3.01	Tube Holder	248. Nos.	Issued for Street Light	जिस सम्बन्धित कर्मचारी को सामान जारी किया गया, स्टॉक रजिस्टर में हस्ताक्षर न करवाए गए।
45	15.1.04	Tube Holder	48. Nos.	न दर्शाया गया	अभी तक किसे जारी किए गए न दर्शाया गया।
37	31.1.01 से 6.8.01	Tube Rod 2' 20 watt	147. Nos.	Issued for Street Light	जिस सम्बन्धित कर्मचारी को सामान जारी किया गया, स्टॉक रजिस्टर में हस्ताक्षर न करवाए गए।
35 से 36	13.7.01 से 18.7.02	Tube Rod 4'	373. Nos.	Issued for Street Light	जिस सम्बन्धित कर्मचारी को सामान जारी किया गया, स्टॉक रजिस्टर में हस्ताक्षर न करवाए गए।
33	6.10.03	5 Coils 4mm	न दर्शाया गया	न दर्शाया गया	सामान अभी तक किसे जारी किया गया न दर्शाया गया।
33	15.6.04	5 Coils 4mm, ISI Mark			

33	22.3.06	5 Coils 4mm. PVC wire			
33	15.10.05	5 Coils 4mm			
33	29.7.06	10 Coils 4mm 4 Coils 6mm	न दर्शाया गया	न दर्शाया गया	सामान अभी तक किसे जारी किया गया न दर्शाया गया।
29	8.8.06	Double wheel Barrow	न दर्शाया गया	न दर्शाया गया	सामान अभी तक किसे जारी किया गया न दर्शाया गया।

9(viii) **₹6,581.00 मूल्य के भण्डार का संभावित दुर्विनियोजन :–**

अभिलेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न खरीदे गए सामान की खपत अंकेक्षण मे नही दिखाई गई और न ही सामान की खपत अंकेक्षण में नही दिखाई गई और न ही सामान भण्डार में विद्यमान था। सामान जिस माप पुस्तिका द्वारा जारी/खपत दिखाई जानी आपेक्षित थी वह भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। बिना खपत के ऐसा प्रतीत होता है कि सामान का प्रयोग किया ही नही गया था, केवल खरीद ही दर्शाई गई थी। इसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। अन्यथा राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

वा0सं0	अवधि	राशि	विवरण
33	5/06	3,881.00	बिजली की तार का रोल सैनी इन्ट्रप्राईज नालागढ से खरीदा गया।
36	6/06	2,700.00	पी0वी0सी0 पाईप महेश हार्डवेयर एण्ड सैनीटरी स्टोर नालागढ से खरीदी
		₹6,581.00	

9(ix) **मिट्टी की ढुलान पर ₹2,84,928.00 का संदिग्ध व्यय –**

अभिलेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि निम्न व्यय मिट्टी ढोने हेतु किया गया था। इस भुगतान में निम्न आपत्तियां पाई गई जिसका निपटान सम्बन्धित कर्मचारी स्थल पर नहीं करवा सके। इसका विवरण परिशिष्ट "ट" में संलग्न किया गया है।

(क) मिट्टी को कहां से कहां फैंका गया के बारे कोई ब्यान बिल में अंकित नहीं था।

(ख) इसकी मन्जूरी परिषद द्वारा नहीं ली गई थी।

परिशिष्ट "ट"

वा0सं0	अवधि	राशि	जिसे भुगतान किया	विशेष कथन
47	7/2000	72,077.00	श्याम सिंह चन्देल ठेकेदार नालागढ़	I. बिल कार्यकारी अधिकारी ने पास नहीं किया था। II. वास्तविक रसीद रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थी।
48	7/2000	39,811.00	श्याम सिंह चन्देल ठेकेदार नालागढ़	
55	9/2000	22,896.00	श्याम सिंह चन्देल ठेकेदार नालागढ़	₹15,496.00 का भुगतान किया गया।
59/1	9/2000	6,712.00	श्याम सिंह चन्देल ठेकेदार नालागढ़	
47	6/01	19,803.00	श्याम सिंह चन्देल ठेकेदार नालागढ़	
47	10/01	20,956.00	गुरनाम सिंह चन्देल नालागढ़	
43/3	11/01	26,771.00	11 मजदूरों को भुगतान किया	मस्टर रोल में सभी के अंगूठे के निशान लगे थे व अदायगी को सत्यापित नहीं किया गया था।
39	1/03	52,000.00	श्याम सिंह चन्देल नालागढ़	
53	6/04	29,303.00	श्याम सिंह चन्देल नालागढ़	
		₹2,84,928.00		

9(x) **उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :–**

नगर परिषद द्वारा एक अग्रिम विभागों को विभागीय कार्य करने हेतु दिया गया था, उन अग्रिम को उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे यह पता नहीं चल सका कि वास्तव में कार्य किया गया था या नहीं। सम्बन्धित अग्रिम का ब्यौरा निम्न प्रकार है, का उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

वा0सं0	अवधि	राशि	जिसे भुगतान किया गया
30	12/98	2,55,045.00	सहायक अधिशाषी अभियन्ता विद्युत नालागढ
18	1/2001	19,890.00	सहायक अधिशाषी अभियन्ता विद्युत नालागढ
42	12/01	9,280.00	सहायक अधिशाषी अभियन्ता विद्युत नालागढ

9(xi) **निर्माण कार्यों पर ₹40,558.00 का अनियमित भुगतान :–**

नगर परिषद द्वारा निम्न निर्माण कार्यों पर ₹40,558.00, वाऊचर संख्या 49, अवधि 7/2000 द्वारा व्यय किए थे इस व्यय में निम्न आपत्तियां पाई गई :–

(क) प्राक्कलन/माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ख) नगर अभियन्ता से बिल को पास नहीं करवाया गया था।

(ग) किए गए कार्य की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई जिसमें कार्य करने बारे पूर्ण जानकारी/रिपोर्ट कनिष्ट अभियन्ता/नगर अभियन्ता द्वारा बनाई गई थी।

(घ) सभी भुगतानों में अंगूठों के निशान थे व किसी भी अंगूठे के निशान को ई0ओ/जे0ई द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जो सत्यापित किए जाने अनिवार्य थे।

(ङ) मस्टर रोल जारी करते समय मजदूरों की संख्या मस्टर रोल में अंकित नहीं की गई थी।

(च) तकनीकी मन्जूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

वा0सं0	अवधि	राशि	मस्टर रोल नं0	विवरण
49	7/2000	5,712.00	2092	वाटर सप्लाई स्कीम के पास सड़क निर्माण कार्य।
49/1	7/2000	7,037.00	2090	वार्ड नम्बर 3 में राम स्वरुप एडवोकेट के घर के पास गली निर्माण कार्य
49/2	7/2000	6,783.00	2091	वार्ड नम्बर 7 में डेमेज रोड का मुरम्मत कार्य

49/3	7/2000	9,169.00	2083	केहर सिंह के घर के पास वार्ड नम्बर 7 में नाले का निर्माण कार्य
49/4	7/2000	2,597.00	2089	राम शहर सड़क के पास नाले का निर्माण कार्य
49/5	7/2000	9,240.00	2088	वार्ड नम्बर 1 में टॉयलेट का निर्माण कार्य

9(xii) **बजरी व पत्थर के सप्लाई बिलों से वाईडज न काटे जाने के फलस्वरूप ₹2,10,814.00 की वित्तीय क्षति :–**

नगर परिषद के लेखों की छानबीन दौरान यह पाया गया कि कार्याकारी अधिकारी द्वारा पत्थरों/बजरी व अन्य की अदायगी करते समय वांछित वाइडज न काटी गई थी जो काटी जानी आपेक्षित थी। सप्लायर के बिलों से वाइडज न काट कर नगर परिषद को ₹21,08,141.00 की हानि उठानी पड़ी। उक्त राशि की वसूली तुरन्त सप्लायर से की जाए अन्यथा इसका उतरदायित्व निर्धारित करके दोषी कर्मचारी से वसूली करनी सुनिश्चित करें। राशि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "द" में दिया गया है।

10 **लघु आपत्ति विवरणिका :–**

लघु आपत्तियां स्थल पर ही निपटा दी गई थी। अन्य अनियमितताएं जिनका समाधान नहीं किया जा सका के लिए अधियाचनाएं जारी कर दी गई थी।

11 **निष्कर्ष :–**

लेखों के रख–रखाव की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है तथा पुराने पैरों के निपटारे हेतु विशेष पग उठाए जाएं।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्या :– यू0एल0बी0एचसी(15)–12/86–I

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :–

1. निदेशक शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को सूचनार्थ हेतु
2. कार्याकारी अधिकारी, नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वे इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित पैरों पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उतर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार(ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेश शिमला–171003

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–171009

11

नगर परिषद नालागढ़, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) के अवधि 4/98 से 3/06 तक के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 4/98 से 3/06

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

कार्याकारी अधिकारी नगर परिषद नालागढ द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अंकेक्षण आपत्तियों के निपटारे हेतु हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अकाऊँट कोड 1975, भाग–4 की धारा 249(ई) व हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एकट 1994, के अध्याय 14 के नियम 266 के अन्तर्गत कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, जबकि अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1950–51 से लेकर 3/98 तक की विभिन्न अंकेक्षण रिपोटों में अनेकों पैरे गम्भीर अनियमितताओं/अधिक अदायगियों के लम्बित पड़े थे। अतः कार्यकारी अधिकारी उपरोक्तानुसार इस अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर उपरोक्त अवधि के विभिन्न पैरों/आपत्तियों पर नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके उनके सटिप्पण उत्तर निदेशालय को आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

विभिन्न अंकेक्षण अवधि के लम्बित पैरों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार थी :–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1950–51 से 1951–52 तक :–

1	पैरा 6(ए)(5)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए)(6)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/55 से 3/57 तक :–

1	पैरा 7(2)	अनिर्णीत
2	पैरा 12	अनिर्णीत
3	पैरा 16	अनिर्णीत

(ग) सहायक परीक्षक के दिनांक 13.9.57 की निरीक्षण रिपोर्ट :–

प्रस्तुत नहीं की गई।

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/64 से 9/66 तक :–

1	पैरा 8(2)(बी)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/65 से 3/73 तक :–

1	पैरा 9	अनिर्णीत
2	पैरा 10(सी)	अनिर्णीत
3	पैरा 10(ई)	अनिर्णीत
4	पैरा 10(जी)	अनिर्णीत
5	पैरा 11(ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत
7	पैरा 11(ई)	अनिर्णीत
8	पैरा 12	अनिर्णीत
9	पैरा 16(ए)	अनिर्णीत
10	पैरा 16(जी)	अनिर्णीत
11	पैरा 16(एच)	अनिर्णीत
12	पैरा 16(जे)	अनिर्णीत
13	पैरा 16(के)	अनिर्णीत
14	पैरा 18	अनिर्णीत
15	पैरा 19(सी)	अनिर्णीत
16	पैरा 19(ई)	अनिर्णीत
17	पैरा 21(जी)	अनिर्णीत
18	पैरा 23(बी)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/73 से 3/74 तक :–

1	पैरा 7	आंशिक निर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 10	अनिर्णीत
4	पैरा 14	अनिर्णीत
5	पैरा 16	अनिर्णीत

6	पैरा 17	अनिर्णीत
7	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
8	पैरा 18(4)	अनिर्णीत
9	पैरा 18(7)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/79 तक :–

1	पैरा 9(4)	अनिर्णीत
2	पैरा 9(5)	अनिर्णीत
3	पैरा 9(6)	अनिर्णीत
4	पैरा 9(7)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(8)	अनिर्णीत
6	पैरा 9(9)	अनिर्णीत
7	पैरा 9(10)	अनिर्णीत
8	पैरा 10	अनिर्णीत
9	पैरा 11	अनिर्णीत
10	पैरा 13	अनिर्णीत
11	पैरा 14(2)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(19)	अनिर्णीत
13	पैरा 14(20)	अनिर्णीत
14	पैरा 14(डी)	अनिर्णीत
15	पैरा 14(डी)(1)	अनिर्णीत
16	पैरा 14(डी)(2)	अनिर्णीत
17	पैरा 14(सी)	अनिर्णीत
18	पैरा 15(ए)	अनिर्णीत
19	पैरा 15(सी)	अनिर्णीत
20	पैरा 16	अनिर्णीत

21	पैरा 17	अनिर्णीत
22	पैरा 20	अनिर्णीत
23	पैरा 23	अनिर्णीत
24	पैरा 24	अनिर्णीत
25	पैरा 26	अनिर्णीत
26	पैरा 27	अनिर्णीत
27	पैरा 28	अनिर्णीत
28	पैरा 29	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/79 से 3/80 तक :–

1	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत
4	पैरा 8	अनिर्णीत
5	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
6	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(ई)	अनिर्णीत
9	पैरा 12(एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा 12(जी)	अनिर्णीत
11	पैरा 14(डी)	अनिर्णीत
12	पैरा 15(ए)	अनिर्णीत
13	पैरा 16	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82 तक :–

1	पैरा 6	अनिर्णीत

2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	आंशिक निर्णीत
4	पैरा 9	अनिर्णीत
5	पैरा 10	अनिर्णीत
6	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
7	पैरा 13	अनिर्णीत
8	पैरा 15(डी)	अनिर्णीत
9	पैरा 16(ए)	अनिर्णीत
10	पैरा 16(बी)	अनिर्णीत
11	पैरा 17	अनिर्णीत

(ञ) **सहायक परीक्षक की दिनांक 20.1.1981 की निरीक्षण रिपोर्ट :–**

1	पैरा 2	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 10	अनिर्णीत
5	पैरा 12	अनिर्णीत
6	पैरा 13	अनिर्णीत

(ट) **अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83 तक :–**

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत
5	पैरा 9(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 12(ए)(i)	अनिर्णीत

7	पैरा 12(ए)(ii)	अनिर्णीत
8	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत
9	पैरा 13	अनिर्णीत
10	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
11	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
12	पैरा 14(सी)	अनिर्णीत

(ठ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/85 तक</u> :—

1	पैरा 5(ए)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
3	पैरा 6(ए)	अनिर्णीत
4	पैरा 6(बी)	अनिर्णीत
5	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत
6	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
7	पैरा 8	अनिर्णीत
8	पैरा 11(बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(सी)	अनिर्णीत
10	पैरा 12(ए)(i)	अनिर्णीत
11	पैरा 12(ए)(ii)	अनिर्णीत
12	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
13	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत
14	पैरा 12(एफ)	अनिर्णीत
15	पैरा 12(एल)	अनिर्णीत
16	पैरा 12(एन)	अनिर्णीत
17	पैरा 12(पी)	अनिर्णीत
18	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत

19	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत
20	पैरा 16(बी)	अनिर्णीत
21	पैरा 17(ए)	अनिर्णीत
22	पैरा 18(ए)	अनिर्णीत
23	पैरा 18(बी)	अनिर्णीत
24	पैरा 19(ए)	अनिर्णीत
25	पैरा 19(बी)	अनिर्णीत
26	पैरा 20(एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा 20(जी)	अनिर्णीत

(ङ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/86 तक</u> :-

1	पैरा 5(3)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(4)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(5)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(6)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(बी)	अनिर्णीत
6	पैरा 6(ए)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा 7(ए)	अनिर्णीत
8	पैरा 7(बी)	अनिर्णीत
9	पैरा 8	आंशिक निर्णीत
10	पैरा 9	अनिर्णीत
11	पैरा 10(1)	अनिर्णीत
12	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
13	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
14	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
15	पैरा 11(3)	अनिर्णीत

16	पैरा 11(4)	अनिर्णीत
17	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
18	पैरा 12 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत
20	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत
21	पैरा 12(ई)	अनिर्णीत
22	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत
23	पैरा 13 (बी)	अनिर्णीत
24	पैरा 13(सी)	अनिर्णीत
25	पैरा 13(डी)	अनिर्णीत
26	पैरा 13(ई)	अनिर्णीत
27	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
28	पैरा 15(ए)	अनिर्णीत
29	पैरा 15 (बी)	अनिर्णीत
30	पैरा 15 (सी)	अनिर्णीत
31	पैरा 15(डी)	अनिर्णीत
32	पैरा 15(ई)	अनिर्णीत
33	पैरा 15(एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा 15(जी)	अनिर्णीत
35	पैरा 15(एच)	अनिर्णीत
36	पैरा 15(आई)	अनिर्णीत
37	पैरा 15(जे)	अनिर्णीत
38	पैरा 16	अनिर्णीत
39	पैरा 17 (बी)	अनिर्णीत
40	पैरा 17 (सी)	अनिर्णीत

41	पैरा 17(डी)	अनिर्णीत
42	पैरा 17(ई)	अनिर्णीत

(ढ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/87 तक :-</u>

1	पैरा 3(ए)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(ए)(1)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(ए)(2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(ए)(3)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6(ए)	आंशिक निर्णीत	(₹9,078.84 की वसूली शेष)
6	पैरा 6(बी)	आंशिक निर्णीत	(₹9,208 की वसूली शेष)
7	पैरा 6(सी)	अनिर्णीत	
8	पैरा 7	अनिर्णीत	
9	पैरा 8(3)	अनिर्णीत	
10	पैरा 8(4)	अनिर्णीत	
11	पैरा 9(बी)	अनिर्णीत	
12	पैरा 11	अनिर्णीत	
13	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत	
14	पैरा 12(डी)	अनिर्णीत	
15	पैरा 12(ई)	अनिर्णीत	
16	पैरा 12(एफ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 13(ए)	अनिर्णीत	
18	पैरा 13(बी)	अनिर्णीत	
19	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत	
20	पैरा 14(सी)	अनिर्णीत	
21	पैरा 14(डी)	अनिर्णीत	
22	पैरा 15(डी)	अनिर्णीत	

23	पैरा 15(ई)	अनिर्णीत
24	पैरा 15(एफ)	अनिर्णीत
25	पैरा 15(आई)	अनिर्णीत
26	पैरा 15(जे)	अनिर्णीत
27	पैरा 15(के)	अनिर्णीत
28	पैरा 15(एम)	अनिर्णीत
29	पैरा 15(एन)	अनिर्णीत
30	पैरा 17(सी)	अनिर्णीत
31	पैरा 17(डी)	अनिर्णीत
32	पैरा 17(ई)	अनिर्णीत
33	पैरा 17(एफ)	अनिर्णीत
34	पैरा 18(1)	अनिर्णीत
35	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
36	पैरा 18(3)	अनिर्णीत
37	पैरा 18(5)	अनिर्णीत
38	पैरा 18(6)	अनिर्णीत

(ण) लघु आपत्तियां :–

4/74 से 3/79 = 9 व 11	अनिर्णीत
4/79 से 3/80 = 5 व 8	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90 तक :–

1	पैरा 5(जी)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(आई)	आंशिक निर्णीत
3	पैरा 5(जे)	अनिर्णीत
4	पैरा 7(ए)	आंशिक निर्णीत

5	पैरा 7(बी)	आंशिक निर्णीत
6	पैरा 7(सी)	आंशिक निर्णीत
7	पैरा 8	अनिर्णीत
8	पैरा 11(ई)	अनिर्णीत
9	पैरा 11(एफ)	अनिर्णीत
10	पैरा 12(ए)	अनिर्णीत
11	पैरा 12(बी)	अनिर्णीत
12	पैरा 12(सी)	अनिर्णीत
13	पैरा 14(ए)	अनिर्णीत
14	पैरा 14(बी)	अनिर्णीत
15	पैरा 15(ए)	अनिर्णीत
16	पैरा 16(ए)(1)	अनिर्णीत
17	पैरा 16(ए)(2)	अनिर्णीत
18	पैरा 16(ए)(3)	अनिर्णीत
19	पैरा 16(ए)(4)	अनिर्णीत
20	पैरा 17(बी)(3)	अनिर्णीत
21	पैरा 17(बी)(4)	अनिर्णीत
22	पैरा 17(बी)(5)	अनिर्णीत
23	पैरा 18	अनिर्णीत
24	पैरा 20(बी)	अनिर्णीत
25	पैरा 20(ई)	अनिर्णीत
26	पैरा 20(एफ)	अनिर्णीत
27	पैरा 20(जी)	अनिर्णीत
28	लघु आपत्तियां 4,6,व 7	अनिर्णीत

(घ) <u>अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/98 तक</u> :–

1	पैरा 5(क)(1)	अनिर्णीत
2	पैरा 5(क)(2)	अनिर्णीत
3	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
4	पैरा 5(ग)(1)	अनिर्णीत
5	पैरा 5(ग)(2)	अनिर्णीत
6	पैरा 5(ग)(3)	अनिर्णीत
7	पैरा 5(ग)(4)	अनिर्णीत
8	पैरा 5(ग)(5)	अनिर्णीत
9	पैरा 5(घ)	अनिर्णीत
10	पैरा 5(ङ)	अनिर्णीत
11	पैरा 5(च)	अनिर्णीत
12	पैरा 6(घ)	अनिर्णीत
13	पैरा 7(क)	आंशिक निर्णीत
14	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
16	पैरा 12(क)	अनिर्णीत
17	पैरा 12(ख)	अनिर्णीत
18	पैरा 12(ग)	अनिर्णीत
19	पैरा 12(ङ)	अनिर्णीत
20	पैरा 15(i)	अनिर्णीत
21	पैरा 15(ii)	अनिर्णीत
22	पैरा 15(2)सी	अनिर्णीत
23	पैरा 15(2)(i)	अनिर्णीत
24	पैरा 15(2)(ii)	अनिर्णीत

25	पैरा 15(2)(iii)	अनिर्णीत
26	पैरा 15(3)	अनिर्णीत
27	पैरा 15(4)	अनिर्णीत
28	पैरा 15(4)(i)	अनिर्णीत
29	पैरा 15(4)(ii)	अनिर्णीत
30	पैरा 15(4)(iii)	अनिर्णीत
31	पैरा 15(4)(iv)	अनिर्णीत
32	पैरा 15(5)(i)	अनिर्णीत
33	पैरा 15(5)(ii)	अनिर्णीत
34	पैरा 15(6)(i)	अनिर्णीत
35	पैरा 15(7)(i)	अनिर्णीत
36	पैरा 15(7)(ii)	अनिर्णीत
37	पैरा 15(7)(iii)	अनिर्णीत
38	पैरा 15(7)(iv)	अनिर्णीत
39	पैरा 15(8)(i)	अनिर्णीत
40	पैरा 15(8)(ii)	अनिर्णीत
41	पैरा 15(8)(iii)	अनिर्णीत
42	पैरा 15(9)	अनिर्णीत
43	पैरा 15(10)	अनिर्णीत
44	पैरा 16(i)	अनिर्णीत
45	पैरा 16(ii)	अनिर्णीत
46	पैरा 16(iii)	अनिर्णीत
47	पैरा 16(iii)(i)	अनिर्णीत
48	पैरा 16(iii)(ii)	अनिर्णीत
49	पैरा 16(iii)(iii)	अनिर्णीत

50	पैरा 16(iii)(iv)	अनिर्णीत
51	पैरा 16(iii)(v)	अनिर्णीत
52	पैरा 16(iii)(vi)	अनिर्णीत
53	पैरा 16(iii)(vii)	अनिर्णीत
54	पैरा 16(iii)(viii)	अनिर्णीत
55	पैरा 16(iii)(ix)	अनिर्णीत
56	पैरा 16(iii)(x)	अनिर्णीत
57	पैरा 16(iii)(xi)	अनिर्णीत
58	पैरा 16(iii)(xii)	अनिर्णीत
59	पैरा 16(iii)(xiii)	अनिर्णीत
60	पैरा 16(iii)(xiv)	अनिर्णीत
61	पैरा 16(iii)(xv)	अनिर्णीत
62	पैरा 16(iii)(xvi)	अनिर्णीत
63	पैरा 16(iii)(xvii)	अनिर्णीत
64	पैरा 16(iii)(xix)	अनिर्णीत
65	पैरा 16(iii)(xx)	अनिर्णीत
66	पैरा 16(iii)(xxi)	अनिर्णीत
67	पैरा 16(iii)(xxii)	अनिर्णीत
68	पैरा 16(iii)(xxiii)	अनिर्णीत
69	पैरा 16(iii)(xxiv)	अनिर्णीत
70	पैरा 16(iii)(xxv)	अनिर्णीत
71	पैरा 16(iii)(xxvi)	अनिर्णीत
72	पैरा 16(iii)(xxvii)	अनिर्णीत
73	पैरा 16(iii)(xxviii)	अनिर्णीत
74	पैरा 16(iii)(xxix)	अनिर्णीत

75	पैरा 17(घ)	अनिर्णीत
76	पैरा 18(क)(i)	अनिर्णीत
77	पैरा 18(क)(ii)	अनिर्णीत
78	पैरा 18(ख)(i)	अनिर्णीत
79	पैरा 18(ख)(ii)	अनिर्णीत
80	पैरा 18(ख)(iii)	अनिर्णीत
81	पैरा 18(ख)(iv)	अनिर्णीत
82	पैरा 18(ग)	अनिर्णीत
83	पैरा 18(घ)	अनिर्णीत
84	पैरा 19(क)(i)	अनिर्णीत
85	पैरा 19(क)(ii)	अनिर्णीत
86	पैरा 19(क)(iii)	अनिर्णीत
87	पैरा 19(क)(iv)	अनिर्णीत
88	पैरा 19(क)(v)	अनिर्णीत
89	पैरा 19(क)(vi)	अनिर्णीत
90	पैरा 19(क)(vii)	अनिर्णीत
91	पैरा 19(क)(viii)	अनिर्णीत
92	पैरा 19(ख)	अनिर्णीत
93	पैरा 20	अनिर्णीत
94	पैरा 21(i)	अनिर्णीत
95	पैरा 21(ii)	अनिर्णीत
96	पैरा 22(i)	अनिर्णीत
97	पैरा 22(ii)	अनिर्णीत
98	पैरा 22(iii)	अनिर्णीत
99	पैरा 22(iv)	अनिर्णीत

100	पैरा 22(v)	अनिर्णीत
101	पैरा 23	अनिर्णीत
102	पैरा 24(क)	अनिर्णीत
103	पैरा 24(क(2)	अनिर्णीत
104	पैरा 24(ख)	अनिर्णीत
105	पैरा 24(ग)	अनिर्णीत
106	पैरा 24(घ)	अनिर्णीत
107	पैरा 24(ङ)	अनिर्णीत
108	पैरा 26	अनिर्णीत
109	पैरा 27	अनिर्णीत
110	पैरा 29(क)	अनिर्णीत
111	पैरा 30	अनिर्णीत
112	पैरा 31	अनिर्णीत
113	पैरा 32	अनिर्णीत
114	पैरा 33(1)(i)	अनिर्णीत
115	पैरा 33(1)(ii)	अनिर्णीत
116	पैरा 33(1)(iii)	अनिर्णीत
117	पैरा 33(1)(iv)	अनिर्णीत
118	पैरा 33(ख)(1)	अनिर्णीत
119	पैरा 33(ख)(3)	अनिर्णीत
120	पैरा 33(ख)(4)	अनिर्णीत
121	पैरा 33(ख)(5)	अनिर्णीत
122	पैरा 33(ख)(6)	अनिर्णीत
123	पैरा 33(ख)(7)	अनिर्णीत
124	पैरा 33(ख)(8)(i)	अनिर्णीत

125	पैरा 33(ख)(8)(ii)	अनिर्णीत
126	पैरा 33(ख)(8)(iii)	अनिर्णीत
127	पैरा 33(ख)(8)(iv)	अनिर्णीत
128	पैरा 33(ख)(9)	अनिर्णीत
129	पैरा 33(ख)(10)	अनिर्णीत
130	पैरा 33(ख)(11)	अनिर्णीत